



# नागरिक शिक्षा



लेखक

भारतीय शासन, हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ, नागरिक शास्त्र,  
और भावी नागरिकों से, आदि के  
रचयिता

भगवानदास केला



प्रकाशक

भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज (इलाहाबाद)



मुद्रक

गयाप्रसाद तिवारी वी. काम., नारायण प्रेस, प्रयाग

---

## नागरिक शिक्षा के संस्करण

पहला संस्करण	१०००	प्रतियाँ	सन् १९२८
दूसरा ”	१२५०	”	” १९३२
तीसरा ”	७५०	”	” १९४१
चौथा ”	७५०	”	” १९४३
पाँचवाँ ”	१०००	”	” १९४६
छठा ”	१५००	”	” १९४८

---

## निवेदन

हर्ष का विषय है कि हम इस पुस्तक का यह छूटा संस्करण छपा रहे हैं। इसमें आवश्यक सशोधन कर दिया गया है। तथापि पाठकों को रेल, तार, डाक और बैकों आदि के नये-से-नये नियमों की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए।

भारतवर्ष (भारतीय संघ) स्वतंत्र हो गया है। पर अभी 'हमारी स्वतंत्रता केवल राजनैतिक है। हमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वाधीनता प्राप्त करनी है। प्रत्येक व्यक्ति को सुयोग्य नागरिक बनना और अपने कर्तव्य पालन करना है। इस लिए अब नागरिक शिक्षा प्राप्त करने की विशेष आवश्यकता है। यह पुस्तक हममें सहायक होगी।

यद्यपि यह पुस्तक बहुत सी शिक्षा-संस्थाओं तथा स्कूल पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत है, हमारे माधन परिमित होने के कारण इसका यथेष्ट प्रचार नहीं हो रहा है। प्रचार के लिए अभी बहुत गुंजायश है। नागरिक-शिक्षा-प्रेमी महानुभाव इस ओर ध्यान देने की कृपा करें। अध्यापक महानुभावों से विशेष निवेदन अलग किया गया है।

श्री० जुगलकिशोर जी एम. ए. भूतपूर्व आचार्य प्रेममहाविद्यालय, वृन्दावन, ने इस पुस्तक की शिक्षाप्रद भूमिका लिखने की कृपा की है। इसके लिए आप के हम बहुत कृतज्ञ हैं।

विनीत

भगवानदास केला

भूल-सुधार—पृष्ठ ६५ में पेरोग्राफ का शीर्षक जहाँ 'शिक्षा-कृषि' छपा है, वहाँ 'कृषि-शिक्षा' होना चाहिए। और भी जहाँ कहीं प्रुम की अशुद्धि मालूम हो, विद्वान पाठक सुधार कर पढ़ें।

## अध्यापकों के लिए



अध्यापक महानुभाव इस पुस्तक को यथा-सम्भव मनोरंजक बनावें। वे जिस नागरिक विषय की शिक्षा दें, उसके कुछ स्थानीय दृष्टान्त विद्यार्थियों के सामने रखें और जब अवसर मिले, वे उन्हें राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों, संस्थाओं तथा उनके कार्यालय आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान कराएँ। जिन बातों को विद्यार्थी अच्छी तरह समझते हों उनके उदाहरण या दृष्टान्त से अज्ञात वस्तुओं का थोड़ा-थोड़ा ज्ञान कराया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को समय-समय पर माडल, मेजिक लालटेन की तस्वीरें, तथा अन्य चित्र दिखाए जाने चाहिए। साथ ही उन्हें कभी-कभी, कल-कारखानों, नहर या नदी के पुल, रेलवे, स्टेशन, अदालतों, पुलिस चौकी, चुंगी-घर आदि की सैर करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए; इससे उनके मन में इन विषयों के ज्ञान का अनुराग बढ़ेगा। विद्यार्थियों के मन पर यह बात अच्छी तरह जमा दी जानी चाहिए कि घर में, और बाजार में; स्कूल में और खेलने के मैदान में, रेल में, और मुसाफिरखाने में, हर जगह उचित कर्तव्य पालने और लोक-सेवा करने में ही वे अच्छे नागरिक बन सकते हैं।

अध्यापकों को इन विषयों सम्बन्धी अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आवश्यक साहित्य देखते रहना चाहिए; उनके लिए इस ग्रन्थमाला की (१) भारतीय शासन (२) निर्वाचन पद्धति (३) भावी नागरिकों से (४) हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ (५) देशी राज्य शासन, और (६) अपराध चिकित्सा, पुस्तकें विशेष उपयोगी हैं।

लेखक





स्व० रायवहादुर पण्डित लक्ष्मीचन्द्रजी केला  
जन्म. मन् १८४६ ई०, निधन, मन् १९०१ ई०

# समर्पणा

स्व० रायबहादुर पंडित लक्ष्मीचन्द जी केला,

पूज्य चाचाजी !

एक गाँव ( बावैल, तहसील पानीपत ) में जन्म लेकर भी आपने हिन्दी, संस्कृत और अंगरेजी पढने में कैसा उत्साह दिखाया ! आप पानीपत में एक मन्दिर में रहते थे, वहाँ से रविवार या अन्य छुट्टी के दिन पैदल घर आते और प्र यः एक सप्ताह का आटा दाल आदि ले जाते, और स्वयं भोजन बनाते थे । इस प्रकार आपने घरवालों को अपनी पढाई के खर्च से प्रायः मुक्त ही रखा । आजकल के बोर्डिङ्ग हाउसों या होस्टलों में रहनेवाले गरीब विद्यार्थियों के लिए यह कितना शिद्दाप्रद है !

आप अपने परिभ्रम और अध्यवसाय से उत्तरोत्तर उन्नति करके जल्दी ही नहर के सब-डिविजनल अफसर बन गए । सरकारी मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आदमी प्रायः अपने स्वाभिमान को तिलांजलि दे देते हैं, और अधिकारियों की खुशामद करके तथा उन्हें डाली भेंट आर दावतें आदि देकर जैसे-भी-बने उन्हें खुश करने की फिक्र में रहा करते हैं । पर आप तो अपनी योग्यता और ईमानदारी के ही कारण पजाब सरकार से पहले 'पंडित' और फिर 'रायबहादुर' पद से सम्मानित हुए । पीछे लायलपुर के जगलों को उत्तम 'कालोनी' ( उपनिवेश ) बनाने में आपकी काय-कुशलता देखकर सरकार ने आपको बहुमूल्य 'मरोपा' पारितोषिक प्रदान किया । आपका स्वर्गवास हो जाने पर आपके परिवार को सरकार ने पाँच मुग्गे जमीन दी गई, जिसकी वार्षिक आय पहले लगभग पाँच हजार रुपए थी, और पीछे तो बढ़ती ही गई । ये बातें वास्तव में मत्पुरुषों की ईर्ष्या के योग्य और सिद्धान्तहीन हों-हजूरों के लिए उपदेशपूर्ण हैं ।



इतने धन और मान वाले होकर भी आपने जैसी 'सादगी, सरलता, लोकसेवा आदि का व्यवहार किया, वह प्रत्येक नागरिक के लिए अनुकरणीय है। जहाँ बड़े-बड़े अफसर आप का नाम लेने में मकुचाते और 'रायवहादुर साहब' और 'पंडित जी' ही कहते, वहाँ गाव के आदमी आप को 'अरे लखमा' कहकर सम्बोधन करते और आप भी उन्हें 'चाचा', या 'काका' आदि कहकर पुकारते। जो कोई आप के पास सहायता पाने के लिए जाता, निराश होकर न लौटता। आप अपने प्रेम और सत्कार से लोगों को कृष्ण-सुदामानमिलन की याद दिलाते थे। आप किसी का कुछ मदद करते तो वह प्रायः गुप्त ही रहती थी। आप के कितने ही सत्कार्यों की बात, घरवालों को भी आप का स्वर्गवास होने के बाद भालूम हुई है।

फैशन या शौकीनी आप को छू नहीं पाई। आप की पोशाक सिर पर डुपट्टा (साफा), बदन में कुर्ता और बन्द कालर वाला कोट, और चुस्त (चूड़ीदार) पाजामा, तथा पावों में देशी जूते होते थे। आप चश्मा लगाते थे तो सिर्फ इस वास्ते कि आप को उसका ज़रूरत होती थी; इसलिए आप उसकी कमानि बढ़िया नहीं रखते थे, जैसे कि अनेक युवक दिखावे के लिए रखा करते हैं।

परमात्मा करे, इस देश का प्रत्येक निवासी आप की तरह अपने विविध कर्तव्यों का समुचित रूप में पालन करे, और सुयोग्य नागरिक बने।

विनीत



वरन् इससे उसे अपने विद्यालय के प्रबन्ध तथा उसकी कठिनाइयों का ज्ञान होने में प्रत्यक्ष सहायता मिलती है। इससे उसे यह विचार होता है कि उसके, अपने विद्यालय तथा अपनी कक्षा के प्रति, क्या-क्या कर्त्तव्य हैं, और वह अपनी कक्षा के अनुशासन और नियंत्रण रखने में भी सहायक हो जाता है।

बहुत से नवयुवक ऐसे हैं, जिन्हें, बी. ए., और एम. ए. की उपाधि धारण करने पर भी, म्युनिसिपैलिटियों के सगठन और उनके कार्यों तक का भी ज्ञान नहीं होता। उनका अज्ञान और उदासीनता इस शिक्षा-पद्धति का प्रत्यक्ष फल है, जिसमें उन्हें न केवल इस विषय के ज्ञान का अवसर नहीं दिया गया, वरन् नवयुवकों के नागरिकता के भावों की वृद्धि करने का प्रत्येक प्रयत्न रोका गया है। राष्ट्रीय और नागरिक विषयों में नवयुवकों की उदासीनता आश्चर्यजनक और दुःखदायी है। इसका उपाय यही है कि नागरिक शिक्षा का विषय अनिवार्य कर दिया जाय, तथा व्यक्ति और समाज का अन्योन्य आश्रयिता की ओर भली भाँति ध्यान दिलाया जाय। समाज की उन्नति व्यक्तियों के बुद्धिमत्तापूर्वक किए हुए प्रयत्नों तथा स्वार्थत्यागों पर निर्भर है, और व्यक्ति की उन्नति तभी है जब कि समाज अच्छी, विकारहीन स्थिति में हो। यदि शिक्षा मनुष्य को ऐसा उपयोगी नागरिक बनाने में विफल होती है कि वह अपने व्यक्तिगत हित को नगर और देश के बड़े हित के सम्मुख गौण समझे, तो यही नहीं, कि उस शिक्षा का उद्देश्य नष्ट हो जाता है, वरन् वह, शिक्षा के अभाव से भी अधिक, भयंकर सिद्ध होती है। अध्यापक का उत्तरदायित्व महान है। यह उसका काम है कि वह अपने शिष्यों के लिए इस विषय को मनोरंजक बनाए।

विद्यार्थियों को नागरिकता का विचार कर्त्तव्यों और अधिकारों के सूक्ष्म विद्वान्तों के वर्णन मात्र में नहीं दिया जा सकता; इसके लिए परिवार और विद्यालय के जीवन के स्थूल उदाहरणों की आवश्यकता है। परिवार और विद्यालय के जीवन में नगर और राज्य के जीवन सम्बन्धी बहुत से अच्छे दृष्टान्त मिलते हैं, और उनके, उदाहरणों में विद्यार्थी नगर और राज्य के जीवन की वास्तविकता अच्छी तरह समझ सकते हैं। नागरिकता के उत्तरदायित्व को अच्छी तरह समझ लेने में विद्यार्थियों के नैतिक भावों की वृद्धि होती है, और हमसे वे विद्यालय व सामूहिक कार्यों में अधिक दिलचस्पी में भाग ले सकते हैं।

इस प्रकार नागरिक शिक्षा में व्यक्तियों की सामाजिक और नैतिक जेतनता का विकास होता है, यही हम शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। इस पुराण में हम विषय का ऐसी उत्तमता में वर्णन किया गया है कि यह सीमित दलों के विद्यालय व विद्यार्थियों की समझ में आसानी से आता है। साथ ही इसका लेखक विशेषतया अध्यापकों के ध्यानवाट का साधक है, जिन्हें शिक्षा-कार्य करने सुगमकर दिया है।

# विषय-सूची

—०—

पाठ	विषय	पृष्ठ
१—	विषय-प्रवेश	१
२—	नागरिक जीवन	४
३—	राज्य और नागरिक	१२
४—	सना	१८
५—	पुलिस	२६
६—	अदालतें	३४
७—	जेल	४१
८—	ढाक और तार आदि	४४
९—	रेल और मोटर	५५
१०—	शिक्षा	६२
११—	कृषि और सिंचाई	७०
१२—	सरकारी निर्माण-कार्य	७५
१३—	उद्योग-धन्धे	७८
१४—	व्यापार	८७
१५—	रुपया-पैसा और बैंक	९१
१६—	सहकारी समितियाँ	९९
१७—	स्वास्थ्य-रक्षा	१०४
१८—	दुर्व्यसनों का नियंत्रण	१०९
१९—	नागरिकों के कर्तव्य	११३
२०—	नागरिकता की व्यावहारिक शिक्षा	११९
परिशिष्ट १—	मेरा प्यारा गाँव	१२५
” २—	नागरिकता की कसौटी	१३०

# पहला पाठ

## विषय-प्रवेश



मनुष्य आपस में मिलकर रहते हैं—पाठको ! तुममें से कोई अकेला नहीं रहता, तुम सब अपने-अपने घर में अपने माता-पिता आदि के पास, किसी गाँव या नगर में रहते हो । अगर तुमसे से कोई अकेला रहने लगे तो पहले तो सुनसान जगह में उसका जी ही नहीं लगेगा, और जगली जानवरों से भय मालूम होगा; फिर, वहाँ उसका विनाह भी तो नहीं हो सकता । उसे खाने-पहनने के लिए भोजन-वस्त्र चाहिए; सर्दी, गर्मी, और वर्षा से बचने के लिए मकान चाहिए । कोई आदमी इन तरह-तरह की आवश्यकताओं को अकेला ही पूरा नहीं कर सकता । इन्हे पूरा करने के लिए, आदमी को दूसरों की सहायता की जरूरत होती है । यही कारण है कि प्रायः मनुष्य अकेला नहीं रहता । हर आदमी दूसरो से मिलकर रहना चाहता है ।

समाज में मिलकर रहने से मनुष्यों को एक दूसरे के विचार मालूम होते हैं । इससे उन्हें अपनी उन्नति करने में सहायता मिलती है । इसके अतिरिक्त, उनमें सेवा, प्रेम और सहानुभूति आदि गुणों की वृद्धि होती है । बड़े (बुजुर्ग) लोग स्वयं कष्ट

उठाकर भी छोटों की भलाई के काम करते हैं। छोटे, बड़े की आज्ञा में रहते हैं। सब एक दूसरे के दुख-सुख में साथ देते हैं। इसलिए हम सब मिलकर समाज में रहते हैं।

**हम सब एक समाज के अंग हैं**—हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हम सब एक समाज के अंग हैं, समाज हमसे बना है; और, हमारा आपस में इस प्रकार सम्बन्ध है कि एक को कष्ट पहुँचने से दूसरों को भी कष्ट पहुँचता है, और एक के पिछड़े हुए होने की दशा में दूसरों की यथेष्ट उन्नति नहीं हो सकती। असल में समाज को मनुष्य के शरीर से उपमा दी जा सकती है। जिस प्रकार हाथ, पाँव, नाक, कान आदि एक ही मनुष्य-शरीर के अंग हैं, उसी प्रकार प्रत्येक आदमी, पुरुष हो या स्त्री, बालक हो या वृद्ध, सब अपने-अपने समाज के अंग हैं; चाहे वे जुदा-जुदा कार्य करते हों, भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा पाये हुए हों, और चाहे ये अलग अलग धर्मों को माननेवाले ही क्यों न हों। जिस प्रकार पाँव की एक अंगुली में काँटा लग जाने से शरीर के सब अंग उसकी पीड़ा का अनुभव करते हैं, और यथा-शक्ति उस पीड़ा का निवारण करने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार समाज के एक आदमी को पीड़ा होने की अवस्था में दूसरे मनुष्यों को उस कष्ट का अनुभव करके उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

हम देखते हैं कि मनुष्य के भोजन करने से उसके सभी अंगों की पुष्टि होती है। यदि हाथ, पाँव और मुँह, यह सोचकर कि इस कार्य से तो अकेले पेट की जरूरत पूरी होती है, आपस

में सहयोग करना छाड़ दें तो इससे सबकी ही हानि होगी। ठीक इसी तरह हर एक मनुष्य की उन्नति से समाज की उन्नति में सहायता मिलती है; समाज के भिन्न-भिन्न अंगों का, अपने अलग-अलग स्वार्थों का विचार करना अनुचित है।

समाज के हित में हमारा हित है—पाठको ! जग विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जायगी कि यदि हम अपनी भलाई या कल्याण चाहते हैं तो हमें समाज के दूसरे अंगों के हित का समुचित ध्यान रखना चाहिए। तुम जानते होंगे कि जब हमारे पास परीस के किसी गधान में प्लेग आदि बीमारी फैल जाती है तो उसका हमारे यहाँ आना बितना महज है। यदि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ या मनुकृत रहें तो वे उन यहाँ कापी नहीं है कि हम अपने घर की साफ, स्वच्छ रखें, यह भी आवश्यक है कि हम अपने पास और नगर-निवासियों से स्वच्छ-स्वच्छता में नियमों का प्रचार करें



समाज के कार्य में प्रत्येक मनुष्य को सहायक होना चाहिए—बहुत से आदमी सोचते हैं कि हम तो गरीब हैं, हमें अपना ही निर्वाह करना कठिन है, हम दूसरों की भलाई क्या कर सकते हैं। पाठको ! यह विचार ठीक नहीं है। प्रत्येक मनुष्य, वह कैसी ही अवस्था में हो, यदि चाहे तो, दूसरों की थोड़ी बहुत सहायता अवश्य कर सकता है। कल्पना करो कि कोई आदमी किसी रोग में व्याकुल है, वह बहुत घबरा रहा है। उसे एक आदमी दवाई के लिए पैसे दे देता है, दूसरा उसके लिए उन पैसे की दवाई ला देता है, तीसरा उसके पास बैठकर अपनी बातों से उसे धीरज बधाता है। इन सब सज्जनों के सहयोग से उसे आराम हो जाता है। इस दशा में यह स्पष्ट है कि पैसे-वाला पैसे से जो सहायता कर सकता है, उसकी अपेक्षा वह सहायता कुछ कम महत्व की नहीं है, जो दूसरा आदमी सेवा करके, या अच्छी बातों द्वारा कर सकता है। अस्तु, तन से, मन से, या धन से, जैसा अवसर हो, जैसी स्थिति हो, हमें समाज के हित-साधन से पीछे न हटना चाहिए।

---

## दूसरा पाठ

### नागरिक जीवन

---

एक विचार करने योग्य घटना—एक साधारण घटना है, पर है बहुत विचार करने की। स्वयंसेवकों की एक टोली

रवाना हो रही थी, उसमें पैंतीस-चालीस सज्जन थे; कुछ साधारण शिक्षित, कुछ, उच्च शिक्षा पाये हुए। सभी में विचार शक्ति थी, भले-बुरे का ज्ञान था, देश-सेवा की विलक्षण उमंग थी। उत्साह उनके चेहरे से टपका पड़ता था। मातृभूमि का झण्डा ऊँचा करने के खातिर वे यातनाओं को निमन्त्रण दे चुके थे। वे जुदा-जुदा स्थानों से आकर यहाँ इकट्ठे हुए थे। कुछ गाँववाले थे; और कुछ कस्बों तथा शहर के भी। प्रातःकाल वे नगर से विदा होने लगे। नगर-निवासी बाल-वृद्ध उनके दर्शन के लिए बड़े सवेरे से जाग उठे थे; जगह-जगह उनके स्वागत-सत्कार का प्रबन्ध था, उनसे थोड़ी-थोड़ी दूर पर फूलमालाओं और शर्वत के कुल्हड़ लेने के लिए आग्रह किया जा रहा था। स्वयंसेवक फूलमालाएँ अपने गले में धारण करते थे, और शर्वत पी लेते थे। कुल्हड़ों का वे क्या करें? उन्हें वे फेंकते ही। पर इस फेंकने ने बतला दिया कि ये स्वयंसेवक चाहे जितने गुणो वाले हों—और उनके त्याग, साहस और कष्ट-सहिष्णुता को प्रशंसा कौन न करेगा—उन्होंने नागरिक शिक्षा नहीं पायी थी। कुछ ने तो इन कुल्हड़ों को उसी स्थान पर डाल दिया जहाँ वे खड़े थे, और कुछ ने अपनी क्रतार से तनिक बचा कर—परन्तु सड़क पर ही—डाल दिया; वहाँ से उनके टुकड़े दूसरों के पाँव में चुभ सकते थे।

यह कार्य नागरिकता के विरुद्ध था। पर इसके खिलाफ आवाज कौन उठाये। हम सभी तो ऐसे कार्य करने के आदी हो गये हैं। फिर, उस समय इस नागरिक नियम-भंग के

अपराधी वे लोग थे, जो राष्ट्र की स्वतन्त्रता और मानरक्षा के लिए, मानो, बलिदान होने के लिए जा रहे थे। दूसरे नागरिकों को उनका आदर करना ही चाहिए था। पर वे भूल गये कि उनकी भी गलती तो आखिर गलती ही है और उसका सुधार किया जाना आवश्यक है। अन्त में टोली के नायक ने स्वयंसेवकों का ध्यान इस ओर दिलाया; फिर तो दूसरे नागरिकों ने उनके हाथ से कुल्हड़ ले लेने का प्रबन्ध कर दिया जिससे उन्हें फेंकने की जरूरत ही न रहे।

**नागरिक जीवन की अन्य बातें**—ऊपर सड़क के दुरुपयोग का एक उदाहरण दिया गया है, ऐसे अनेक उदाहरण प्रति दिन हमारे सामने आते हैं। हम बाजार में संतरे, केले, मूँगफली आदि खाते हैं, तो छिलके चाहे जहाँ डालते रहते हैं। चलते हुए हम जहाँ इच्छा होती है, थूकते रहते हैं। हम मकान में ऊपर की मञ्जिल में रहते हैं तो जब चाहा सड़क पर मैला पानी, कूड़ा-कचरा डाल देते हैं। भारत जैसे निर्धन देश में जहाँ अधिकांश आदमियों के पाँवों में जूतियाँ नहीं होती, इन बातों की ओर ध्यान देने की और भी अधिक आवश्यकता है। केले के छिलकों पर तो आदमियों के पाँव फिसलने से कई बार बड़ी दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं, पर हम इससे शिक्षा कब लेते हैं। क्या कभी हम यह सोचने का कष्ट उठाते हैं कि यदि स्वयं हम पाँव फिसलने से गिर जायँ, अथवा नंगे पाँव होने की दशा में हमारे पाँव में ककर चुभ जाय या वह थूक में भर जाय या हमारे शरीर पर मैले पानी के छींटे पड़ जायँ तो हमें कैसा

लगेगा ? जो बातें हमें बुरी लगती हैं वह हम दूसरो के लिए क्यों करते हैं ! दूसरो को वे बातें बुरी लगती हैं ; यह हम भली भाँति जानते हैं, पर यह जानते हुए भी अपने व्यवहार में इसे भूल जाते हैं ।

इस पाठ में हम थोड़ी सी उन बातों की चर्चा करेंगे, जिनका सम्बन्ध हमारे रोजमर्रा के जीवन से है । ये बहुत मामूली मालूम होने पर भी इतने महत्वकी हैं, कि यदि नागरिक इन पर अच्छी तरह ध्यान दें, और ठीक व्यवहार करें तो हमारा नागरिक जीवन कहीं अधिक सुखमय हो जाय ।

**नागरिकता का मूल मंत्र**—नागरिक जीवन सम्बन्धी ध्यान रखने योग्य मूल बात यह है कि हम अपने बात-व्यवहार में अपनी दृष्टि केवल अपने स्वार्थ या सुविधा को ओर न रखें, वरन् दूसरो के हित को ओर भी रखें । हमारा कोई कार्य ऐसा न हो, जिससे दूसरो को हानि या कष्ट पहुँचे हम दूसरो से ऐसा वर्ताव करें, जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमसे करें ।

पिछले पाठ में यह बताया जा चुका है कि किसी मनुष्य का जीवन समाज के दूसरे आदमियों के जीवन से जुड़ा या स्वतन्त्र नहीं है । प्रत्येक मनुष्य का अनेक मनुष्यों से—अपने परिवारवालों से, अपने ग्राम और नगरवालों से, अपने प्रान्त या राज्यवालों से तथा अपने राज्य के बाहर भी बहुत से आदमियों से—सम्बन्ध होता है । एक के सुख-दुख, राग, शोक और हानि-नाश का परिणाम उसी व्यक्ति तक परिमित नहीं रहता; दूसरे भी बहुत-से आदमियों को भाँगना पड़ता है । प्रत्येक समाज के

मनुष्य मानो एक जंजीर या शृङ्खला में बँधे हुए हैं; एक कड़ी के खराब हो जाने पर वह सारी जंजीर कमजोर हो जायगी, जिसका एक अंग हम भी है। अपने पड़ोसियों के बीमार रहते हुए, हमारा रोग के कौटाणुओं से सुरक्षित रहने की बात सोचना मूर्खता और शेखचिल्लीपन ही है।

**नागरिकता का व्यवहार**—इन बातों में कुछ नवीनता नहीं है। ये बातें समय समय पर अनेक विद्वानों और आचार्यों ने कही हैं। हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, व्याख्यानो में सुनते हैं; और समाचारपत्रों द्वारा भी इनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। परन्तु इतना होते हुए भी बहुत कम आदमी इनके अनुसार व्यवहार करते पाये जाते हैं। अनेक वार शिक्षित और समझदार आदमी भी इस विषय में दंभी मिलते हैं। हाँ, यह बात अचश्य है कि क्योंकि नागरिकता के नियमों की अवहेलना अधिकांश आदमी करते हैं, आम तौर से कोई किसी को टोकने या उसकी आलोचना करने का साहस नहीं करता। जो हो, आदमी नागरिक नियमों का पालन बहुत कम करते हैं।

**बस्ती अर्थात् नगर या गाँव में**—ये बातें कुछ उदाहरणों से ध्यान में आजायेंगी। गाँव की तो बात ही क्या, नगरों का विचार कीजिए, जहाँ आदमियों से अधिक शिक्षित होने के कारण, अधिक समझदारी की आशा की जाती है। म्युनिसिपैलटी या सफाई कमेटी इस बात का प्रबन्ध करती है कि नालियाँ तथा सड़कें साफ रहें और नगर का स्वास्थ्य अच्छा रहे। परन्तु जब तक इसमें नागरिकों का यथेष्ट सहयोग न हो,



होते हैं जहाँ के आदमियों का हम विशेष लिहाज नहीं करते। रेल के डिब्बे का रोजमर्रा का अनुभव क्या बतलाता है! कितने ही आदमी खाना खाकर जूठन तथा पत्ते अपनी सीट (बैठने की जगह) के नीचे ही डाल देते हैं, मूँगफली या संतरे खानेवाले, छिलके बाहर नहीं फेंकते। गन्ना चूसनेवाले भी उसके छिलके बाहर फेंकने का कष्ट नहीं उठाते। तमाखू पीने या खाने वाले अपनी सीट के पास ही थूकते हुए नहीं लजाते। कहां तक गिनावें! कभी-कभी तो इन लोगों की ऐसी आदतों के कारण किसी भले आदमी के लिये गाड़ी में बैठना कठिन हो जाता है, पर वे ज़रा भी नहीं सोचते कि उनके ऐसे व्यवहार से, उनकी थोड़ी सी आगमतलबी से, दूसरे आदमियों को कितनी असुविधा होती है। वे अपनी यात्रा पूरी करके गाड़ी से उतर जाते हैं, दूसरों के दुःख से उन्हें क्या मतलब!

मुसाफिरखानों और धर्मशालाओं में, जगह जगहव्यवहारिक नागरिकता से हमारी गन्तियों के उदाहरण मिलते हैं। इन स्थानों में प्रायः सबेरे और तीसरे पहर दो बार सफाई होती है, और इन्हे गन्दा करने का काम तो दिन भर, और हां, प्रायः रात को भी चलता रहता है। जो यात्री दोपहर को या रात में इन स्थानों में ठहरते हैं, उन्हें बहुधा परेशान होना पड़ता है; सिवाय उन थोड़े से स्थानों के जहाँ हर घड़ी सफाई करने के लिये खास तौर से आदमी मुकर्रर रहता है।

बाजार के काम में—नागरिकता की भावना के अभाव ने बाजार से चीज लाने या बेचने को एक बड़ी 'कला'

घना रखा है। चीज बेचनेवाला चाहता है कि उसकी वस्तु घटिया होने पर भी ग्राहकों को अच्छी दिखाई दे, वह उनकी आंखों में धूल भोंकन के सब प्रकार के प्रयत्न करता है, और अधिक-से-अधिक दाम लेने की धान से रहता है। जितना वह ग्राहकों को अधिक ठग सकता है, उतना ही वह अपने आपका अधिक कुशल या हीशियार समझता है। कभी-कभी ग्राहक भी अपना खाटा सिवका दुकानदार के गले में आता है, अथवा दुकानदार का धोखा देकर कुछ कम पैसे के आने में नफल हो जाता है। सब धान यह है कि न ग्राहक को यह विश्वास होना है कि



उन्हें चाहिए कि अपनी बोलचाल और व्यवहार से, अपने प्रत्येक कार्य से नागरिकता को शिक्षा दें। खासकर छोटे बालकों में अनुकरण या नकल करने की रुचि बहुत अधिक होती है, उन पर अपने माता पिता और अध्यापकों की बातों की अपेक्षा उनके कार्यों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आशा है, अपनी सन्तान का हित चाहनेवाले माता-पिता तथा अपने विद्यार्थियों की उन्नति चाहनेवाले अध्यापक इस ओर समुचित ध्यान देंगे।



## तीसरा पाठ

### राज्य और नागरिक



पाठको। तुम परिवार की बात जानते हो। पिता परिवार का पालन-पोषण करने के लिये जरूरी चीजें लाता है, माता घर का प्रबन्ध करती है। बड़े लड़के लड़कियां उन्हें उनके कार्य में यथा-शक्ति सहायता देती हैं। सब के कर्तव्य-पालन तथा सहयोग से परिवार का सुख बढ़ता है। जिस परिवार के आदमी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, अपना कर्तव्य पालन नहीं करते, वह परिवार बहुत दुखी रहता है, और पड़ोस में उसकी बड़ी निन्दा होती है, इसलिए परिवार के सब आदमियों को परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

इसी तरह तुम जानते हो कि क्रिकेट या फुटबाल के खेल में एक कप्तान (केप्टेन) होता है। उसे, खेलनेवाले इसलिए चुनते और कुछ अधिकार सौंपने हैं कि वह खेल का ठीक ठीक प्रबन्ध करे और किसी को नियम विरुद्ध कार्य न करने दे।

जिम प्रकार परिवार में परिवार के, और खेल में खेल के, नियम पालन करने की आवश्यकता है, उसी प्रकार ग्राम या नगर, तहसील, तालुका जिला या प्रान्त में इन इन स्थानों के नियम पालन किये जाने चाहिये; तभी देश में सुख शान्ति और उन्नति हो सकती है। परन्तु बहुधा आदमी इन बात को भूल जाते हैं।

**सरकार की आवश्यकता** - जिन प्रकार माता पिता की अनुपस्थिति या गैरहाजिरी में छोटे बालको का, और ग्राम की अनुपस्थिति में खेलनेवालों का कर्मा-कर्मा भंगटा हो जाता है, तभी प्रकार गाँव या नगर आदि में जब कोई नियम-पालन पालने वाला न हो, कुछ आदमी नियम भंग करने लगते हैं। यद्यपि अधिकतर मनुष्य शान्ति-प्रिय होते हैं, और अपनी इच्छा से ही सब काम नियमपूर्वक करते हैं, तथापि कुछ आदमियों

इसलिए भी होती है कि जिन कामों को आदमी अलग अलग न कर सके, उनको वह सब की ओर से कराती रहे, वह सब की उन्नति में सहायक हो। इस सस्था को सरकार या 'गवर्मेंट' कहते हैं।

साधारण बोलचाल में जिसे कुछ अधिकार या शक्ति हों, उसे ही सरकार कह देते हैं। बहुत से नौकर अपने मालिक को सरकार कहा करते हैं। परन्तु असल में सरकार उन आदमियों का समूह है, जो देश या उसके किसी भाग में सुख-शान्ति का प्रवन्ध करे और उस की, बाहर के शत्रुओं से, रक्षा करे।

भारतवर्ष (भारतीय संघ) की सरकार को 'भारत सरकार' कहते हैं, और, इस के एक-एक प्रान्तकी सरकार यहाँ की प्रान्तीय सरकार कहलाती है। इसके विषय में विशेष बातें तुम हमारी दूसरी पुस्तक 'भारतीय शासन' में पढ़ोगे। यहाँ, यह बताया जाता है कि सरकार किस-किस प्रकार के कार्य किया करती है।

**सरकार के कार्य**—कानून बनाने के अतिरिक्त, कुछ कार्य तो ऐसे होते हैं, जो प्रत्येक देश की सरकार को करने होते हैं। यदि ये कार्य न किये जायँ तो आदमी अपना रोजमर्रा का साधारण कार्य-व्यवहार न चला सके, उनका जीवन सकटमय हो जाय। ऐसे कार्यों को हम सरकार के शान्ति रखने के कार्य कह सकते हैं। ये कार्य नीचे लिखे हैं :—

(१) सरकार देश की, बाहर के शत्रुओं से, रक्षा करती है। विदेशों के आक्रमण रोकने के लिये स्थल सेना, जल सेना, तथा

वायु सेना रखी जाती है।

(२) सरकार देश के भीतर शान्ति रखती है; चोर, डाकू आदि से लोगों के जान-माल की रक्षा करती है। इस कार्य के लिए पुलिस रखी जाती है।

(३) पुलिस जिन लोगों को अपराधी समझकर गिरफ्तार करे, अथवा जिनके विरुद्ध कोई अभियोग हो, उनके विषय में सरकार यह निश्चय करती है कि वे वास्तव में अपराधी हैं या नहीं, यदि वे अपराधी हैं तो उनसे कैसा वर्तव किया जाना चाहिए या उन्हें क्या दंड दिया जाना चाहिए। यह कार्य न्यायालय करते है। बहुत-से अपराधियों को, दंड देने के लिए कैद किया जाता है। इसके वास्ते जेलों का प्रबन्ध होता है।

कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जो उपयोगी तो होते हैं, परन्तु ऐसे नहीं होते कि उनके न किये जाने से लोगों का रोजमर्रा का काम ही न चले, या उनकी जान जोखिम में रहे। फिर, जिन देशों के आदमी उन्नत अवस्था में होते हैं, उनमें उन कार्यों को वे स्वयं कर लेते हैं; सरकार को उनके करने की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर लोगों के पत्र-व्यवहार और आमदरफ्त के लिए डाक, तार और रेल आदि का प्रबन्ध करना, शिक्षा के लिए विद्यालय और महाविद्यालय चलाना, व्यापार के वास्ते बैंक खोलना, सबके बनाना, तथा रेल, ट्रामवे और मोटर आदि का प्रबन्ध करना, सैती के लिए नहरें और तालाब आदि बनवाना, स्वास्थ्य-रक्षा के लिए नगरों और ग्रामों में सफाई का इन्तजाम करना, तथा अस्पताल और शफाखाने खोलना, आदि।

राज्य की उन्नति—तुम जानते हो कि कोई गाड़ी तभी अच्छी तरह चलती है, जब उसके दोनों पहिये बराबर मजबूत और खूब चलनेवाले हो। राज्य भी एक प्रकार की गाड़ी है, जिसके दो पहिये सरकार और नागरिक हैं। राज्य की उन्नति के लिए आवश्यक है कि दोनों ही अपने-अपने कर्तव्यों का उचित रीति से पालन किया करें। जिस प्रकार सरकार का कर्तव्य है कि नागरिकों की सब प्रकार से उन्नति तथा रक्षा करे, उसी तरह नागरिकों को भी चाहिए कि सरकार के नियमों (कानूनों) का पालन किया करें, तथा आवश्यकतानुसार उसकी सहायता करते रहे। नागरिकों को यह जानना चाहिए कि सरकार द्वारा उनके देश में क्या-क्या कार्य होते हैं, तभी वे बड़े होकर उनमें सहायक हो सकते हैं, तथा, जरूरत होने पर, उचित सुधार भी कर सकते हैं। अगले पाठों में इन बातों का कुछ खुलासा विचार किया जायगा।

## चौथा पाठ

### सेना

पाठको ! पिछले पाठ में तुम यह पढ़ चुके हो कि सरकार का एक कार्य, विदेशियों की चढ़ाई से, देश की रक्षा करना है। क्या ही अच्छा हो, यदि कोई राज्य किसी दूसरे पर आक्रमण

न करे, और सब राज्य आपस में प्रेम-भाव रखें। परन्तु वर्तमान अवस्था में प्रायः हर एक राज्य को दूसरों के आक्रमण का भय रहता है। दूसरों से अपनी रक्षा करने के लिए, प्रत्येक देश में कुछ आदमी ऐसे रखे जाते हैं जो युद्ध विद्या में निपुण हो, जिन्होंने तलवार, बन्दूक या तोप चलाना आदि सीख लिया हो। इन आदमियों के समूह को सेना कहते हैं।

**सेना के भेद**—दूसरे देशों की तरह भारतवर्ष में भी प्राचीन काल में लड़ाइयाँ भूमि या स्थल पर होती थी, और उनमें (स्थल-सेना के) पैदल या घुड़सवार सिपाही भाग लेते थे। परन्तु अब समुद्र पर भी लड़ाइयाँ होती हैं, इन लड़ाइयों में जल-सेना काम करती है। जलसेना में लड़ाकू जहाज, पनडुब्बियाँ तथा उन पर रहनेवाले सिपाही होते हैं। इसके अतिरिक्त, विज्ञान की उन्नति हो जाने पर, अब आकाश से हवाई जहाजों द्वारा वम के गोले बरसाये जा सकते हैं। इसके लिए सरकार वायु-सेना के आदमी तथा सामान रखती है। इस प्रकार आजकल सेना तीन प्रकार की होती है:—(१) स्थल-सेना, (२) जल-सेना और (३) वायु-सेना।

**स्थल-सेना**—पहले सेना कहने से स्थल-सेना ही समझी जाती थी। इस समय भी इसी का महत्व विशेष है। प्राचीन समय में यहाँ सेना 'चतुरगिणी' होती थी, अर्थात् उसके चार अंग होते थे—पैदल सिपाही, घुड़सवार (रिसाला), रथ और हाथी। तुमने सुना ही होगा कि महाभारत की लड़ाई में पांडवों की सेना का प्रधान व्यक्ति अर्जुन रथ पर सवार था, जिसे

श्रीकृष्णजी ने हाँका था। इसी प्रकार तुमने पढ़ा होगा कि पोरस और सिकन्दर की लड़ाई के समय यहाँ सेना में हाथियों का कैसा महत्वपूर्ण भाग था। आधुनिक काल में सेना में रथ और हाथी नहीं होते। हाँ, अब दो नये अंग और रहने लगे हैं, तोपखाना और सपरमेना। 'सपरमेना' में इंजिनियर और ओवरसियर आदि होते हैं, जो आगे जाकर सेना के लिए पुल, सड़क आदि बनाते हैं।

सारी सेना भारत-सरकार की निगरानी में रहती है। प्रधान सेनापति को जंगी लाट या कमांडरन चीफ कहते हैं। स्थल सेना का मुख्य भाग हर समय, स्थायी रूप से, लड़ाई के लिए तैयार रहता है। यह भारतवर्ष की सीमा पर रहता है। इसे 'रेग्यूलर सेना' कहते हैं। पहले शान्ति-काल में इसके सिपाहियों और अफसरों में आम तौर पर लगभग ढाई लाख आदमी होते थे। ऊँचे अफसर प्रायः सब ही अंगरेज होते थे।

स्थल सेना में रेग्यूलर या स्थाई सेना के अलावा कुछ सहायक या 'आग्ज़ीलियरी' सेना होती है। इसके तीन भेद हैं :—  
 १—कुछ सेना ऐसी होती है, जो देश के बाहर नहीं भेजी जाती, यहाँ ही लड़ती है। इसे मुल्की वा 'टेरीटोरियल' सेना कहते हैं। इसी सेना में भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों की 'यूनिवर्सिटी ट्रेनिङ्ग कोर' रहती थी; इसमें कालिजों के ऐसे विद्यार्थी और प्रोफेसर होते थे, जो सैनिक शिक्षा पाये हुए हों। अब केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की है। इसके अनुभार सीनियर डिवीजन में कालिजों के छात्र, और जूनियर डिवीजन

मे स्कूलों के छात्र रहेंगे। एक महिला डिवीजन भी रहेगा। प्रान्तीय सरकारें इस योजना को प्रान्तों में लागू कर रही हैं। २—सेना का एक भाग नौकरी किये हुए आदमियों का होता है, जो अपना-अपना निज का काम करते हैं, और आवश्यकता होने पर हथियारबन्द हो जाते हैं। ये प्रायः वन्दरगाहों, रेलों, छावनियों तथा नगरों की रक्षा करते हैं। इनकी सेना को रिजर्व सेना कहते हैं। ३—भारतवर्ष की बड़ी-बड़ी रियासतें पहले अंगरेज अफसरों के अधीन कुछ पलटनें रखती थीं। इनमें रियासतों के आदमी भरती किये जाते थे। इस प्रकार की सेना को भारतीय-राज्य-सेना वा 'इंडियन स्टेट्स फोर्स' कहते थे। इसकी वर्तमान स्थिति के विषय में विशेष आगे लिखा जायगा।

**जल-सेना**—जल-सेना की शक्ति लड़ाकू जहाजों से जानी जाती है। इसका काम सैनिकों, तथा युद्ध के सामान को लाना-लेजाना, हिन्द महासागर में पहरा देना; समुद्री डाकूओं का दमन, वन्दरगाहों की रक्षा और समुद्री नाप-जोख करना है।

**वायु-सेना**—वायु-सेना की शक्ति का हिसाब वायुयानों (हवाई जहाजों) से लगाया जाता है। इसके संचालक को 'एअर वाइस मार्शल' कहते हैं। हवाई जहाजों पर बैठकर उड़ने की शिक्षा देने के लिए कुछ स्थानों में 'मिलिटरी फ्लाईंग स्कूल' खोले गये हैं। भारतवर्ष में वायु सेना का उपयोग अधिकतर पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में हुआ है।

**सेना का कार्य**—सेना का मुख्य कार्य देश की बाहर के



आक्रमणकारियों से रक्षा करना है। इसलिए सीमा के स्थानों पर काफी सेना रहती है। आवश्यकतानुसार दूसरे स्थानों से भी सेना वहाँ मँगायी जा सकती है। सीमा की रक्षा के अलावा सेना देश की भीतरी शान्ति के लिए भी काम आती है और इसलिए वह स्थान-स्थान पर छावनियों में रखी जाती है। यों तो शान्ति रखने का कार्य पुलिस का है; परन्तु विशेषदशाओं में, भारी उपद्रव आदि होने पर, सेना की सहायता ली जाती है।

**हमारी वर्तमान रक्षा-समस्या**—अगस्त १९४७ तक भारत-वर्ष ब्रिटिश सरकार के अधीन था, वही इसकी रक्षा के लिए जिम्मेदार थी। उस दशा में भारतीय सेना का उद्देश्य यह था कि वह ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा करे और भारतवासियों को स्वाधीन, या दूसरे राज्य के अधीन, न होने देकर इंग्लैंड के ही अधीन बनाए रखे। अब भारतवर्ष के स्वतंत्र हो जाने पर इस देश की रक्षा का उत्तरदायित्व यहाँ की स्वतन्त्र सरकार पर आ गया है।

भारतवर्ष का विभाजन हो जाने से रक्षा की समस्या अब पहले से अधिक जटिल हो गई है। पहले भारतवर्ष की पश्चिमोत्तर सीमा खैबर दर्रा मानी जाती थी। अब जो भारतीय संघ राज्य बना है, उसकी पश्चिमोत्तर सीमा पंजाब के मध्य में (पूर्वी पंजाब के पश्चिम में) आ गई है। इसके आगे पाकिस्तान है। वह इतना समर्थ नहीं है कि अगर पश्चिमोत्तर दिशा से रूस का आक्रमण हो तो उसका सामना कर सके; वह इंग्लैंड और अमरीका का आसरा लकेगा, और उनकी फौजों को अपने यहाँ टिकाएगा।

इससे रूस को क्षोभ होना स्वाभाविक है। यदि भारतवर्ष अखड़ हो तो रूस इस पर हमला करने का साहस ही न करे।

इस समय रूस और भारतीय संघ को विदेश नीति को देखने हुए भारतीय संघ को रूस के आक्रमण की विशेष आशंका नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के बारे में जहाँ-तहाँ शंका है। वह भारतीय संघ के अधिक से अधिक भाग में अपना अधिकार जमाने का स्वप्न देखता है। उमें अपनी शक्ति का इतना भरोसा नहीं है पर वह भारतीय संघ के पंचमांगी (भीतरी शत्रु) मुसलमानों को अपनी ओर मिलाने की आशा करता है। यह भी है कि पिछले दिनों कितने ही मुसलमानों ने राजद्रोह और विद्रोहों का परिचय दिया। परन्तु अब परिस्थिति सुधर रही है, और अगर पाकिस्तान ने उनके भरोसे भारतीय संघ पर हमला किया तो उसे इसका दुष्परिणाम भोगना होगा। तथापि भारतीय संघ को पाकिस्तान के विषय में सावधान रहना

प्रभुत्व बढ़ा रहा है जिसका राजनैतिक प्रभाव पड़ें बिना न रहेगा। अस्तु, स्वतन्त्र भारत को अमरीका की ओर से सावधान रहना तथा दक्षिण पूर्वी समुद्री किनारे की सुरक्षा की व्यवस्था करना होगा।

**सैनिक व्यय**—हमारी पराधीनता के समय ब्रिटिश सरकार सेना की मद में खूब खर्च करती थी, उस खर्च का बहुत-सा भाग भारतवर्ष की दृष्टि से अनावश्यक था। उस खर्च से ब्रिटिश साम्राज्य का हित-साधन होता था। साधारण समय में सैनिक-व्यय चालीस करोड़ से लेकर सत्तर करोड़ रूपए तक किया जाता था। युद्ध काल में इसकी कोई सीमा नहीं रही। सन् १९४१-४२ में १०२ करोड़ रूपए खर्च हुआ, उस समय सेना में पाँच लाख से अधिक सैनिक थे। ज्यों-ज्यों लड़ाई बढ़ी, सैनिक व्यय बढ़ता गया; सन् १९४४-४५ में यह तीन सौ करोड़ रूपए से अधिक था। यह व्यय-भार असह्य था, पर पराधीनता के कारण लाचारी थी। विभाजन से पहले भारत-सरकार ने अखंड भारत के लिए सेना की मद में प्रति वर्ष एक सौ दस करोड़ रूपए व्यय करना निश्चय किया था, पर अब विभाजन हो जाने पर केवल भारतीय संघ को ही इससे अधिक व्यय करना होगा। पर स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अभी यह आवश्यक है।

**सेना का राष्ट्रीयकरण**—सेना के राष्ट्रीयकरण की बात बहुत समय से चल रही थी, पर ब्रिटिश सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सेना के प्रायः सभी उच्च पदों पर अंगरेजों की ही नियुक्ति की जाती रही, यहाँ तक कि उनकी संख्या ६५ प्रति-

शत तक होती थी। स्वतन्त्र होने पर इस नीति में अन्तर आया। अप्रैल १९४८ से भारतीय सेना के सभी उच्च पदों पर, जिनमें प्रधान सेनापति पद भी हैं, भारतीय हैं। हाँ, सेना-विशेषज्ञ और सेना-शिक्षक अभी कुछ समय तक अंगरेज रहेंगे। आशा है, यह अवधि शीघ्र समाप्त होगी। इस प्रसंग में यह याद रखना चाहिए कि भारतीय सेना से अंगरेज अफसरों को हटा कर उनकी जगह चाहे-जैसे भारतीयों की नियुक्ति करना ठीक नहीं है। सेना के राष्ट्रीयकरण का असली अर्थ यह है कि सेना में देशभक्ति के भाव पूर्ण रूप से भरे हों; कोई आदमी राष्ट्रीयता विरोधी न हो। अफसरों की भरती में यह बात खास तौर से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हरेक सैनिक को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह अपने आपको जनता का आदमी समझे; उसका उद्देश्य जनता की रक्षा करना हो; वह किसी भी दशा में अपने आपको साधारण भारतीय से ऊँचा न माने, जैसा अंगरेजों के शासन-काल में होता रहा है।

सैनिक पुनर्निर्माण सम्बन्धी दूसरा प्रश्न रियासती सेनाओं का है। गत वर्ष २१६ रियासतों तो भारतीय संघ के प्रान्तों में मिला गईं हैं, २२ रियासतों केन्द्रीय सरकार के शासनमें आ गईं हैं, ४१ रियासतों के साथ संघ बन गये हैं। कोई डेटे वर्जिन रियासती का एं पृथक् अस्तित्व है, इनमें से भी अधिकांश प्रान्तों या रियासती सदों में शामिल होने वाली है। इस प्रकार रियासती तथा रियासती सदों की संख्या नगण्य तक वर्जिन रह जायेगी, वे भारतीय संघ की संरक्षा के अन्तर्गत ही सब रियासतें

हैदराबाद को छोड़ कर. भारतीय संघ में सम्मिलित हैं, और हैदराबाद भी जल्दी ही सम्मिलित होकर रहेगा। अस्तु, उपर्युक्त रियासतों या रियासती सघों में जो सेनाएँ हैं. उनका शस्त्रीकरण उसी पद्धति से होना चाहिए जिससे भारतीय संघकी सेना का होता है, जिससे वे सेनाएँ भारतीय संघ के सेनाधिकारियों की निगरानी में. संघकी सेना के साथ मिलकर, सुचारु रूप से काम कर सकें।

यह भी आवश्यक है कि भारतीय सेना पहले की तरह अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों के आश्रित न रहे। खेद है कि सन् १९४८ में भी भारतवर्ष आधुनिक प्रकार के अधिकांश जहाज स्वयं न बना कर खरीद रहा है। यही बात वायुसेना तथा स्थल सेना के यन्त्रीकरण के साधनों पर नागू होती है। हममें नये ढङ्ग की सैनिक सामग्री बनाने की यथेष्ट क्षमता होनी चाहिए।

कुछ सज्जनों का मत है, और बहुतों की इच्छा है कि भारत अब आजाद हो गया है; इसमें न फौज हो, न हथियार; हाँ, लोक-सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के उत्सुक वीर सत्याग्रही दिलों का यथेष्ट संगठन हो। ऐसा समय कब आएगा ?

## पाँचवाँ पाठ

### पुलिस

पाठको ! पिछले पाठ में तुम यह पढ़ चुके हो कि देश को वाहर के शत्रुओं से बचाने के लिए सेना रखी जाती है। अब,

इस पाठ में हम तुम्हें यह बतलायेंगे कि देश के भीतर लोगों की जान-माल की रक्षा करने के लिए क्या प्रबन्ध किया जाता है। तुम अधिकतर देश के भीतर ही रहते हो, सीमा पर नहीं। इसलिए देश की भीतरी शान्ति के सम्बन्ध में कुछ बातें तुम स्वयं जानते होगे। तुम नित्य शहरों में और गाँवों में पुलिस के आदमियों का गश्त लगाते और पहरा देते हुए देखते हो, पुलिस के इन कामों का उद्देश्य यह होता है कि देश के अन्दर शान्ति रहे, चोर-डाकू उपद्रव न मचावें, अपराधियों की खोज की जाय, और उन्हें न्यायालय पहुँचाया जाय।

पहले यहाँ प्रत्येक गाँव या शहर के आदमी अपनी रक्षा का प्रबन्ध स्वयं करते थे। वे शहरों में कोतवाल, तथा गाँवों में चौकीदार और नम्बरदार रखा करते थे। उन्हें पैदावार का कुछ भाग दिया जाता था। अगरेजों की अमलदारी में यहाँ वेतन पानेवाली पुलिस रखी जाने लगी।

**साधारण पुलिस**—खाकी (या नीली) वर्दी और लाल साफेवाले पुलिस के सिपाही को तुम जानते ही हो। जिले में पुलिस दो तरह की होती है, एक के पास हथियार होते हैं, दूसरी के पास नहीं होते। हथियारबन्द अर्थात् सशस्त्र पुलिस का काम सरकारी खजानों का पहरा देना, कैदियों के साथ जाना, और डाकूओं के दल पर चढ़ाई करना है। उसे फौजी ढङ्ग पर कबायद करना और गोली चलाना सिखाया जाता है। अशस्त्र पुलिस सरकारी जुर्माना वसूल करती है, सड़को पर भीड़ न होने देने का प्रबन्ध करती है, आवारा कुत्तों को मारती

है, और अपराधियों को पकड़ती है। अपराधों को रोकने के लिए पुलिस पुराने अपराधियों पर दृष्टि रखती है। थानों में बदमाशों और गुण्डों का रजिस्टर रखा जाता है।

**खुफिया पुलिस**—सरकार कुछ कर्मचारी इसलिए भी रखती है कि वे गुप्त रूप से पता लगाते रहे कि प्रजा के कौन-कौन आदमी सरकार के विरुद्ध षडयंत्र, जालसाजी अथवा डकैती करते हैं या नकली सिक्का आदि बनाते हैं। इन कर्मचारियों को 'सी. आई. डी.' या खुफिया पुलिस कहते हैं। दूसरी पुलिस की तरह इसके कर्मचारियों की खास वर्दी नहीं होती। यह हमारे तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहनते हैं; इस लिए इन्हें कोई पहचान नहीं सकता, और यह चुपचाप गुप्त रूप से अपना काम करते रहते हैं। एक-एक प्रान्त की खुफिया पुलिस के प्रधान अफसर का दर्जा साधारण पुलिस के डिप्टी-इन्स्पेक्टर-जनरल के बराबर होता है। इसके अधीन कुछ इन्स्पेक्टर और सबइन्स्पेक्टर होते हैं।

अगरेजों के शासन-काल में खुफिया पुलिस खासकर देश-प्रेमी या राष्ट्रीय भावना वाले सज्जनों के पीछे लगी रहती थी, उसका मुख्य काम लोगों के आज्ञादीके विचारों को कुचलना था। अगस्त १९४७ में भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर भी उसने जनता की गुंडे और बदमाशों से रक्षा करने की ओर ध्यान न दिया। हजारों साम्प्रदायिक मुसलमानों ने गुप्त रूप से इथियारों का संग्रह करके दंगों के लिए तैयारी की। राष्ट्रीय नेताओं को मारने के लिए षडयन्त्र रचे गए, और जनता अपने राष्ट्र-पिता गांधी

को खो बैठी। खुफिया पुलिस ने इस विषय में घोर उपेक्षा और अकर्मण्यता का परिचय दिया। अब सरकार इस ओर सतर्क हो गई है, और सुधार कर रही है।

**रिज़र्व पुलिस**—सरकार कुछ पुलिस ऐसी भी रखती है, जिसे किसी खास जगह काम करना नहीं होता, यह जहाँ-ज़रूरत होती है, वहाँ भेज दी जाती है। इसे 'रिज़र्व पुलिस' कहते हैं। जब सरकार को यह मालूम होता है कि किसी विशेष ग्राम या नगर में अधिक उपद्रव होते हैं, तो वह वहाँ इस पुलिस में से कुछ भेज देती है, और इसका खर्च उस स्थानवालों से वसूल करती है। इसे 'प्यूनिटिव' पुलिस कहते हैं। 'प्यूनिटिव' का अर्थ है, दण्ड सम्बन्धी।

**रेलवे पुलिस**—स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में भी पुलिस की आवश्यकता होती है, इसके लिए अलग पुलिस रहती है। इसके आदमी स्टेशनों पर काम करते हैं, तथा रेल में मुसाफिरों के साथ जाते हैं।

**पुलिस का संगठन**—पुलिस का संगठन प्रान्तवार है, अर्थात् अलग-अलग प्रान्तों की पुलिस जुदा-जुदा है। प्रान्तीय पुलिस का प्रधान अफसर इन्स्पेक्टर-जनरल कहलाता है। उसके अधीन डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल होते हैं। ये एक-एक 'रेन्ज' की निगरानी करते हैं, जिसमें आठ-दस जिले होते हैं। प्रत्येक जिले में एक पुलिस-सुपरिटेन्डेन्ट रहता है, यह जिले की शान्ति के लिए जिला-मजिस्ट्रेट के, तथा अपराधों की खोज और निवारण के लिए डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल के, अधीन होता है। इसके एक



या अधिक सहायक या डिप्टी सुपरिटेण्डेंट रहते हैं।

प्रत्येक ज़िला तीन-चार सर्कलो या हलको में, और एक हलका ४-५ पुलिस-स्टेशन या थानो में, बंटा रहता है। थाने का औसत क्षेत्रफल २०० वर्ग मील है, इसमें कई पुलिस-चौकियाँ होती हैं। प्रत्येक हलका एक इन्स्पेक्टर के अधीन, और थाना सबइन्स्पेक्टर (थानेदार) के अधीन होता है। सबइन्स्पेक्टर अपराधों की खोज तथा जाँच करता है, और अपने क्षेत्र की शान्ति का उत्तरदाता है; इन्स्पेक्टर का काम केवल निरीक्षण सम्बन्धी होता है। सबइन्स्पेक्टर के नीचे एक हेडकान्स्टेबल और कई कान्स्टेबल रहते हैं। शहरों में एक-एक कोतवाल भी होता है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में पृथक् पृथक् पुलिस, कमिश्नरों तथा उनके दो या अधिक सहायकों के अधीन, रहती है। प्रत्येक थाने में कई कई गाँव होते हैं।

गाँवों में पुलिस का काम चौकीदार करते हैं। जब वहाँ कोई चोरी आदि हो जाती है, तो चौकीदार उसका सूचना थाने में करता है। थानेदार उसको आवश्यक जाँच तथा प्रबन्ध करता है। पहले भारतवर्ष में थानों की संख्या दस हजार, पुलिस कर्मचारियों की संख्या दो लाख के करीब, और वार्षिक व्यय लगभग ग्यारह करोड़ रुपये होता था; अब तो सब बातें बहुत बढ़ी हुई हैं।

रेलवे पुलिस का संगठन पृथक् है। इसका ज़िला-पुलिस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

जनता के सहयोग की आवश्यकता—पुलिस अपराधियों

की खोज या गिरफ्तारी आदि का कार्य अच्छी तरह तभी कर सकती है, जब उसे जनता का यथेष्ट सहयोग प्राप्त हो। परन्तु यहाँ जन साधारण का उससे सहयोग करना दूर रहा, वे उसे देखकर ही घबरा जाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पुलिस कर्मचारी अपने आपको प्रजा का सेवक न समझ कर उस पर अपनी धाक जमाने की फिक्र में रहते हैं। लोगो को डर रहता है कि कहीं पुलिसवाले के पास जाने और उससे बातचीत करने से हम किसी व्यर्थ के झंझट में न फँस जायँ। आवश्यकता है कि पुलिसवाले अपने कर्तव्य को समझें। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे अपने सेवा-कार्य और उत्तरदायित्व को ठीक तरह निभाएँ, वे लोगो से प्रेम और सभ्यता का व्यवहार करते हुए हर प्रकार उनके सहायक हों। तब ही उन्हें जनता का सहयोग अच्छी तरह मिलेगा।

**प्रान्तीय रक्षा-दल**—पिछले वर्षों में मुसलिम लीग ने भारतवर्ष में जो साम्प्रदायिक विष फैलाया, उससे स्वतन्त्र भारत के सामने आन्तरिक सुरक्षा के प्रश्न ने बहुत ही जटिल रूप धारण किया। १५ अगस्त १९४७ को भारतवर्ष स्वाधीन और विभाजित हुआ। उसके बाद यहाँ बहुत से मुसलमानों ने पांचवे दस्ते या भीतरी शत्रु का काम किया। स्थान-स्थान पर गृहयुद्ध, स्त्रियों को भगाने और बेइज्जत करने, लूट मार, आग लगाने, आदि की दुर्घटनाएँ हुईं। अब प्रान्तों में प्रान्तीय रक्षा-दलों की स्थापना हो रही है। रक्षा-दल का उद्देश्य लोगों को

सैनिक शिक्षा देकर सच्चा नागरिक बनाना है। इसका काम होगा मा वहनों की रक्षा करना, मुनाफेखोरी तथा घूसखोरी रोकना, (भूठी) अफवाहे न फैलने देना, सरकारी सूचनाएँ और जरूरी खबरें जगह-जगह पहुँचाना आदि। यदि संकट पड़ने पर प्रान्त या देश की रक्षा के लिए लड़ने की आवश्यकता होगी तो रक्षा दल के युवक इसके लिए वलिदान होने को तैयार रहेंगे। शान्तिकाल में ये सैनिक जनता का अज्ञान दूर करेंगे, उसमें सहयोग तथा नागरिकता की भावना बढ़ावेंगे, और जाति-भेद तथा अछूतपन आदि आदि सामाजिक कुरीतियाँ और अधविश्वास दूर करेंगे।

**पुलिस सम्बन्धी खर्च**—पहले भारतवर्ष भर में पुलिस का वार्षिक व्यय दस-बारह करोड़ रुपए होता था, परन्तु क्योंकि उन दिनों पुलिस जनता पर अगरेजी हुकूमत का आतंक जमाने में लगी रहती थी, उसका यह खर्च भी लोगों को बहुत अखरता था। अब पुलिस का काम गुण्डो, बदमाशों, तथा चोर डाकूओं की खोज करना और नागरिक जीवन सुखमय बनाना है। इसलिए इस मद में खर्च बहुत बढ़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर जहाँ संयुक्तप्रान्त में पहले सालाना खर्च दो करोड़ रुपए से भी कम था, अब सात करोड़ रुपये खर्च होता है। उद्देश्य की दृष्टि से इस समय यह खर्च आवश्यक है, तथापि भविष्य में इसे यथाशक्ति घटाया जाना चाहिए। इसके लिए नागरिकों को चाहिए कि मेलजोल से रहे, साम्प्रदायिक भावनाओं से बचें, और गुण्डो और बदमाशों का दमन करने में पूर्णरूप से


सहायक हो, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के माननेवाले हो ।  
ऐसा होने पर पुलिस की अधिक आवश्यकता न रहेगी, और  
उसका खर्च खुद ही घट जायगा ।

**सड़क के नियम**—तुम जानते हो कि पुलिस के सिपाही  
शहरों में सड़कों के चौराहे पर खड़े हुए यह देखते रहते हैं कि  
गाड़ी, इक्के, तांगे, साइकल तथा मोटर आदि ठीक नियम से  
चलते हैं या नहीं, उनसे किसी को चोट-चपेट तो नहीं आती  
या कोई लड़ाई-झगड़ा तो नहीं होता । सड़क सम्बन्धी नियम  
प्रत्येक नागरिक को जानने चाहिए । हम यहाँ कुछ मुख्य-मुख्य  
नियम देते हैं:—

(क) पैदल चलने वालों के लिए । (१) जहाँ तक सम्भव हो,  
हमेशा अपने बायें हाथ को चलना चाहिए । जहाँ सड़क के किनारे  
पटरी या पगडण्डी हो तो उस पर चलना चाहिए । सड़क के  
बीच में या दायीं ओर को न चलो (२) सड़क पर खड़े होकर कोई  
काम या किसी से बातचीत न करो । जब सड़क पार करनी हो  
तो पहले देखलो कि सड़क पर किसी तरफ से कोई सवारी तो  
नहीं आ रही है, यदि आती दिखाई दे तो पहले उसे निकल  
जाने दो ।

(ख) सवारियों के लिए । (१) सड़क पर, अपने बायें हाथ को  
रहो । (२) बहुत ही आवश्यकता हुए बिना दूसरे के आगे न निकलो ।  
विशेष दशा में जब आगे निकलना ही पड़े तो घंटी या पोंगा बजाकर  
आगे की सवारी को सूचित कर दो । सूचना पाने पर आगेवाली सवारी  
दायीं तरफ हटकर पीछे आनेवाली सवारी को आगे बढ़ने के लिए  
रास्ता देदे । (३) यदि किसी सवारी को रास्ते में, बिगड़ जाने से या  
किसी विशेष कारण से, रुकना पड़े तो उसे सड़क के बायीं तरफ

किनारे पर खड़ा होना चाहिए। (४) बैलगाड़ीवालों को जब मालूम होता है कि कोई मोटर आ रही है तो उन्हें बहुधा बैलों को रोकने के लिए गाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है, जिससे बैल मोटर से भटक न जायें। ऐसी दशा में बैलगाड़ीवालों को सड़क के बीच न उतर कर उसके (बायें) किनारे उतरना चाहिए। (५) प्रत्येक सवारोंवाले को चौराहे पर खड़े हुए पुलिस के आदमों के संकेतों का ज्ञान होना चाहिए और उसके आदेश का पालन करना चाहिए। (६) दिन छिपते ही प्रत्येक सवारोंवाले को अपनी सवारी में रोशनी कर लेनी चाहिए।



## छठा पाठ

### अदालतें



पिछले पाठ में तुम पुलिस का हाल पढ़ चुके हो। जिस आदमी को पुलिस अपराधी समझकर गिरफ्तार करती है, अथवा जिस पर कोई मनुष्य किसी प्रकार का मुकदमा चलाता है, उसके विषय में यह निश्चय करना होता है कि वह असल में अपराधी है या नहीं; और यदि यह अपराधी है तो उसे क्या और कितना दण्ड मिलना चाहिए। यह कार्य पुलिस नहीं कर सकती, इसे पंचायत, न्यायालय या अदालत करती है। इसके लिए खास आदमी रहते हैं, जिन्हें पंच मुन्सिफ, मजिस्ट्रेट या

जज आदि कहते हैं। ये दोनो पक्ष की बातें सुनते हैं। बहुधा ये उनकी बातों के सम्बन्ध में, उनके पेश किये हुए गवाहों के बयान भी सुनते हैं। अदालत में प्रायः दोनो पक्षवाले अपना अपना वकील कर लेते हैं, जो अदालतको उनकी बात कानून की दृष्टि से समझाता है। मुकदमे के बारे में आवश्यक बातें सुनकर अदालत अपना फैसला देती है; जिस आदमी को वह अपराधी समझती है, उसे दण्ड देती है। दण्ड देने के विषय में सरकारी कानून की पुस्तकें मौजूद हैं, उनके अनुसार अपराध का विचार किया जाता है।

**अदालतों की आवश्यकता**—शायद तुम सोचते होगे कि ऐसे कार्य के लिए अदालत की क्या आवश्यकता है। जिस आदमी की कोई हानि हो या जिसे चोट लगे, वही आदमी अपराध करनेवाले को अपनी इच्छानुसार दण्ड दे लिया करे। प्राचीन काल में बहुत से स्थानों में ऐसा ही होता था। पर, इससे बहुत गड़बड़ी मचती थी। उदाहरण के लिए कल्पना करो राम से मोहन की कुछ हानि होने पर मोहन स्वयं ही उसे दण्ड देने

भगड़ा होगा। इस प्रकार समाज में द्वेष और कनह बढ़ता ही जायगा। इसलिए पंच, पंचायत या अदालतों द्वारा न्याय कराना अच्छा है।

**फौजदारी और दीवानी मामले**—तुमने कर्मा-कर्मी लोगों को यह कहते सुना होगा कि वहाँ फौजदारी या मारपीट हो गई, या यह कि उन लोगों का लेनदेन आपस में नहीं निपटा, अब दीवानी में मामला चलेगा। इस प्रकार अदालतों में जो मामले-मुकद्दमे चलते हैं, वे या तो फौजदारी के होते हैं, या दीवानी के। इनका भेद उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो जायगा। कल्पना करो कि एक आदमी चोरी या लूट-मार करता है या किसी को गाली देता है। ये अपराध समाज के विरुद्ध माने जा सकते हैं, ऐसा आदमी चाहे-जिसका माल-असबाब चुरायेगा, और चाहे-जिसे गाली देगा। ऐसे आदमियों से चाहे-जिसकी हानि हो सकती है। इस प्रकार के, अर्थात् चोरी या मारपीट आदि के, अपराध फौजदारी के अपराध कहलाते हैं। इनका फैसला फौजदारी अदालतें करनी हैं।

अब हम दूसरे प्रकार के अपराधों का उदाहरण लेते हैं। कल्पना करो कि एक आदमी किसी से रुपया उधार लेकर उसे चुकाता नहीं। यह उसी मनुष्य की हानि करता है, जिसने उसे उधार दिया है। समाज के दूसरे आदमी उससे इस प्रकार का व्यवहार न करके, हानि से बचे रह सकते हैं। ऐसे अपराधों को दीवानी अपराध, और इनका फैसला करनेवाली अदालतों को दीवानी अदालतें कहते हैं।

**फौजदारी अदालतें**—कहीं-कहीं तो एक जिले में, और कहीं कुछ जिलो के एक समूह में, एक सेशन कोर्ट या फौजदारी अदालत होती है। इसका प्रधान अधिकारी सेशन-जज कहलाता है। यह वही व्यक्ति होता है, जो जिला-जज की हैसियत से दीवानी मामलो का फैसला करता है। सेशन-जज फॉर्सी का दंड दे सकता है; परन्तु इस दण्ड की मंजूरी उस प्रान्त की ऊँची अदालत अर्थात् हाईकोर्ट आदि से मिल जानी चाहिए।

सेशन-जज अपने कार्य में कुछ दूसरे आदमियों की भी सह-यता लेता है। ये शहर के अच्छे शिक्षित और विचारवान लोगो में से चुने जाते हैं, इन्हें 'जूरर', तथा इनके समूह को 'जूरी' कहते हैं। साधारण छोटी जगहों में इनके स्थान पर 'असेसर' रहते हैं। सेशन-जज इन्हें मुकदमे की सब बात समझाकर इनकी सम्मति लेता है। जूरी की राय तो जज को माननी ही पड़ती है, परन्तु असेसरों की राय वह माने या न माने, यह उसकी इच्छा पर निर्भर रहता है।

**मजिस्ट्रेट और उनके अधिकार**—सेशन-जजों के नीचे पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट रहते हैं। पहले दर्जे के मजिस्ट्रेट को दो साल तक की कैद और एक हजार रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार होता है। दूसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट छः महीने तक की कैद और दो सौ रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं। तीसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट एक मास की कैद और पचास रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं। कुछ शहरों में आनरेरी



मजिस्ट्रेट रहते हैं; ये अवैतनिक होते हैं, अर्थात् इन्हें तनखाह नहीं मिलती। इनमें से किसी को पहले दर्जे के मजिस्ट्रेट के अधिकार होते हैं, किसी को दूसरे दर्जे या तीसरे दर्जे के।

**दीवानी की अदालतें**—प्रायः हर एक जिले में एक जिला-जज होता है। उसकी अदालत जिले में सबसे बड़ी दीवानी अदालत है। उसमें नीचे की अदालतों के फैसलों की अपील हो सकती है। जिला-जज के नीचे 'सबजज' होते हैं। सयुक्तप्रान्त में सबजज को सिविल जज कहते हैं। इसके नीचे मुन्सिफ का दर्जा है। मुन्सिफों के पास आम तौर पर १०००) ६० तक के मुकदमों पेश होते हैं। सबजज की अदालत में बड़ी-से-बड़ी रकम तक का मामला दायर हो सकता है; जिला-जज की अदालत में १०,०००) ६० से अधिक का मुकदमा दायर नहीं हो सकता।

**अपराधियों को दंड**—भारतवर्ष की अदालतों में प्रायः ये दंड दिये जाते हैं :—(क) जुर्माना, (ख) बेल या कोड़े लगाना (ग) सादी कैद (घ) सरुत कैद, जिसमें कुछ समय की एकान्त की कैद भी सम्मिलित है, (च) देशनिकाला या कालापानी, और (छ) प्राणदंड या फाँसी। सादी कैदवालों को कुछ काम नहीं करना पड़ता। सरुत कैदवालों को उनके लिए नियत किया हुआ कार्य करना होता है।

दंड देने के चार उद्देश्य होते हैं :—(१) समाज की अपराधियों से रक्षा करना, (२) जिस व्यक्ति को दंड मिले, उसके आचरण का सुधार करना, (३) दूसरों को शिक्षा देना, जिससे वे ऐसे कार्य न करें, और, (४) जिसकी हानि हुई हो, उसे या

उसके सम्बन्धियों को संतोष दिलाना। वर्तमान दंड-व्यवस्था से ये उद्देश्य कदां तक सिद्ध होते हैं, और उसमें क्या सुधार होना चाहिए, इसका विचार हमारी 'अपराध चिकित्सा' पुस्तक में किया गया है।

**फैसलों की अपील**—यदि कोई मनुष्य मुकदमे के सम्बन्ध में किसी अदालत के फैसले से संतुष्ट न हो तो वह उसका विचार उससे उंचे दर्जे की अदालत से करा सकता है। इसे 'अपील करना' कहते हैं। फौजदारी के मुकदमों में, दूसरे और तीसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट के फैसले की अपील जिला-मजिस्ट्रेट के यहाँ, और पहले दर्जे के मजिस्ट्रेट के फैसले की अपील सेशन जज के यहाँ होती है। 'सेशन जज' के फैसले की अपील प्राप्त के चीफकोर्ट या हाईकोर्ट में होता है। पानी की सजा पानेवाला आदमी गवर्नर या गवर्नर-जनरल से दया के लिए प्रार्थना कर सकता है।

दाखानी के मुकदमों में मुन्सिफ के फैसलों की अपील जिला-जज के पास हो सकती है, वह चाहे तो उसे मजज के पास भेज सकता है। सबजज या जिला-जज के फैसलों की अपील, कुछ मामलों में, हाईकोर्ट में हो सकती है। कुछ मामलों में हाईकोर्ट के फैसलों की अपील इन्होंने के सपेन्द्रायालय में पहुँचती है। इसके विषय में हम पीछे पढ़ेंगे।

मुन्सिफ तहसीलदार आदि रहते हैं। इन्हें मालगुजारी सम्बन्धी फैसला करने के बाँडे-बहुत अधिकार हैं।

**भारतवर्ष में मुकदमेवाजी**—एक समय था कि भारत में लोग मुकदमेवाजी से बड़ी घृणा या नफरत करते थे। अब यह घरों को बरबाद करनेवाला खर्चीला काम दिनोदिन बढ़ता ही जा रहा है। दीवानों के मुकदमों की वार्षिक औसत बीस लाख से ऊपर बैठती है, फौजदारी के इससे कम हैं। अदालतों में अनेक मामलो में ठीक न्याय नहीं होता, अपराधी छूट जाता है, और निर्दोष को दंड मिल जाता है। लोगों को चाहिए कि अपना काम शान्ति और ईमानदारी से करें। यदि कभी किसी से झगड़ा हो ही जाय तो जहाँ तक हो सके, उसे आपस में पंच द्वारा, निपटालें। प्रान्तों की सरकारें पंचायतें बढ़ा रही हैं।

**पंचायतें**—स्वतंत्र भारत के प्रत्येक गांव या गांव-समूह में एक पंचायत अवश्य होगी। इसके लिए प्रत्येक प्रान्त में पंचायत-कानून बन रहे हैं। उनके अनुसार ग्राम-समाजों द्वारा निर्वाचित पंचायतों को अपने-अपने गांव की शिक्षा, सामाजिक सेवा, सफाई, प्रबन्ध, और विकास सम्बन्धी अधिकार होंगे। वे माल-गुजारी और ग्राम-कर भी एकत्र कर सकेंगी। अब गांव वालों के बहुत से मामले जहाँ के तहाँ सहज ही निपटा दिए जायेंगे और उनको मुकदमेवाजी से बहुत छुटकारा मिल जायगा। नागरिकों को चाहिए, योग्य पंचों के चुनाव में भरसक योग दें।

# सातवाँ पाठ

## जेल

पिछले पाठ में यह बताया जा चुका है कि अपराधियों को अदालत से किस-किस प्रकार का दंड मिलता है। उनमें से एक दंड कैद भी है। कैद की सजा पानेवालों के रहने के लिए बस्ती से बाहर खास मकान बनवाये जाते हैं। इन मकानों में कैदी तथा उनका प्रबन्ध करनेवाले रहते हैं, दूसरे आदमी वहाँ नहीं रहने पाते। इन मकानों को 'जेल' या 'जेलखाना' कहते हैं। संभव है, तुमने बाहर से किसी जेल की दीवार देखी हो। जेल के चारों ओर की दीवार इतनी ऊँची और मजबूत इस वास्ते बनायी जाती है कि कैदी उसे फलाँग कर बाहर न निकल सकें।

**जेलों के भेद**—सब कैदियों की कैद की मियाद बराबर नहीं होती; अपराध के अनुसार किसी को थोड़े समय की कैद होती है, किसी को बहुत समय की। कैद की अवधि के अनुसार अलग-अलग प्रकार के जेलों का प्रबन्ध किया जाता है। जिन जेलों में साल भर या अधिक समय के कैदी रहते हैं, उन्हें 'सेन्ट्रल जेल' कहते हैं। कई-कई जिलों के वास्ते एक ही सेन्ट्रल जेल होता है। पन्द्रह दिन से लेकर साल भर तक के कैदी

जिला-जेल में रहते हैं। पन्द्रह दिन से कम की सजा वाले कैदी छोटी जेल में रहते हैं। इस प्रकार जेलों के तीन भेद हैं—सेन्ट्रल जेल, जिला-जेल, और छोटे जेल।

**जेलों का संगठन**—जेलों का संगठन और प्रबन्ध प्रान्त-वार है। एक प्रान्त के सब जेलों का सबसे उच्च अधिकारी इन्स्पेक्टर-जनरल कहलाता है। प्रत्येक जेल के कैदियों के प्रबन्ध, स्वास्थ्य और आचरणों की देखरेख करने के लिए कुछ कर्मचारी रहते हैं। इनमें से सुपरिन्टेंडेंट जेल के साधारण प्रबन्ध, खर्च तथा कैदियों की मेहनत और सजा की निगरानी करता है। मेडिकल अफसर कैदियों के स्वास्थ्य और चिकित्सा आदि का ध्यान रखने के लिये होता है। 'जेलर' कैदियों के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होता है, वह हर समय जेल में अथवा जेल के पास ही रहता है, और कैदियों के लिये आवश्यक प्रबन्ध करता है। वार्डरों अर्थात् जेल के पहरेदारों का काम पुराने कैदियों से भी लिया जाता है। जिला-मजिस्ट्रेट अपने जिले के जेलों की देखरेख करता है।

**कैदियों का रहन-सहन**—प्रायः एक एक प्रकार के अपराध करनेवाले सब कैदी जेल में इकट्ठे रहते हैं; फौजदारी के एक जगह, दीवानी के दूसरी जगह। स्त्रियों को पुरुषों से अलग रखा जाता है। सख्त कैदवालों को आठ-नौ घंटे काम करना होता है। ये मिट्टी खोदते, मरम्मत करते, आटा पीसते कोल्हू चलाते, पानी भरते या कोई और काम करते हैं। इन्हें दरी, कालीन, निवाड या कपड़ा बुनने का, या दूसरी कारीगरी का

अभ्यास कराया जाता है, जिससे कैद से छूटने पर आजीविका प्राप्त करने में सुविधा हो, और ये चोरी आदि करना छोड़ दें। जो कैदी दिया हुआ कार्य नहीं करते, उन्हें अधिक सख्त काम दिया जाता है। कभी-कभी उन्हें शारीरिक दंड भी मिलता है। इसी प्रकार, जो कैदी अपना काम अच्छी तरह कर लेते हैं और अफसरो को सुश रखते हैं, उनकी कैद की अवधि कम कर दी जाती है।

कुछ समय से सरकार ने कैदियों की हैसियत के अनुसार उनकी तीन श्रेणियाँ कर दी हैं :—'ए', 'बी', और 'सी'। 'ए' श्रेणीवालों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है, वे खाने-पहनने की अच्छी चीजों को अपने घर से अथवा अपने खर्च से भाँगा सकते हैं। 'बी' श्रेणीवालों का दर्जा इनसे नीचा होता है। 'सी' श्रेणी सबसे नीचे की है। अधिकांश कैदी इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। ये उन्हीं वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं जो इन्हीं जेल से दी जाती हैं। पहले जेलों में बहुत से राजनैतिक कैदी भी रहते थे, अब भारत के स्वतंत्र होने पर उनकी संख्या बहुत ही कम रहती है, तथा उन्हें कई प्रकार की सुविधाएँ भी दी जाती हैं।

बहुधा वर्तमान जेल आदि से अपराधियों का विशेष सुधार नहीं होता; इसके विपरीत, कुछ आदमी यह दंड भुगतने के बाद और अधिक अपराधी बन जाते हैं। फाँसी की सजा से तो अपराधियों का सुधार न होकर उनके जीवन का ही अन्त हो जाता है। इसलिए कई सभ्य देशों में इस दंड को उठा दिया गया है। अब भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया है। यहाँ के कितने ही उच्च पदाधिकारी ऐसे व्यक्तियों में से हैं, जिन्हें जेल-जीवन का प्रत्यक्ष और निजी तौर पर अनुभव है। सरकार इस विषय में गहरा विचार कर रही है कि किस प्रकार अपराध कम हो, और अपराधियों का यथेष्ट सुधार हो। वास्तव में यह विषय बहुत गम्भीर और विचारणीय है। बड़े होने पर तुम इस सम्बन्ध में बहुतसी बातें जान सकोगे, तथा स्वयं भी कुछ विचार कर सकोगे।

## आठवाँ पाठ

### डाक और तार आदि

पाठको! डाक के काम को तो तुम हर रोज देखते हो। इसके प्रबन्ध के कारण, तुम दूर-दूर रहनेवाले रिश्तेदारों या मित्रों के पत्र जल्दी और थोड़े खर्च से ही पा लेते हो। तुम्हें उनका समाचार मिल जाता है, और तुम उनके पास अपनी खबर भेज सकते हो। जब किसी आदमी को दूर रहनेवाले

अपने किसी भाई-बन्धु या मित्र के सम्बन्ध में कुछ ऐसा समाचार जानना हो कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, या वह अपनी परीक्षा में पास हुआ या नहीं, तो डाक वाँटनेवाले चिट्ठीरसा (पोस्टमेन) की कैसी इन्तजारी की जाती है, यह तुम जानते ही होगे।

**पत्रों की यात्रा**—चिट्ठियों के एक जगह दूसरी से जगह जाने की क्रिया किस तरह होती है ? यह बात एक उदाहरण से तुम्हारी समझ में आ जायगी। दो पैसे का पोस्टकार्ड लेकर, उसमें, जिधर वह कोरा है, उधर अपना समाचार लिख दो, और दूसरी ओर पत्र पानेवाले का नाम और पता लिख दो। अगर तुम्हें कुछ अधिक समाचार लिखना हो तो इधर भी, आधे हिस्से में दायी ओर पता लिख कर शेष जगह में तुम समाचार लिख सकते हो। अगर तुम्हें इससे भी अधिक समाचार लिखना हो या तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा समाचार कोई दूसरा आदमी न पढ़ सके, तो तुम अपना पत्र लिफाफे में बन्द करके भेज सकते हो। डाक का लिफाफा छ. पैसे में मिनत है। सादा शर्ट या लिफाफा में भी जा सकता है; परन्तु उस पर टिकट लगाना होगा। अच्छा, तुम पोस्टकार्ड या लिफाफे का लेटरबक्स में डाल दो। निश्चित समय पर डाक के आदमी उस



फिर उन्हें थैले में बन्द करके रेलवे स्टेशन पर भेज देंगे। रेल-गाड़ी के एक या अधिक डिब्बों में डाक के आदमी रहने हैं, व एक-एक स्टेशन की चिट्ठियाँ अलग-अलग छाँट लेंगे और क्रमशः उन्हें वहाँ देते जायँगे। स्टेशन से डाक के थैले डाकखाने में पहुँचाए जायँगे। वहाँ चिट्ठियों पर फिर स्थान और ताराख की मोहर लगाई जायगी, पश्चात् पोस्टमेन चिट्ठियों को उन उन आदमियों में बाँट देंगे, जिन-जिन के नाम की वे हैं। जो पत्र किसी गाँव के होंगे, उन्हें गाँव में जानेवाला पोस्टमन ले जायगा। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि चिट्ठियाँ एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचती हैं। मोहर को देखकर तुम जान सकते हो चिट्ठी कब चली थी, और कब तुम्हारे यहाँ के डाकखाने आई।

**डाक भेजने के साधन** - ऊपर बताया जा चुका है कि डाक भेजने का काम रेल द्वारा होता है। गाँवों में डाक देहाती पोस्टमेन ले जाता है; वह या तो पैदल जाता है, या घोड़े या ऊँट आदि पर। इनके अतिरिक्त डाक भेजने के और भी साधन हैं। बहुत सी जगहों में अब मोटर द्वारा ही डाक का काम जल्दी और सुभीते से हो जाता है।

इंग्लैंड, अमरीका आदि देशों की डाक वहाँ जहाज से आती है। स्थल-मार्ग से उनका भारतवर्ष से सम्बन्ध नहीं है; रास्ते में समुद्र पड़ता है। स्थल-मार्ग से डाक के आने में देर भी बहुत लगती है, इसलिये जहाजों से काम लिया जाता है। अब हवाई जहाजों का प्रचार बढ़ता जा रहा है। इनके द्वारा डाक

( तथा अन्य सामान ) के आने में जल-मार्ग या स्थल मार्ग का प्रश्न ही नहीं रहता । ये हवा के रास्ते आते हैं और बहुत जल्दी यात्रा तय करते हैं । हाँ, अभी इनके द्वारा डाक भेजने में खर्च बहुत पड़ता है । आशा है धीरे-धीरे उन्नति हो जाने पर वह घटता जायगा ।

**डाक से रुपया भेजने का काम** पत्रों की तरह अखबार तथा पुस्तकों आदि के पार्सल भी डाक द्वारा जहाँ-तहाँ भेजे जाते हैं । यही नहीं; डाक से रुपयों का मनीआडर भी भेजा जाता है । मनीआडर भेजनेवाला, एक फार्म भर कर उसे, रुपये और फीस सहित अपने यहाँ के डाकखाने में देता है । यह फार्म उस स्थान पर भेज दिया जाता है, जहाँ का इस पर पता होता है । मनीआडर लेनेवाला इस पर दो जगह हस्ताक्षर करके पोस्टमेन को लौटा देता है, और रुपया ले लेता है; एक हस्ताक्षर डाकखाने में रह जाता है, और दूसरा रुपया भेजनेवाले के पास पहुँचा दिया जाता है । याद रहे, मनीआडर फार्म के साथ प्रायः उसमें लिखी रकम नहीं भेजी जाती । जैसे एक डाकखाने को दूसरे का रुपया देना होता है, वैसे लेना भी तो होता है, क्योंकि मनीआडर जाते हैं, तो आते भी हैं । फिर, प्रत्येक डाकखाने में कुछ रुपया जमा रहता है ; कमी-बेशी की रकम इसमें से देकर काम चला लिया जाता है । कुछ समय बाद डाकखाने आपस में लेन देन का हिसाब इकट्ठा चुका लेते हैं । मनीआडर को फीस दस रुपये तक दो आने है । यही दर आगे अधिक रकमों के लिए है । उदाहरणवत् ( ११) से २०) तक के मनीआडर की

फीस 1) है। एकमनीआडर छः सौ रुपयें तक का जा सकता है।

रुपया भेजने की दूसरी विधि भी है। आठआनेसेलेकरटस रुपये तक का 'पोस्टल आडेर' डाकखाने से एक आना कमीशन और देकर खरीदा जा सकता है। इस पर पानेवाले का नाम लिखकर इसे डाक के लिफाफे में भेजा जाता है। इसे पानेवाला इस पर हस्ताक्षर करके डाकखाने में दे देता है, और इसका लेखेता है। इसमें फायदा यही है कि लिफाफे में पत्र भी रुपया चला जाता है। बड़ी रकम भेजने से फीस में भाकियायत हो जाती है। उदाहरण के लिए पचास रुपये के पोस्टल आडर ५०।-) में मिल जाते हैं, -)॥ लिफाफे का जोड़ कर कुल खर्च ५०।=)॥ होता है, जबकि पचास रुपए मनीआडर से भेजने में ५०।=) खर्च होते हैं।

**डाकखाने में रुपया जमा कराना**—डाकखानों में 'सेविंग बैंक' नाम का भी एक खाता रहता है। उसमें आदमी अपना रुपया जमा कर सकते हैं। इस विषय में विशेष 'रुपया पैसा और बैंक' नाम के पाठ में लिखा जायगा। डाकखाने में रुपया जमा करने का एक और भी ढङ्ग है। निर्धारित मूल्य देकर उसके एक निश्चित अवधि तक के सूद सहित कीमतवाले कागज डाकखाने से खरीद जा सकते हैं। यह कागज 'पोस्टआफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट' कहलाते हैं। इनकी कीमत समय-समय पर बदलती रहती है। इनकी अवधि अलग-अलग—पांच साल, सात साल, बारह साल आदि—होती है। अवधि के अनुसार इनके सूद की दर जुदा-जुदा होती है। मिसाल के तौर

पर सौ रुपये के खरीदे हुए सर्टिफिकेट के बारह साल पूरे होने पर सूद सहित डेढ़ सौ रुपये मिल जाते हैं। इससे पहले रुपया लेने में रकम कम मिलती है, और डेढ़ साल पूरा होने तक तो डाकखाना इनका कुछ भी रुपया नहीं देता।

**रजिस्टरी और बीमा**—डाक से जो चिट्ठी या पारसल आदि जाता है, उसके साधारण महसूल के अलावा उस पर चार आने का टिकट और लगाने से उसकी रजिस्टरी हो जाती है। डाकखाने उसका अधिक अहतयात करते हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें उसके पानेवाले के हाथ की रसीद मिल जाय तो तुम रजिस्टरी करने के अतिरिक्त एक आने का टिकट और लगाओ तथा 'एकनालेजमेट' फार्म भर कर डाकखाने में दे दो। यह फार्म तुम्हारे पास, पानेवाले के हस्ताक्षर होकर, आ जायगा। अगर तुम अपनी भेजी जानेवाली वस्तु की और अधिक रक्षा या हिफाजत चाहते हो तो तुम उसका बीमा करा सकते हो। सौ रुपये तक के बीमे के लिए चार आने और इससे अधिक, दो सौ रुपये तक के लिए, साढ़े पांच आने का टिकट और ज्यादा लगेगा। यदि सयोग से बीमे की वस्तु खोई जाय तो डाकखाना तुम्हें उतनी रकम का देनदार होगा, जितनी का तुमने बीमा कराया है।

**तार**—यदि कहीं कुछ समाचार तुरत ही पहुँचाना हो, तो तार भेजा जा सकता है। डाक की अपेक्षा इसमें खर्च अधिक होता है। तथापि, हर रोज देश में हजारों तार आते-जाते हैं। समाचारपत्रों को दूर-दूर की ताज़ी खबरें छापने के

लिए तारों से बड़ा सुभीता है। तार से व्यापारियों को भी बड़ा लाभ होता है। व्यापारी तार द्वारा दूर देशों में माल का भाव ठहरा लेता है और क्रय विक्रय (खरीद-बेच) मटपट हो जाता है। जरूरत होने पर तार द्वारा रुपयों का मनीआडर भी भेजा जाता है। इसमें रुपया भेजनेवाले के भरे हुए फार्मकाइन्ट-जार नहीं किया जाता। जब डाकखानेवाले दूसरे डाकखाने के अधिकारियों से तार द्वारा, किसी को रुपया देने की सूचना पाते हैं, वे उसे रुपया दे देते हैं। तार विभाग से राज्य-प्रबन्ध में भी बड़ी सुविधा होती है। भिन्न-भिन्न स्थानों के अफसर तार द्वारा सलाह-मशवरा कर सकते हैं; और आवश्यकतानुसार सेना या पुलिस तथा अन्य जरूरी सामान भेजने के लिए कहा जा सकता है। तार की दर और नियम आगे दिये जायेंगे।

**डाक और तार विभाग का संगठन**—भारतवर्ष में डाक और तार का एक ही विभाग है। उसका देश भर में सबसे बड़ा अधिकारी 'डायरेक्टर जनरल' कहलाता है। इस विभाग के प्रबन्ध के लिए यह देश कुछ 'सर्कलो' में और प्रत्येक सर्कल कुछ डिवीज़नों में बँटा हुआ है। सर्कल के अधिकारी को 'पोस्ट मास्टर-जनरल' और डिवीज़न के अधिकारी को 'सुपरिन्टेंडेंट' कहते हैं। हर एक सुपरिन्टेंडेंट के नीचे कुछ इन्स्पेक्टर रहते हैं जो कड़-कई जिलों के डाकखानों का निरीक्षण करते हैं। प्रत्येक जिले में एक बड़ा डाकखाना होता है उसका मुख्य अधिकारी पोस्टमास्टर कहलाता है। उसके नीचे जिले में कुछ सब-पोस्ट-आफिस और 'ब्रांच 'पोस्टआफिस' भी होते हैं। बड़े बड़े गाँवों

में डाकखाने हैं, उनका काम प्रायः वहाँ की पाठशाला के मुख्याध्यापक ही करते हैं, उन्हें ऐसे काम के लिये कुछ भत्ता (अलाउंस) मिलता है।

भारतवर्ष में अभी बहुत से स्थानों में डाकखाने नहीं हैं। कितने ही स्थान ऐसे हैं, जहाँ से डाकखाना कई-कई मील दूर है और डाक हफ्ते में केवल एक या दो दिन जाती है। इसलिए देश में बहुत से नये डाकखाने खोले जाने की जरूरत है।

**डाक सम्बन्धी नियम**—डाक सम्बन्धी कुछ मुख्य-मुख्य नियम ये हैं :—डाकखाने प्रायः दस बजे से चार बजे तक खुले रहते हैं, कहीं-कहीं उनका समय सवेरे सात बजे से दोपहर तक तथा दो से चार बजे तक होता है। इतवार और खास-खास त्योहारों की छुट्टियाँ रहती हैं। अन्य दिनों में मनीआडर प्रायः तीन बजे तक लिए जाते हैं, हाँ शनिवार को मनीआडर एक बजे तक, तथा पत्रों, पेंकटों और पार्सलों की रजिस्टरी तीन बजे तक हो सकती है। 'लेट फी' का एक आने का टिकट लगाकर पत्रों की, तथा दो आने का टिकट लगाकर पेंकटों की, रजिस्टरी शनिवार के दिन चार बजे तक भी हो सकती है। आध आना 'लेट फी' टिकट लगा कर पत्र डाकखाने में डाक के साधारण समय के बाद भी, दिये जा सकते हैं, और एक आना 'लेट फी' टिकट लगाकर स्टेशन पर डाक-गाड़ी के समय भी भेजे जा सकते हैं।

छुपनेवाली चीज़ (प्रेस मेटर), बीजक, बिल, आर्डर, पुस्तक, सूचीपत्र, विशापन, आदि 'बुक-पोस्ट' में जा सकते हैं। इनका पेंकेट इस तरह बनाया जाना चाहिए कि सिरे खुले रहें जिससे डाकखानेवाले चाहें तो इस बात की जाँच कर सकें कि इनके अन्दर कोई निजी पत्र आदि तो नहीं है। 'बुक-पोस्ट' पेंकेट का महसूल इस समय पाँच तोले तक के लिए तीन पैसे, और उससे ऊपर प्रत्येक टाई तोले का एक पैसा है। सामयिक (दैनिक, अर्द्ध साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक आदि) पत्र-पत्रिकाओं

के रजिस्टर्ड होने पर, उनका महसूल आठ तोले तक एक पैसा और उससे ऊपर बीस तोले तक दो पैसे होता है। वह जिस डाकखाने से रजिस्टर्ड होगा, उसी डाकखाने में उसपर यह महसूल लगेगा, अन्य डाकखानों में उस पर बुक-पोस्ट के हिसाब में महसूल देना होगा।

कार्ड, लिफाफा, पेकेट, या समाचारपत्र बिना टिकट या कम टिकट लगाकर भेजने से 'वैरङ्ग' कर दिया जाता है। इस दशा में जितना टिकट कम होगा, उसका दूना महसूल उस पत्र आदि के पानेवाले से लिया जायगा। यदि वैरंग पत्र आदि को वह आदमी लेना स्वीकार न करे, जिसका उस पर पता है तो उसे भेजनेवाले के पास लौटा कर, दूना महसूल उससे लिया जाता है। यदि वह महसूल न चुकाये तो उसकी सब डाक (पत्र, मनीआडर आदि) महसूल चुकाये जाने तक रोक रखी जायगी।

पुस्तक आदि चारों तरफ से अच्छी तरह बन्द करके भी डाक से भेजी जाती है। बहुमूल्य कागजात, वज्र, आभूषण आदि को उसके ऊपर कपड़ा सीकर भेजा जाता है। इन पार्सलों का महसूल प्रथम चालीस तोले तक छः आने फिर प्रत्येक चालीस तोले पर चार आना है। पार्सल के भीतर निजी पत्र रखा जा सकता है। इसका पूरा महसूल इसे भेजनेवाले को ही देना पड़ता है वह चाहे तो इसकी रजिस्टरी तथा बीमा भी करा सकता है।

यदि पत्र आदि भेजनेवाला यह चाहता है कि उसका पत्र नियत स्थान पर पहुँचने के बाद पाने वाले को तुरन्त मिल जाय तो उस पत्र पर दो आने का टिकट अधिक लगाना होता है। ऐसे पत्र पर 'एक्सप्रेस डिलीवरी' की एक लाल चिट चिपका दी जाती है। यह पत्र अपने स्थान पर साधारण डाक के साथ ही पहुँचता है, परन्तु इसके दिये जाने की व्यवस्था पहले कर दी जाती है।

डाक में चिट्ठी आदि डालने की भी रसीद मिल सकती है। उसे 'सर्टिफिकेट-आफ़-पोस्टिंग' (कच्ची रजिस्टरी) कहते हैं। इसके लिये छपे

ट्रुफ फार्म होते हैं, सादे कागज पर चिट्ठी आदि के पानेवाले का पता लिखकर दे देने से भी काम चल सकता है। इस रसीद के लिए, तीन पत्रों या पैकेटों तक के लिए दो पैसे का टिकट लगाना पड़ता है। डाक-कर्मचारी उस पर मोहर लगा देता है। इससे पत्र आदि भेजनेवाले के पास इस बात का सबूत रहता है कि उसने डाक में पत्र डाला, परन्तु डाकखाना इसके लिए कोई विशेष जिम्मेवारी नहीं लेता।

डाकखाने में पैकेट या पार्सल वी० पी० से भी जाते हैं। डाक-मददगल तथा रजिस्टरी-खर्च सहित जितना मूल्य किसी चीज़ का लेना होता है, उतने की वी० पी० की जाती है। इसके लिए एक फार्म भरकर देना होता है। डाकखाना उस चीज़ को पानेवाले के पास पहुँचा देता है, और उससे वी० पी० की रकम तथा उसका गनीआउटर-शुल्क ले लेता है। वी० पी० की रकम चीज़ भेजनेवाले को मिल जाती है। जिम्मे पाम वी० पी० भेजी जाती है, अगर वह उसे लेने से इनकार करता है तो वी० पी० की वस्तु भेजनेवाले को लौटा दी जाती है। इस दशा में डाक-मददगल तथा रजिस्टरी खर्च के टिकट रद्द हो जाने से भेजनेवाले को इतना नुकसान सहना पड़ता है।



आठ आना और इसके बाद प्रति ६ शब्दों के लिए एक आना है।

अगर किसी आदमी को यह शिकायत हो कि डाकखाने या तार-घर में उसका काम ठीक नहीं हुआ, उसकी चिट्ठी या तार देर में मिला अथवा मनीआडर का रुपया नहीं आया, तो वह इस बात की शिकायत एक आने का टिकट लगाकर डाकखाने के पोस्टमास्टर को कर सकता है।

**वर्तमान स्थिति**—अंगरेजों के शासन-काल में डाक विभाग ऐसा सरकारी विभाग था, जिसमें कोई बेईमानी या रिश्वत आदि न होने पर भी काम बहुत अच्छी तरह होता था, जनता की शिकायतों पर यथेष्ट ध्यान दिया जाता था। पर दूसरे महायुद्ध के समय इसमें विकार आ गया; सरकारी कर्मचारियों ने युद्ध-प्रयत्नों का और सबसे पहले ध्यान देना अपना लक्ष्य बना लिया। जनता की शिकायतें दूर करने की फिक्र ही न रही। भारतवर्ष के स्वतंत्र होने पर भी अभी इसमें कुछ सुधार नहीं हुआ। रजिस्टरी की फीस तीन आने की जगह चार आने आने कर दी गई; इससे समाचारपत्र या पुस्तक आदि के बी०पी० मंगानेवालों का भार बढ़ गया, और साहित्य के प्रचार में बाधा पहले से भी अधिक हो गई। यद्यपि सरकारने कर्मचारियों के वेतन काफी बढ़ाए, पर काम में अभी तक बहुत ढील है। पत्रों और तार के आने में अनेक बार इतनी देर हो जाती है कि उनका उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। डाक विभाग के कामों में अभी अंगरेजी भाषा का ही बोलबाला है; हिन्दी को नहीं अपनाया गया। इन बातों में तुरन्त सुधार होने की जरूरत है।

बेतार-का-तार और टेलीफोन—भारतवर्ष के बड़े-बड़े नगरों में बेतार-के-तार या 'वायरलेस' का भी प्रबन्ध है। इसके द्वारा इन नगरों में तथा अन्य देशों के प्रधान नगरों में, बहुत जल्द समाचार आ जा सकता है। समुद्र-पार के स्थानों में अथवा समुद्र में एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर समाचार भेजने के लिए भी बेतार-का-तार ही काम में लाया जाता है। अब रेडियो द्वारा समाचार भेजने की ऐसी अच्छी व्यवस्था हो गई है कि एक बक्ता का भाषण, दूसरे आदमी हजारों मील के फासले पर अपने-अपने घरों में, इस यंत्र के पास बैठे हुए साफ-साफ सुन सकते हैं।

आज कल टेलीफोन का भी प्रचार बढ़ता जा रहा है। इसका अधिकतर सम्बन्ध एक ही देश के अन्दर भिन्न-भिन्न स्थानों से, या एक एक नगर के ही भीतर रहता है। बड़े-बड़े शहरों में, एक जगह से दूसरी जगह जाने-आने में काफी समय लगता है। टेलीफोन के द्वारा आदमी अलग-अलग स्थानों में, अपनी-अपनी दुकान या दफ्तर आदि में बैठे हुए कई-कई मिनट तक लगातार बातचीत कर सकते हैं।

---

## नवाँ पाठ

### रेल और मोटर

---

पहले आदमी पैदल जाते थे, या घोड़ों या ऊँट पर सवार होकर या बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी आदि में। इसमें सफर तय करने में समय बहुत लगता था, तथा थकावट अधिक

होती थी। अब साइकल, ट्रामवे आदि अनेक सवारियाँ चल पड़ी हैं। हवाई जहाजों का भी प्रचार बढ़ता जा रहा है। परन्तु सर्वसाधारण के लिए, लम्बी यात्रा करने की अन्य सवारियों में इतनी सुविधा नहीं होती, जितनी रेल और मोटर में। इस पाठ में इनका वर्णन करना है। पहले रेलों के बारे में विचार करते हैं।

**रेल से यात्रा**—तुम हर रोज़ रेलवे स्टेशन पर देखते होगे कि हज़ारों आदमी रेल का टिकट लेकर एक जगह से दूसरी जगह आते-जाते हैं। प्रत्येक टिकट पर यह छपा रहता है कि वह किस स्टेशन से, किस स्टेशन तक के लिए है; और उसका मूल्य क्या है। टिकट खो जाय तो उसका नम्बर और तारीख वताने से काम चल सकता है; नहीं तो उसके दाम फिर भरने पड़ते हैं।

**रेलों से अन्य लाभ**—स्टेशनों पर सवारी गाड़ी के अलावा तुमने मालगाड़ियाँ भी देखी होगी। इनमें हज़ारों मन माल इधर से उधर जाता आता है। इस प्रकार रेलों से व्यापार की खूब वृद्धि होती है। यदि देश में एक जगह अकाल पड़ रहा हो तो खाने के पदार्थ दूसरी जगह से, जहाँ वे अधिक हों, जल्दी ही उस जगह लाये जाकर, बहुत-से आदमियों को भूखा मरने से बचाया जा सकता है। ❀

❀ रेलों से एक हानि भी है; बहुत से पदार्थों को व्यापारी उन देशों में भेज देते हैं, जहाँ वे 'महँगे हों; फिर वे पदार्थ हमारे देश में पहले की तरह सस्ते नहीं रहते; बहुत माल विदेशों में चले जाने के कारण, यहाँ उसका भाव चढ़ जाता है।

रेलो द्वारा सरकार को राजप्रबन्ध के लिए पुलिस या फौज एक जगह से दूसरी जगह भेजने में भी बड़ी सुविधा तथा किफायत होती है। इसके अलावा रेलों का, मनुष्यों के विचारों तथा रहनसहन पर भी, बड़ा प्रभाव पड़ता है। देश के जिन भागों में रेल चलती हैं, वहाँ के लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर बहुत आता है। भिन्न भिन्न जातियों के, तथा अलग-अलग धर्मों को माननेवाले, आदमी परस्पर में मिलने-जुलने से एक-दूसरे को अधिक जानने लगते हैं, और, उनमें सहयोग और सहानुभूति का भाव बढ़ जाता है। भारतवर्ष में छतछात के विचारों को दूर करने में रेलों से बड़ी सहायता मिली है। रेलों में पास-पास बैठने के कारण, भिन्न-भिन्न जातियों के आदमियों को एक-दूसरे से पहले जैसा परहेज नहीं रहा।

**रेलों का विस्तार**—भारतवर्ष में रेलों का काम, सौ वर्ष हुए, आरम्भ हुआ था। अब लगभग वियालीस हजार मील रेलवे लाइन है, इसमें से करीब सात हजार मील लाइन पाकिस्तान में है। बहुत सी रेलवे लाइनों की मालिक सरकार हैं, कुछ देशी राजाओं की हैं तथा धाँडी सी लाइन जिला-बोर्डों की बनवाई हुई हैं। रेलवे लाइनों की चौड़ाई भिन्न भिन्न स्थानों में अलग-अलग है। छोटी लाइनें दो-ढाई फुट की और बड़ी लाइनें ५ में ४ ॥ फुट तक की हैं।

समय पहुंचती है और कितनी देर ठहरती है, और भिन्न-भिन्न स्टेशनों में कितने मील का फासला है। हम यहाँ पर कुछ थोड़े से मुख्य-मुख्य नियम देते हैं :--

जो आदमी रेल में सफर करना चाहे, उसे रेलवे टिकट खरीद लेना चाहिए। गाड़ी न मिलने या उसमें जगह न रहने के कारण अगर कोई आदमी टिकट लेकर गाड़ी में न बैठ सके तो उसे चाहिए कि टिकट वापिस करदे और टिकट का मूल्य वापिस लेने के लिए दर्खास्त दे दे। तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है, और तीन वर्ष से ग्यारह वर्ष तक के बालकों के लिए आधा टिकट लेना काफी है। टिकट उसके खरीदने के दिन, या उसकी मियाद के भीतर ही काम आ सकता है। बिना टिकट सफर करनेवालों से पूरा किराया तथा जुर्माना (जो टिकट के मूल्य का दूना हो सकता है) वसूल किया जाता है, या, उन्हें दूसरा दण्ड दिया जाता है।

यात्रा करनेवाले को चाहिए कि गाड़ी के समय से इतना पहले स्टेशन पर आवे कि शान्ति से टिकट लेकर गाड़ी में बैठ सके। यदि कभी संयोग से टिकट न लिया जा सके तो वह गार्ड को सूचना देकर गाड़ी में बैठ सकता है। इस दशा में, उससे आगे स्टेशन पर साधारण किराया ही लिया जायगा, जुर्माना आदि नहीं।

अगर गाड़ी में बहुत भीड़ हो तो मुसाफिर गार्ड से कहकर, जिस दर्जे का उसने टिकट लिया है उससे ऊपर के दर्जे में बैठ सकता है। उस दर्जे का किराया, जितना वह उस टिकट के मूल्य से अधिक हो, उतरनेवाले स्टेशन पर दे देना चाहिए। सब मिलाकर रेल में चार दर्जे होते हैं। सबसे निचला दर्जा तीसरा (थर्ड क्लास) होता है, उससे ऊपर ज्योड़ा (या इटर), फिर दूसरा दर्जा (सेकेंड क्लास) और सबसे ऊँचा दर्जा अक्वल दर्जा (फ्रस्ट क्लास) होता है। टट्टी या पेशाब के लिए सभी दर्जों में व्यवस्था होती है। तीसरा दर्जे में मुसाफिरों की भरमार रहती है; ज्योड़े दर्जे में भी भीड़ रहनी है। दूसरे तथा अक्वल

दर्जे में ही सोने के लिए जगह मिलती है; बैठने या लेटने की जगह गद्दी रहती है, बिजली के पखे तथा स्नान आदि की भी व्यवस्था रहती है। इन दर्जों के टिकटों का किराया उत्तरोत्तर अधिक है। रेल-किराया समय-समय पर बदलता रहता है। तीसरे दर्जे का यात्री अपने साथ २० सेर वजन का सामान बिना महसूल ले जा सकता है, ड्यूटे दर्जे-वाला ३० सेर, दूसरे दर्जेवाला ४० सेर और अक्वल दर्जे वाला ६० सेर। इससे अधिक वजन होने पर उसका महसूल पेशगी ही देना होता है। अन्यथा मार्ग में जाँच होने पर उससे दूना भाड़ा वसूल किया जाता है। यात्रियों को चलती गाड़ी में बाहर पटरी पर खड़ा नहीं होना चाहिए, और फाटक खुला नहीं रखना चाहिए। खिड़की पर झुकना तथा सिर बाहर निकालना भी ठीक नहीं है। यदि कोई आदमी अपने पास बैठे हुए यात्रियों की इच्छा के विरुद्ध या उनके मना करने पर भी तम्बाकू पिये तो उस पर जुर्माना हो सकता है। यदि कोई आदमी नशा किए हुए हो, या अन्य यात्रियों को कष्ट पहुँचाए तो उसे दंड दिया जायगा।

चलती गाड़ी में कोई खतरा हो, कोई दुष्ट बदमाशी करे, या भीड़ इतनी अधिक हो कि स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका हो, तो जर्जर खींच लेनी चाहिए। इस पर जब गाड़ी रुक जाय तो गार्ड से सब बात कह देनी चाहिए। अत्यन्त आवश्यकता बिना जंजीर नहीं खींचनी चाहिए। जब गाड़ी स्टेशन पर ठहरी हो, यदि उस समय गाड़ी में बैठे हुए किसी आदमी के बारे में कुछ शिकायत करनी हो तो स्टेशन-मास्टर से करनी चाहिए।

साधारण सवारी-गाड़ियों के अलावा एक्सप्रेस या डाकगाड़ी में भी यात्रा होती है। प्रायः इन में किराया सवारी गाड़ी से कुछ अधिक रहता है। गाड़ी या डिब्बा 'रिज़र्व' भी कराया जा सकता है, उसमें वही आदमी बैठते हैं, जिनके लिए वह रिज़र्व कराया जाता है। रिज़र्व कराने के लिए २४ घंटे पहले रेलवे ट्रैफिक मनेजर के पास दर्खास्त दे

जाती है।

रेलगाड़ी से सामान या माल भी भेजा जाता है। बड़े-बड़े पार्सल डाक से भेजने में बहुत खर्च पड़ता है, उन्हें सवारी-गाड़ी से भेजने में किफायत होती है। मालगाड़ी से भेजने में किराया और भी कम लगता है; इससे माल सवारी-गाड़ी की अपेक्षा देर में पहुँचता है। यह बात माल भेजनेवाले की इच्छा पर निर्भर है कि वह माल का रेल-किराया स्वयं दे या उसके चुकाने का भार माल पानेवाले पर डाले। माल भेजनेवाले को रेलवे रसीद मिलती है, जिसे 'बिल्टी' कहते हैं। यह बिल्टी वह डाक से भेजता है; सादे लिफाफे में, वैरंग, डाक के लिफाफे में, रजिस्टरी या वी० पी० से। बिल्टी पानेवाला इसे दिखाकर अपना माल ले सकता है। अगर इसका महसूल पहले नहीं चुकाया गया है तो उसे महसूल चुकाना होता है। जिस समय माल स्टेशन पर पहुँचे, उसके ४८ घंटे के भीतर उसे छुड़ा लिया जाना चाहिए। देरी करने से 'डेमरेज' या हरजाना देना पड़ता है। डेमरेज सवारी गाड़ी के पार्सलों पर प्रति दिन दो आना, और मालगाड़ी से आनेवाले माल पर वजन के अनुसार लिया जाता है।

यदि किसी रेलवे कर्मचारी के व्यवहार के बारे में, या रेल सम्बन्धी कोई अन्य शिकायत करनी हो तो रेलवे ट्राफिक मेनेजर के पास करनी चाहिए।

**यातायात की कठिनाइयाँ**—युद्ध-काल (१९३६-४५) में अनेक यात्रियों को रेल में बैठने की कौन कहे, खड़े होने को भी जगह नहीं मिली। जब कटने और सामान चोरी जाने की घटनाएँ भी बढ़ीं। कितने ही आदमियों ने बाहर पटरी पर खड़े खड़े और कुछ ने तो छत पर बैठ कर सफर किया, इससे अनेक दुर्घटनाएँ और मौतें तक हुईं! अब रेल का किराया तथा कर्मचारियों का वेतन काफी बढ़ा हुआ है, पर रेल यात्रा के कष्ट

दूर नहीं हुए। मालगाड़ी से माल कब पहुँचेगा, इसका निश्चय नहीं रहता। सवारी गाड़ी का उपयोग बहुत बढ़ गया है, तो भी माल के लिए हफ्तों और कुछ दशाश्रो में महीनों इन्तजार करनी पड़ती है; और बहुत नुस्खा-पढ़ी होती है। रेलों में आगे बहुत सुधार करनेकी योजनाएँ बनी हैं, पर अभी तो यदि सब यात्रियों को रेल में बैठने की जगह मिलने और पार्सल या माल समय पर पहुँचने की व्यवस्था हो जाय तो भी गनीमत है। रेलवे कर्मचारियों की यात्रियों के प्रति बहुत सभ्य होने तथा रिश्वत-खोरी बन्द होने की बहुत आवश्यकता है।

मोटर—यह तो बताया ही जा चुका है कि मोटरो का प्रचार कमश. बढ़ रहा है। पहले इन्ते धनवान लोग अपने निजी काम के लिए रखा करते थे। वे ही इनमें सवार होने थे, परन्तु अब तो ये किराये पर भी चलने लगे हैं। और, यह एक रोषागार हो गया है। मोटरो द्वारा लोगों की यात्रा ही नहीं होती, सामान भी टोया जाता है। प्रायः इनमें महसूल या किराये की दर रेल के बराबर ही रहती है। इनमें लोगों को यह



लिया जा सकता है। जिन स्थानों में रेल जाती हैं, वहाँ भी बहुधा आमदपत बढ़जाने के कारण मोटरें खुब चलती हैं।

मोटर चलाने के लिए सरकारी लैसेंस (अनुमति) लेना आवश्यक है। मोटर चलानेवाला सिर्फ उन्हीं सड़कों या रास्तों पर अपनी मोटर ले जा सकता है, जहाँ के लिए उसने लैसेंस ले रखा हो। प्रत्येक मोटर में बैठनेवालों की संख्या निश्चित की हुई रहती है। उससे अधिक बैठनेवाले को दंड होने का नियम है। तो भी प्रायः मोटर वाले अधिक सवारियाँ बैठाया करते हैं मोटर सम्बन्धी कुछ नियम पाँचवें पाठ के अन्त में दिये जा चुके हैं। कुछ स्थानों में सरकारी मोटरें चलने लगी हैं। ये निर्धारित समय पर चलती हैं, और इनमें यात्रियों के बैठने की अच्छी व्यवस्था रहती है।

---

## दसवाँ पाठ

### शिक्षा

---

शिक्षा का महत्त्व—पाठको ! तुम, इस पुस्तक में पुलिस, अदालतों और जेलों का हाल पढ़ चुके हो। देश की शान्ति के लिए इनकी बहुत जरूरत है। परन्तु देश की उन्नति के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों में विविध विषयों के ज्ञान का प्रचार हो। इस वास्ते स्थान-स्थान पर लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल आदि होने चाहिए, जिनमें शिक्षा पाकर वे न केवल लिखना-पढ़ना सीखें, बल्कि ईमानदारी से अपना निर्वाह भी

करने लग जायँ; वे अपनी मानसिक और शारीरिक उन्नति के साथ नैतिक उन्नति भी कर सकें; वे अपने कर्तव्यों को समझें और एक दूसरे के साथ मिलकर, रहा करें। ऐसी शिक्षा पाये हुए आदमी चोरी या लूट मार आदि नहीं करते, और सुयोग्य नागरिक बन जाते हैं। कहा है कि एक स्कूल को खोलना कई जेलों को बन्द करना है।

**प्रारम्भिक शिक्षा**—अब हम वर्तमान संस्थाओं में मिलने-वाली शिक्षा के विषय में कुछ मुख्य-मुख्य बातें बतलाते हैं। प्राइमरी स्कूल बहुत से बड़े-बड़े गाँवों तथा सब शहरों में हैं। इनमें हिन्दी, बँगला, मराठी आदि देशी भाषाओं में लिखना-पढ़ना तथा कुछ भूगोल और हिसाब सिखाया जाता है। इनकी पढ़ाई प्रायः चार वर्ष की होती है। गाँव के प्राइमरी स्कूल जिला-बोर्ड (या जिला-कौंसिल) के खर्च से, और शहरों के स्कूल म्युनिसिपैलिटियों के खर्च से चलते हैं। कुछ शहरों में म्युनिसिपैलिटियों ने अपने-अपने नगर के कुछ मोहल्लों के लड़कों के लिए यह नियम कर दिया है कि वे प्रायः छः वर्ष की उम्र से लेकर दस वर्ष की उम्र तक अवश्य ही पढ़ें। जहाँ ऐसा नियम होता है, वहाँ शिक्षा अनिवार्य या लाज्जमी कही जाती है। ऐसा नियम तभी किया जाता है, जब पढ़नेवाले को कुछ फीस देनी न पड़े, क्योंकि, बहुत से आदमी फीस का भार नहीं सह सकते। भारत वर्ष के देहातों में शिक्षा अनिवार्य और निशुल्क (मुफ्त) नहीं हुई है; शहरों में भी यह काम होना अभी बहुत कुछ शेष है।

**माध्यमिक शिक्षा**—पहले मिडल और मेट्रिक (दसवीं,

या कुछ स्थानों में ग्यारहवीं) कक्षाओं की पढ़ाई को माध्यमिक शिक्षा कहा जाता था। अब कुछ प्रान्तों में मेट्रिक तथा 'इंटर' (ग्यारहवीं और बारहवीं) की पढ़ाई उच्च माध्यमिक शिक्षा मानी जायगी। अन्य प्रान्तों में इससे कुछ भिन्न व्यवस्था है। ऐसा प्रबन्ध किया जा रहा है कि विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा-संस्थाओं में कृषि या औद्योगिक विषयों की यथेष्ट शिक्षा पा सकें, जिससे उन्हें पीछे आजीविका प्राप्त करने की सुविधा हो।

**उच्च शिक्षा**—नयी व्यवस्था के अनुसार 'इंटर' या 'एफ० ए०' के आगे की पढ़ाई उच्च शिक्षा कही जायगी। 'इंटर' के बाद दो साल की पढ़ाई पूरी करने पर वी० ए० की परीक्षा होती है। वी० ए० पास को 'ग्रैजुएट' कहते हैं। इसके दो वर्ष बाद की परीक्षा पास करनेवाले एम० ए० हो जाते हैं। उच्च शिक्षा अभी तक प्रायः अंगरेजी द्वारा दी जाती रही है। उसका स्थान देशी भाषाएँ ले रही हैं।

उच्च शिक्षा का क्रम निश्चित करने और उसकी परीक्षा लेने का प्रबन्ध विश्वविद्यालय या 'यूनिवर्सिटियाँ' करती हैं। भारतीय संघ में सब मिलाकर अठारह विश्वविद्यालय हैं। इनमें पाँच तो संयुक्तप्रान्त में ही हैं:—इलाहाबाद, बनारस, आगरा, लखनऊ और अलीगढ़ में। मध्यप्रान्त का विश्वविद्यालय नागपुर में, और बिहार का पटना में है। चार नये विश्वविद्यालय शीघ्र ही स्थापित होने वाले हैं।

**स्त्री-शिक्षा**—स्त्री-शिक्षा का प्रचार क्रमशः बढ़ता जा रहा है। परन्तु पढ़नेवाली कन्याओं में से अधिकांश प्राइमरी शिक्षा ही

प्राप्त करती हैं। बाल-विवाह तथा पर्दे की सामाजिक कुरीतियाँ उन की उच्च शिक्षा-प्राप्ति में बाधा डालती हैं, इसमें क्रमशः सुधार हो रहा है। गाँवों में और कहीं कहीं नगरों में कन्याएँ नडको के साथ ही पढ़ती हैं। पाठको ! तुमने कुछ शिक्षा पायी है; और तुम शिक्षा के लाभ समझते हो। क्या तुम देश में स्त्री-शिक्षा के बढ़ाने का प्रयत्न न करोगे ? तुम्हारे कोई सगी या गिश्ते में बहिन-भतीजी आदि हो, तो उसे पढ़ने के लिए उत्साहित करना तुम्हारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य के पालन करने से तुम स्त्री शिक्षा के प्रचार में कुछ-न कुछ सहायक हो सकते हो।

**शिक्षा-कृषि**—यहाँ कानपुर, नागपुर, और पूना (विहार) आदि में कृषि कालिज है। उनके साथ साथ कृषि-विज्ञान-शाला (तथा पशुशाला) हैं। उनमें अनुभव प्राप्त करने के लिए खेती का प्रयोग किये जाते हैं, जिससे नयी-नयी न्योज हो, और खेती के रोग दूर करने के उपाय मालूम हो। कृषि-जानिजों में शिक्षा अंगरेजी भाषा द्वारा दी जाती रही है, अब देशी भाषाओं द्वारा

कुछ शिक्षा मिली हो। भारतवर्ष में अब तक इस शिक्षा का प्रबन्ध बहुत ही कम था। केवल थोड़े से ही नगरों में सरकार की तरफ से ऐसे स्कूल खुले हुए थे, जिनमें कृषि या दस्तकारी, धातु का काम, जेवर बनाना, जवाहरात का काम, कपड़े और दरी बुनना, मिस्तरी का काम, मिट्टी के खिलौने बनाना तथा लकड़ी लोहे आदि का, या दर्जी का काम, चित्रकारी तथा 'बुक-कीपिंग' (अंगरेजी ढङ्ग का वहीखाता), शौटहेड' (शीघ्र-लेख-प्रणाली) और टाइप करना आदि सिखाया जाता था। अब इन विषयों की शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। कुछ बड़े-बड़े नगरों में 'मेडीकल' अर्थात् चिकित्सा सम्बन्धी, तथा कानून की शिक्षा के लिए कालिज खुले हुए हैं, जिनसे डाक्टर और वकील आदि निकलते हैं। अध्यापक का कार्य सिखाने के लिए नार्मल स्कूल, तथा ट्रेनिंग स्कूल और ट्रेनिंग कालिज आदि हैं।

**बुनियादी शिक्षा**—सन् १९३७ ई० में यहाँ प्रान्तों की विशेषतया कांग्रेस-सरकारों ने बुनियादी या आधारभूत (बेसिक) शिक्षा की योजना बनायी। इसकी मुख्य बातें ये हैं छः सात साल के सब बालकों के लिए उनकी मातृभाषा में सात साल तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध हो। शिक्षा का आधार या केन्द्र किसी प्रकार की दस्तकारी हो। शिक्षा के सब विषय (भाषा, गणित, भूगोल, इतिहास, और आलेख्य आदि)

❧ यह योजना महात्मा गांधी की प्रेरणा से बर्धा (मध्यप्रान्त) में बनी थी। इसे बर्धा-शिक्षा-योजना भी कहते हैं।

उस दस्तकारी के सहारे से सिखाये जायें। दस्तकारी का चुनाव स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रख कर किया जाय। प्रयोग के लिए कताई-बुनाई बुनियादी दस्तकारी मानी जाय। इस योजना के अनुसार पहले खूब उत्साह से काम किया गया था, परन्तु सन् १९३६ में कांग्रेस-सरकारों के त्यागपत्र देने के बाद इस ओर उपेक्षा की जाने लगी। सन् १९४६ से यह कार्य फिर अच्छी तरह किया जाने लगा है। अब समग्र शिक्षा या पूरी तालीम का विचार रखा जाता है—सात वर्ष की उम्र से पहले की पूर्व बुनियादी शिक्षा, ७ वर्ष से १४ वर्ष तक की बुनियादी शिक्षा, चौदह वर्ष से बाद की उत्तर बुनियादी शिक्षा, और इन तीनों के अलावा प्रौढ़ शिक्षा।

**शिक्षा विभाग**—पाठको ! अगर तुम किसी सरकारी स्कूल में पढ़े हों तो तुमने देखा होगा कि समय-समय पर उसका निरीक्षण करने के लिए एक अफसर आता है। उसे डिप्टी इन्स्पेक्टर कहते हैं। वह एक या अधिक सब-डिप्टी-इन्स्पेक्टरों की सहायता से जिले के स्कूलों का निरीक्षण करता है। इन्हे जिला-इन्स्पेक्टर भी कहते हैं। एक डिवीजन में कई जिला-इन्स्पेक्टर होते हैं। डिवीजन या सर्कल भर के मुख्य अफसर को 'इन्स्पेक्टर' कहते हैं, उसके कुछ सहायक होते हैं, उन्हें एसिस्टेंट 'इन्स्पेक्टर' कहते हैं। इन्स्पेक्टरों से ऊपर 'डायरेक्टर' आता है, जो एक प्रान्त के शिक्षा-कार्य की देखरेख करता है।

शिक्षा-विभाग के नियम के अनुसार पढ़ाई करानेवाली और उसके कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण करानेवाली सरकारी तथा

म्युनिसिपल और जिला बोर्डों की संस्थाएँ 'पब्लिक' या सार्वजनिक कहलाती हैं। इन्हें छोड़कर आर्यसमाज, ईसाइयो तथा अन्य विशेष सम्प्रदायो की संस्थाओं को 'प्राइवेट' कहते हैं। उनमें प्रायः धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। बहुतसी प्राइवेट संस्थाएँ सरकारी सहायता लेती हैं। उन्हें अपना पाठ्यक्रम निश्चित करने, अपने मकान आदि बनवाने में सरकारी नियमों का पालन करना होता है। सरकारी इन्स्पेक्टर समय-समय पर उनका निरीक्षण करते हैं।

**गैर-सरकारी शिक्षा-संस्थाएँ**—कुछ स्थानों में गुरुकुल, ऋषिकुल, और विद्यापीठ आदि प्राचीन ढङ्ग की तथा कुछ आधुनिक ढङ्ग की संस्थाएँ हैं, ये गैर-सरकारी हैं। हिन्दी भाषा में विविध परीक्षाएँ लेनेवाली संस्थाओं में हिन्दी साहित्य सम्मेलन (प्रयाग) अच्छा काम कर रहा है; इसकी परीक्षाओं के लिए देश भर में सैकड़ों केन्द्र स्थापित हैं। सन् १९४२ में म० गांधी ने वर्धा में हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा कायम की थी। इसकी ओर से हिन्दुस्तानी की परीक्षा की व्यवस्था है, बहुत से स्थानों में उसके परीक्षा-केन्द्र स्थापित हैं। मदरास आदि प्रान्तों में दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा खूब काम कर रही है।

**निरक्षरता का अन्त करने के उपाय**—प्राचीन काल में भारतवर्ष अपने ज्ञान भंडार के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ प्रत्येक ग्राम में ऐसी पाठशाला, और कुछ खास स्थानों में गुरुकुल और विद्यापीठ आदि थी, जिनमें जनसाधारण के बालक बिना कुछ खर्च किये अपने गुरु के पास रहते और यथेष्ट

शिक्षा पाते थे । परन्तु इस समय यहाँ शिक्षित व्यक्ति बहुत कम हैं । सब स्त्री-पुरुष मिलाकर बारह-तेरह फीसदी ही कुछ पढ़ना-लिखना जानते हैं । यह शोभा नहीं देता । दिसम्बर १९३८ में भारत-सरकार के शिक्षा-सलाहकार श्री० सारजेंट ने ४० वर्ष में प्रत्येक प्रौढ व्यक्ति को शिक्षित करने की योजना बनाई थी । वह योजना कुछ चली नहीं । स्वतन्त्र भारत तो ४० वर्ष तक रुका रहना सहन नहीं कर सकता । मत देने के लिए भी २१ वर्ष से अधिक उम्रवाले सभी स्त्री-पुरुषों को शिक्षित बनाना आवश्यक है । यदि जनता मूर्ख है तो वह अपने मत देने आदि के अभियारो का दुरुपयोग ही करेगी ।

शिक्षा-सर्प्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा है कि तमारी योजना दस भर में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का है । ऐसे पाँच वर्ष में करने का विचार है । हर हान्त में पर्येव भारतीय को साक्षर करने का कार्य दस वर्ष में पूरा हो जायगा । पथम पाँच वर्षों में ऐसा प्रवन्ध जिदा जादगा कि





क्षेत्रफल को देखते हुए, अन्य देशों की तुलना में, पैदावार बहुत कम है। इसके मुख्य कारण, किसानों की गरीबी तथा अज्ञान हैं। उनके पास प्रायः इतनी पूँजी नहीं होती कि वे नये यंत्र, ब्रह्मिया खाद, उत्तम बीज आदि खरीदकर काम में ला सकें, अथवा खेतों में पानी देने के लिए कुएँ आदि जितने चाहिएँ, खुदवा सकें। भारतवर्ष में खेती पशुओं की सहायता से होती है, अन्य देशों की तरह यहाँ मशीन तथा वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए यहाँ पशुओं की रक्षा, उन्नति, और चिकित्सा आदि की विशेष आवश्यकता है। इन बातों का यथेष्ट प्रबन्ध न होने से भी यहाँ खेती गिरी हुई हालत में है। इसके अलावा इस देश के अनेक स्थानों में एक आदमी की थोड़ी सी जमीन एक जगह है, और थोड़ी सी दूसरी जगह, बहुत दूर है। इससे उनमें खेती करना, तथा उनकी देखरेख करना, बहुत कठिन हो जाता है, और खर्च भी अधिक पड़ता है। किसानों तथा जमींदारों को चाहिए कि सरकार की सहायता से खेती की इन असुविधाओं को दूर करने का यत्न करें। सहकारी समितियों से भी बहुत बहुत लाभ उठाया जा सकता है, इनके सम्बन्ध में आगे सोलहवें पाठ में लिखा है।

**कृषि-विभाग**—कृषि के उन्नति के लिए भारतवर्ष में एक सरकारी कृषि-संस्था है। अलग अलग प्रान्तों में मन्त्री के अधीन खेती का डायरेक्टर तथा उसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर, इन्स्पेक्टर और इंजिनियर आदि रहते हैं। कृषि-विभाग के अप्पत्तों के प्रयत्नों से कृषि के सम्बन्ध में—

भिन्न प्रकार की जमीनों में उचित खादों के उपयोग, अच्छे बीज, पौधों के रोग और उनके निवारण, नयी तरह के औजारों के उपयोग, और नए तरीकों से खेती करने के सम्बन्ध में—कई उपयांगी बातों का ज्ञान मिल चुका है। परन्तु सर्व-साधारण में अभी इस ज्ञान का यथेष्ट प्रचार नहीं हुआ; कारण, उनमें शिक्षा का प्रचार बहुत कम है, और जब तक सरकारी कर्मचारी उन्हें इस विषय का भली भाँति समझाने तथा उनकी शंकाओं को दूर करने का विशेष रूप से उद्योग न करें, केवल सरकारी फर्मों या नुमायशों से किसानों का काफी लाभ नहीं होता। अब इस ओर ध्यान दिया जा रहा है।

**किसानों को आर्थिक सहायता**—कृषि सम्बन्धी बहुत से सुधार ऐसे हैं, जिनको उपयोगिता किसानों की समझ में अच्छी तरह आ जाने पर भी, वे उनसे समुचित लाभ इसलिए नहीं उठा सकते कि वे प्रायः बहुत गरीब और कर्जदार हैं। किसानों को साहूकारों से बहुत अधिक सूद पर रुपया उधार मिलता है। सरकार उन्हें भूमि का उन्नति करने, और पशु, बीज तथा कृषि सम्बन्धी अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए कम सूद पर रुपया उधार देती है। इसे 'तकावी' कहते हैं। बहुत से किसानों का अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए बहुधा काफी 'तकावी' नहीं मिल सकती। सहकारी साख्त-समितियों से उन्हें बहुत लाभ पहुँच सकता है। इनके विषय में आगे लिखा जायगा। वर्तमान अवस्था में प्रायः किसानों को सरकारी लगान देने के लिए ही, अपनी उपज का बड़ा भाग बेच देना होता है।

बेचने में जल्दी करने के कारण, उसके दाम अच्छे नहीं उठते। इसका सुधार, तथा किसानों की आर्थिक उन्नति करने के लिए इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि लगान की दर में काफी कमी का जाय।

**सिंचाई की आवश्यकता**—ऊपर बताया गया है कि यहाँ प्रायः किसानों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं। इस पर जब धारिण बहुत कम, या बहुत ज्यादा होती है, तो फसल न्यगव राजानों से उनका कष्ट बढ़ जाता है। आन नौर से उत्तरी पंजाब, मयुक्तप्रान्त, और मद्रास प्रान्त के तट की भूमि में वर्षा सुखे, निश्चित नहीं है; और दक्षिण मालवा, गुजरात, मिय और राजपुतान में वर्षा बहुत कम होता है। इन भागों में खेती

सरकार की बनायी हुई, और उसी के प्रबन्ध में हैं। यह सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है। नहरें निकल जाने पर बंजर भूमि बहुत सुहावनी, हरी-भरी, तथा खूब आवाज़ हो जाती है; उदाहरण के लिए पंजाब में नहरें निकलने से कई जगह अच्छी सुन्दर नहरी वस्तियाँ ('कालोनी') हो गई हैं। वहाँ पैदावार तथा आवादी पहले से कई गुनी बढ़ गयी है।

भारतवर्ष में कुल मिला कर जितनी भूमि जोती जाती है, उसमें से इस समय केवल पाँचवें हिस्से में सिंचाई होती है, शेष भूमि का आसरा सिर्फ वर्षा है। नहरें धीरे-धीरे बढ़ रही हैं, परन्तु अभी उनकी आवश्यकता बहुत अधिक है।

**सिंचाई का विस्तार**—भारतवर्ष के स्वतंत्र होने के बाद सरकार अपनी इस जिम्मेवारी को अनुभव करती है कि देश में अन्न आदि यथेष्ट मात्रा में उत्पन्न हो, भोजन वस्त्रादि के सम्बन्ध में जनता स्वावलम्बी हो। प्रान्तीय सरकारें सिंचाई के साधनों को बढ़ाने की ओर ध्यान दे रही हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त-प्रान्त में जहाँ सन् १९४६-४७ में २५० मील लम्बी नहरें बनायी गयी थीं, सन् १९४७-४८ में लगभग ६०० मील लम्बी बनाने की योजना है। गोरखपुर, वस्ती और देवरिया जिले में लगभग १०० ट्यूबवेल (पातालफोड़ कुएँ) बनाए जाने वाले हैं, जिनमें से बिजली द्वारा पानी निकाला जाता है। इन कुओं से लगभग ४५ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इसी तरह अन्य प्रान्तों में सिंचाई का विस्तार हो रहा है।

**सिंचाई का महसूल**—सिंचाई का महसूल भिन्न-भिन्न

प्रान्तों में अलग-अलग हिसाब से वसूल किया जाता है। एक प्रान्त में भी सब फसलों के लिए यह महसूल बराबर नहीं होता, किसी के लिए कम होता है, और किसी के लिए ज्यादा। कहीं-कहीं तो यह महसूल लगान के साथ ही, और, कहीं कहीं अलग लिया जाता है।

**सिंचाई विभाग**—सिंचाई का प्रबन्ध करने के लिए प्रत्येक प्रान्त में एक सरकारी विभाग है, उसे सिंचाई या आबपाशी विभाग कहते हैं। इस विभाग का प्रधान प्रान्तीय अधिकारी 'चीफ इंजिनियर' कहलाता है। उसके अधीन एक-एक 'सर्कल' के सुपरिन्टेंडिंग इंजिनियर और उससे नीचे एक-एक डिवीजन के 'एग्जीक्यूटिव इंजिनियर' होते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजिनियर के नीचे क्रमशः 'एसिस्टेंट इंजिनियर' और 'औवरसियर' आदि कर्मचारी काम करते हैं।

## बारहवाँ पाठ

### सरकारी निर्माण-कार्य

पाठको ! तुमने आगरे का ताजमहल देहली की कुतुब-मीनार, या इलाहाबाद का किला देखा होगा। और नहीं तो ऐसी इमारतों का नाम तो सुना ही होगा। ये इमारतें किसकी हैं? वे दादशाहो या राजाओं ने बनवाई हैं। ऐसी इमारतों

के बनवाने में दो बातों का ध्यान रखा जाता है—या तो यह कि वे बहुत सुन्दर हों अथवा वे बहुत उपयोगी हों। प्राचीन काल में सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा जाता था, आजकल उपयोगिता का विचार अधिक किया जाता है।

पिछले पाठों में यह बताया जा चुका है कि भारतवर्ष में सरकार के बहुत से विभाग तथा कार्य हैं—शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवपाशी, पुलिस, अदालतें और जेल आदि। इनके लिए इमारतें आदि बनवाने की जरूरत होती है। इस कार्य के वास्ते प्रत्येक प्रान्त में सरकार का एक अलग ही विभाग है, जिसका नाम है, सरकारी निर्माण-विभाग। इसे अंगरेजी में 'पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट' कहते हैं; इसका सक्षिप्त है पी. डब्ल्यू. डी.। साधारण बोलचाल में बहुधा अंगरेजी का यह सक्षिप्त नाम ही काम आता है।

**निर्माण-विभाग के काम**—सरकारी निर्माण-विभाग इस प्रकार के काम करता है :—

(१) सड़कें बनाना तथा उनकी मरम्मत करना।

(२) सरकारी कामों के वास्ते आवश्यक मकान, स्कूल, अस्पताल, जेल, दफ्तर, अजायबघर, अदालतें, इत्यादि बनाना, और उनकी मरम्मत करना।

(३) सार्वजनिक सुविधा के लिए बन्दरगाह, घाट पुल आदि बनाना।

(४) आवपाशी के लिए नहरें खोदना।

**सड़कें**—इन कार्यों में सड़कों का भी जिक्र हुआ है।

नागरिकों के लिए ये कितनी उपयोगी होती हैं. यह बहुधा सहज ही अनुमान नहीं किया जाता। भिन्न-भिन्न स्थानों के नागरिकों को मिलने-जुलने के प्रसंग जितने अधिक आते हैं, उतना ही उनकी आपसी व्यवहार तथा व्यापार आदि बढ़ता है; उन्हें एक दूसरे से अनेक उपयोगी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार नागरिकों की आमदगी के माधमों की वृद्धि बहुत आवश्यक है। जिन ही स्थानों के बीच में अच्छी सड़क नहीं होती, वहाँ वे लोगों को एक दूसरे से मिलने में बहुत अड़िधा होता है।



**विभाग का संगठन**—प्रत्येक प्रान्त में सरकारी निर्माण-विभाग का प्रधान कर्मचारी 'चीफ इंजिनियर' कहलाता है। निर्माण-कार्यों के लिए प्रत्येक प्रान्त कुछ 'सर्कलों' में तथा हर एक 'सर्कल' पाँच-छः 'डिवीज़नों' में, बँटा हुआ होता है। 'सर्कल' भर के कार्यों के निरीक्षण करने का अधिकार 'सुपरिटेंडिंग इंजिनियर' को होता है, और डिवीज़न एक 'एग्ज़िक्यूटिव इंजिनियर' के सुपुर्द रहता है। इसके नीचे सहायक इंजिनियर, ओवरसियर और सब-ओवरसियर आदि रहते हैं। भारतवर्ष के स्वतंत्र होने से पहले इस विभाग में काम करनेवाले बड़े-बड़े अधिकारी प्रायः इङ्ग्लैंड में शिक्षा पाकर आते रहे। यहाँ रुड़की, शिवपुर (बङ्गाल), मदरास, पूना, बम्बई और जवल्पुर आदि में इस विषय की शिक्षा की व्यवस्था है।

## तेरहवाँ पाठ

### उद्योग धन्धे

पाठको ! इस-पुस्तक में कृषि का पाठ पढ़ चुके हो। इसमें सन्देह नहीं कि हमें भूमि से उत्पन्न अन्न, गन्ना आदि पदार्थों की बहुत आवश्यकता है। परन्तु केवल उन चीजों से ही हमारा सब काम नहीं चल जाता। हमें बहुतसी ऐसी चीजों की जरूरत होती है, जिनकी खेती नहीं की जाती; जो भूमि से उत्पन्न पदार्थों से भिन्न-भिन्न प्रकार से बनाई जाती हैं। उदाहरण के

लिए हमें पहनने को कपड़े चाहिए। भूमि से कपास पैदा की जा सकती है, परन्तु उससे सूत के कपड़े बनाने का काम और भी करना बाकी रहेगा, तब ही हमारी आवश्यकता पूरी हो सकती है। इस प्रकार जंगल में वृक्ष पैदा होते हैं, परन्तु उनसे लकड़ी के तख्ते तैयार करने या गोंद, लाख आदि इकट्ठा करने का काम और भी करना होता है। इसी प्रकार सोना चांदी या लोहा आदि जिस रूप में ज़मीन से निकलता है, वह बहुत उपयोगी नहीं होता। उसे बड़ी होशियारी और मेहनत से साफ किया जाता है तब उसकी आवश्यक चीजें बन सकती हैं।

**कच्चा और तैयार माल**—इससे स्पष्ट है कि भूमि से जो चीजें मिलती हैं, उनमें से बहुतो को व्यवहार में लाने के लिए हमें तरह तरह के काम करने पड़ते हैं। ये कार्य उद्योग-धन्धे के काम कहे जाते हैं। उद्योग-धन्धो द्वारा 'कच्चे माल' को 'तैयार माल' बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर रुई, ऊन, तेलहन, लकड़ी, लोहा आदि कच्चा माल है। उद्योग-धन्धो से इनके कपड़े तेल, कुर्सी, मेज, औज़ार आदि बनते हैं, जिन्हे तैयार माल कहते हैं।

**दस्तकारी**—प्राचीन काल में, भारतवर्ष में दस्तकारियों का बहुत प्रचार था। खेती की उपज के अलावा लोगो को जिन-जिन चीजो की जरूरत होती थी, उन्हें भी वे यहाँ ही बना लेते थे। उस समय यहाँ से बहुत सा बढिया-बढिया तैयार माल विदेशो में बिकने जाता था। दस्तकारियों के कारण भारतवर्ष का दर्जा अन्य देशो से कहीं ऊँचा था। पर अब वह

रही। जब से कल-कारखानों की लहर चली है, यहाँ बहुत सा माल विदेशों से आता है। कुछ माल यहाँ भी कल-कारखानों में बनता है।

तुम जानते हो कि यहाँ किसान बहुत गरीब है, उनके लिए खेती की पैदावार प्रायः काफी नहीं होती। इसके सिवाय खेती का काम लगातार साल भर नहीं रहता। किसानों का जो समय खेती से बचता है, वह प्रायः बेकार जाता है। यदि वे अपने अवकाश के समय को दस्तकारी में लगावें तो उनके उस समय का सदुपयोग भी हो और उन्हें कुछ आमदनी भी हो। भारत-वर्ष में दस्तकारियों के लिए बड़ी सुविधा है। यहाँ हर तरह का कच्चा माल बहुतायत से पैदा होता है। परन्तु हम उससे तैयार माल नहीं बनाते। बहुतसा कच्चा माल विदेशों को भेज दिया जाता है। वहाँ वाले उसका तैयार माल बनाते हैं, फिर हम अपनी जरूरत के लिए उसे उनसे, भारी मूल्य पर खरीदते हैं। यदि भारतवासी दस्तकारियों और उद्योग-धन्धों की ओर यथेष्ट ध्यान दें तो इस देश को बड़ा लाभ पहुँचे।

भिन्न-भिन्न स्थानों के लिए अलग-अलग दस्तकारियाँ उपयोगी हो सकती हैं। सूत कातना और कपड़ा बुनना एक ऐसा काम है, जिसकी हर जगह जरूरत होती है। यह काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसको शुरू करने में, और आवश्यकता होने पर इसे छोड़ देने में, कुछ कठिनाई नहीं होती। इसलिए किसानों के वास्ते यह दस्तकारी विशेष रूप से उपयोगी है। सहकारी समितियों का विस्तार होने से देश की दस्तकारियों

की बहुत उन्नति हो सकती है। इन समितियों के विषय में आगे लिखा जायगा।

**कल-कारखाने**—निदान, दस्तकारियों की तरफ अधिक ध्यान देना आवश्यक है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं, कि देश में कल-कारखाने बिल्कुल हो ही नहीं। अब तो इनका ही जमाना है, बड़ी-बड़ी मशीनों द्वारा, खूब बड़े पैमाने पर, भाप या विजली आदि की सहायता से, तरह-तरह की बहुत सी चीजें तैयार की जाती हैं। इस युग में मशीनों से घचना बहुत मुश्किल है। ज़रूरत की चीजों में बहुत सी ऐसी हैं, जो मशीनों के बिना तैयार हो नहीं हो सकती। इसके अलावा, जो चीजें तैयार हो सकती हैं, वे कल-कारखानों

कारण अब वस्तियाँ बड़ी घनी हो गयी हैं। धुआँ बहुत रहता है। मकानों का किराया बढ़ता ही जाता है। साधारण आम-दनी वाले मजदूरों को बहुत तग जगह में निर्वाह करना पड़ता है, उसकी आवहवा भी अच्छी नहीं होती। इससे उनका स्वास्थ्य विगड़ जाता है। वे रोगी और दुर्बल हो जाते हैं। सत्सङ्ग न मिलने से वे मद्यपान आदि की बुरी आदतों के शिकार होते हैं। बहुत से मजदूरों को बहुत समय तक अपने घर-गृहस्थी से दूर रहना पड़ता है। उनके बाल बच्चों की सार-सँभार नहीं होती। उनका परिवारिक सुख बहुत-कुछ नष्ट हो जाता है।

**मजदूरों और पूँजीपतियों का विरोध**—इसके अलावा एक बात और है। कल-कारखानों में यद्यपि श्रम और पूँजी दोनों सहायक होते हैं, परन्तु श्रम करनेवालों और पूँजी लगाने-वालों का प्रायः आपस में विरोध रहता है। मजदूर सोचते हैं कि हमें अपने काम के बदले जितनी अधिक मजदूरी और सुविधाएँ मिलें; उतना ही अच्छा है। दूसरी ओर कारखाने वाले विचारते हैं, कि हमें मजदूरों के वेतन आदि में खर्च जितना कम करना पड़े, उतना ही उत्तम है। प्रत्येक अपने स्वार्थ को देखता है, तो आपस में विरोध होनेवाला ही ठहरा। दोनों पक्ष सफलता के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने का उद्योग करते हैं, और, इसी लिए अपना संगठन करने की फिकर में रहते हैं।

**हड़ताल**—पहले मजदूरों की बात लें। जहाँ कारखाने में सैकड़ों और हज़ारों मजदूर काम करते हैं, वहाँ दो चार, या

दस-बीस के काम छोड़कर चलेजाने से, कारखाने की विशेष हानि नहीं होगी; मालिक पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मजदूर इकट्ठे मिलकर, मालिक को पहले से सूचना अर्थात् 'नोटिस' देकर, एकसाथ काम छोड़ते हैं। इसे हड़ताल करना कहते हैं। हड़ताल के समय अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वे पहले से थोड़ी-थोड़ी रकम जमा करके एक कोष जमा कर लेते हैं। जिनके पास ऐसा कोष नहीं होता, उनकी हड़ताल सफल नहीं हो सकती। कभी-कभी हड़ताल सफल न होने का कारण यह भी होता है कि मजदूरों में फूट हो जाती है; कुछ मजदूर मालिकों से शिकायतें दूर कराने से पहले ही, काम पर जाने को तैयार हो जाते हैं; अथवा, उस नगर के या बाहर के अन्य मजदूर वहाँ आ जाते हैं। इस विचार से, जो लोग हड़ताल करते हैं, वे कोशिश करते हैं कि उनकी जगह काम करने के लिए दूसरे मजदूर न आ सकें। जो आना चाहते हैं, उन्हें वे रोकते हैं, और, उन पर वे कई प्रकार का दबाव डालते हैं। इससे कई बार उपद्रव होने की आशङ्का होती है।

**द्वारावरोध**—जिस प्रकार मजदूर संगठित होकर हड़ताल द्वारा कारखाने के मालिकों से अपनी वेतनादि की शर्तें पूरी कराना चाहते हैं, उसी प्रकार जब कारखानेवाले समझते हैं कि हम मजदूरों से कम वेतन पर काम करा सकते हैं, तो वे आपस में सलाह करके मजदूरों को नोटिस दे देते हैं कि अमुक दिन से, तुम्हारी गरज हो तो इतनी मजदूरी पर, इतने घटे काम करना, अन्यथा यहाँ मत आना। यदि मजदूर ये शर्तें नहीं

मानते तो मालिक अपने कारखाने का फाटक बन्द करके उनका आना रोक देता है। इसे द्वारावरोध (दरवाजा बन्द करना) या तालाबन्दी ('लाक आउट') कहते हैं। मजदूर प्रायः गरीब होते ही हैं; इसके अतिरिक्त, यदि उनमें संगठन भी न हो तो पूँजी-पतियों के सामने उनकी हार निश्चित ही समझनी चाहिए।

**विरोध कैसे हटे ?**—हड़ताल और द्वारावरोध दोनों आजकल कारखानों के युग में साधारण बात हो गयी हैं; मजदूर और पूँजीपतियों को बराबर यह चिन्ता लगी रहती है, कि कहीं दूसरा पक्ष हमसे अधिक बलवान न हो जाय। प्रत्येक अपना-अपना स्वार्थ सिद्ध करना, और दूसरे को हराना चाहता है। कोई दूसरे की भलाई नहीं देखता। उधर, हड़ताल हो या द्वारावरोध, उससे धनोत्पत्ति का काम तो रुक ही जाता है; इससे देश की बड़ी हानि होती है।

इस और स्वतंत्र भारत की सरकार ने विशेष ध्यान दिया। दिसम्बर १९४७ में दिल्ली में औद्योगिक सम्मेलन हुआ, उसमें यह समझौता कराने का विचार किया गया कि औद्योगिक क्षेत्रों में अभी कम से कम तीन साल शान्ति बनायी रखी जाय। उस सिलसिले में एक केन्द्रीय श्रम-सलाहकार समिति तथा प्रान्तों में प्रान्तीय समितियाँ नियुक्त करने का निश्चय किया गया। ये समितियाँ उद्योग और श्रम सम्बन्धी मुख्य-मुख्य प्रश्नों यथा मजदूरों का उचित पारिश्रामिक, उन्हें मिलने योग्य सुविधाएँ और मुनाफे में हिस्सा आदि—पर विचार करेंगी। ऐसी समितियाँ निस्पक्ष और त्रिचारपूर्ण निर्णय दें,

और उन निर्णयो को सच्चाई और लगन के साथ अमल में लाया जाता रहे तो श्रमजीवी और पूजीपतियों का आपसी विरोध हटने और औद्योगिक विकास होने में बहुत सहायता मिले। इस समय उत्पादन बढ़ाने की बहुत ही आवश्यकता है, इसलिए मजदूरों की हड़तालों सरकार द्वारा अवैध घोषित की हुई हैं।

**कारखाना-कानून**—सरकार कल-कारखानों की सुराईयों रोकने के लिए क्या करती है ? भारतवर्ष के कारखाना-कानून की कुछ मुख्य-मुख्य बातें ये हैं :—

जिन कारखानों में मशीन से काम होता हो, और बीस या अधिक आदमों काम करते हो, उसमें यह कानून लागू होता है। किसी मजदूर में बारहमासी कारखानों में एक सप्ताह में ४८ घण्टे और एक दिन में ६ घण्टे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। सप्ताह में एक दिन छुट्टी रहनी चाहिए। बारह वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम पर नहीं लगाया जा सकता। पन्द्रह वर्ष से कम उम्रवालों से छः घण्टे से अधिक श्रम नहीं कराया जा सकता। स्त्रियों तथा लड़कों में रात्रि में काम कराने का निषेध है। मशीन के चारों ओर घेरा या बाड़ रहनी चाहिए। कारखानों में पानी, रोशनी इवा सफाई आदि का संप्रबन्ध होना चाहिए।



होता। कुछ कारखानेवाले इन बातों की ओर क्रमशः ध्यान दे रहे हैं, अभी और बहुत से प्रयत्नों की आवश्यकता है।

**ग्राम उद्योग संघ**—दस्तकारी में बहुत सी समस्याएँ पैदा नहीं होतीं, जो कल-कारखानों में अवश्य होती हैं। उनका काम करनेवाले अपने परिवार के अन्य आदमियों के साथ रहते हैं, वे मद्यपान और तिलासिता से मुक्त रहते हैं। पूँजीपात और मजदूरो का संघर्ष भी नहीं होता। भारतवर्ष में दस्तकारों का संगठन बहुत कम है। हाँ, सन् १९२५ ई० से अखिल भारत-वर्षीय चर्खा-संघ हाथ की कताई और बुनाई का कार्य उत्तरो-बढ़ा रहा है। सन् १९३४ई० से अखिल भारतवर्षीय ग्राम-उद्योग संघ भी विविध उद्योगों की उन्नति में लगा हुआ है। इनका प्रधान कार्यालय वर्धा (मध्यप्रान्त) में, और शाखाएँ जगह-जगह हैं।

**सरकारी औद्योगिक नीति**—सरकारी नियंत्रण की दृष्टि से उद्योग धंधों की अब तीन श्रेणियाँ हैं। बड़े-बड़े विजली पैदा करनेवाले, रसायन बनानेवाले, सीमेंट के कारखाने तथा यातायात के साधन सरकारी होंगे और सरकार उनका प्रबन्ध करेगी। दूसरी श्रेणी में ऐसे उद्योग धंधे होंगे जिन पर, सरकार बड़े परिमाण में हिस्से खरीद कर, तथा संचालक-बोर्ड में प्रभावशाली स्थान प्राप्त करके, नियंत्रण रखेगी। बाकी के उद्योग धंधे व्यक्तिगत रूप से किये जाने के लिए खुले रहेंगे।



# चौदहवाँ पाठ

## व्यापार

पाठको ! रेलों का पाठ तुम पढ़ चुके हो; उनसे व्यापार में कैसी सहायता मिलती है, यह तुम जानते हो । प्राचीन काल में रेल नहीं थी; डाक तार की तरह के समाचार भेजने के साधन भी नहीं थे । इसलिए, उस समय भिन्न-भिन्न देशों के निवासियों का आपस में इतना सम्बन्ध नहीं था । पहले प्रायः प्रत्येक गाँव (या नगर) के आदमी आवश्यक पदार्थों को वहीं मोल ले लेते थे । यदि कभी किसी ऐसी चीज की जरूरत होती थी, जो उनके निवास-स्थान में न मिले तो वे उसे बाजार या हाट के दिन, पास के दूसरे गाँव या नगर से, ले आते थे । जो चीजें वहाँ भी न मिलती, वे तीर्थ-यात्रा आदि के समय, भारतवर्ष के ही, दूसरे स्थानों से लायी जाती थी ।

यद्यपि प्राचीन काल में भी भारतवर्ष का तैयार माल मिस्र और रोम आदि पश्चिमी देशों के बाजारों में जाता था, अब यहाँ के देशी और विदेशी व्यापार में बहुत वृद्धि हो गयी है । परन्तु यहाँ अब अन्य देशों से बहुत सा तैयार सामान आता है और अधिकांश में कच्चा माल बाहर जाता है । अस्तु, नयी-नयी वैज्ञानिक खोज और आविष्कारों से व्यापार में बहुत सुविधा हो गयी है । स्मरण रहे कि व्यापार एक समाज-सेवा का कार्य है; मुनाफेखोरी

या बेईमानी करके धन संग्रह करना इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए ।

**व्यापार के साधन**—व्यापार के तीन मार्ग हैं—स्थल मार्ग, जल-मार्ग और वायु-मार्ग । स्थल मार्ग में कच्ची पक्की सड़कों पर, ठेलों, गाड़ियों, पशुओं, मोटरों आदि से माल जाता है । आधुनिक व्यापार-वृद्धि में रेलों से बड़ी सहायता मिल रही है । जल-मार्ग में नदियों, नहरों और समुद्रों में नाव स्टीमर और जहाज चलते हैं । युद्ध-काल में, पनडुब्बियों द्वारा, पानी के नीचे-नीचे भी माल ढोया जाता है । वायु-मार्ग से व्यापार थोड़े ही समय से किया जाने लगा है । हवाई जहाजों द्वारा अभी कहीं-कहीं थोड़ा-थोड़ा माल पहुँचाया जाता है, आगे इसमें बहुत उन्नति की सम्भावना है । डाक, तार, टेलीफोन, और बेतार-के-तार द्वारा एक जगह से दूसरी जगह व्यापार सम्बन्धी समाचार भेजने का काम बड़ी आसानी से और जल्दी ही हो जाता है, और इससे व्यापार खूब बढ़ता है । डाक से तो छोटे-छोटे पार्सल या पकेट आदि भी भेजे जाते हैं । व्यापार में जो लेन-देन होता है, उसमें बैङ्को से बड़ी सहायता मिलती है, इनके विषय में आगे लिखा जायगा ।

व्यापार की वृद्धि के लिए इन सब साधनों की उन्नति होना आवश्यक है । यह काम अधिकतर सरकार के ही करने का होता है । भारतवर्ष में सरकार द्वारा जो काम हो रहा है, उसका वर्णन पिछले पाठों में हो चुका है । बीमे के बारे में कुछ बातें यहाँ बतायी जाती हैं ।

**बीमा**—डाकखाने के पाठ में तुम पढ़ चुके हो कि चिट्ठियाँ, पार्सल और हुण्डियाँ आदि भेजते समय उनकी रक्षा या हिफाजत के लिए फीस देकर उनका बीमा कराया जा सकता है। व्यापार में बहुधा बहुत संदेह और जोखिम रहती है। कहीं कोई जहाज डूब न जाय, या उसमें आग न लग जाय, इस विचार से उनका बीमा कराने की व्यवस्था होती है। अगर बीमा किया हुआ कोई जहाज डूब जाय, या किसी मकान या कारखाने आदि में आग लग जाय, तो उसका बीमा करनेवाली कम्पनियाँ उसके मालिक को उतनी रकम दे देती हैं, जितने का बीमा होता है। जिन्दगी का बीमा कराने के विषय में, तुम्हें अगले पाठ में बताया जायगा। आजकल बीमा करना एक रोजगार है, और बीमा-कम्पनियाँ इस काम को अपने फायदे के लिए करती हैं।

**तोल और माप**—व्यापार करने के लिए मुद्रा (रुपए-पैसे) तथा तोल और माप का होना आवश्यक है। यदि किसी देश में ये भिन्न-भिन्न प्रकार के हों तो वहाँ के आदमियों को आपस में व्यापार करने में बड़ी असुविधा होती है, और धोखा भी हो सकता है। मुद्रा का वर्णन तो अगले पाठ में किया जायगा, तोल और माप का विचार यहाँ किया जाता है। भारतवर्ष में सार्वजनिक व्यवहार में तोल के लिए सेर काममें लाया जाता है। यद्यपि कहीं-कहीं सेर कुछ कम या ज्यादा वजन का भी होता है, यहाँ अधिकतर अस्सी तोले के सेर का ही चलन है। आम तौर पर सब चीजों का वजन सेर में किया जाता है। भारी

नम्बर अपने पास लिख रखें ।

अच्छा, रुपए-पैसे होते हुए नोट क्यों चलाए जाते हैं । बात यह है कि बड़े व्यापार में सोने चाँदी के बहुत से सिक्के एक स्थान से, किसी दूसरे दूर के स्थान पर लेजाने में बड़ी असुविधा प्रतीत होती है । इस असुविधा को दूर करने के लिए लोगों को क्रमशः धातुओं का आधार छोड़कर, कागजी मुद्रा अर्थात् हुँडियो या नोटों से काम निकालने की सूझी । नोट सरकार बनाती है, और हुँडियाँ व्यापारी या महाजन लोग, अपने आपस के व्यवहार के लिए चलाते हैं । कागजी मुद्रा वास्तव में सिक्का नहीं है, यह केवल एवजी सिक्का है, जो चलाने-वाले के विश्वास या साख पर चलता है । इसे कोई उसी दशा में स्वीकार करता है, जब उसे यह निश्चय होता है कि आवश्यकता होने पर, उसे इसके एवज या बदले में, इस पर लिखे मूल्य के सिक्के मिल जायेंगे ।

हुँडियो का चलन तो यहाँ के व्यापारियों में बहुत समय से है, पर नोटों का चलन अंगरेजों के समय में ही हुआ है । हुँडियो की अपेक्षा नोट दूर-दूर तथा बहुत आदमियों में चलते हैं । कारण, कि नोटों को सरकार चलाती है, और सरकार को देश के सब आदमी जानते हैं; सब का उस पर विश्वास होता है, इसलिए कोई उन्हें लेने से इनकार नहीं करता । हाँ, एक राज्य के नोटों का दूसरे राज्य में कुछ मूल्य नहीं होता । आवश्यकता से अधिक होने पर तो नोट अपने राज्य में भी चलने कठिन हो-जाते हैं ।

**बैंक**—तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि रुपया-पैसा कहाँ और कैसे जमा हो सकता है, जिससे वह सुरक्षित रहे, उसके चुराए जाने आदि का भय न हो, तथा ज़रूरत होने पर वह मिल भी सके। जो संस्थाएँ लोगों का रुपया जमा करती हैं और उनकी आवश्यकतानुसार देती हैं, उन्हें बैंक कहते हैं। बैंकों का नाम तुमने सुना ही होगा। इनसे केवल हमारा जमा किया हुआ रुपया ही नहीं मिलता, उस रुपए का सूद भी मिलता है। फिर, जिन आदमियों का वहाँ रुपया जमा न हो, वे भी विश्वास-पात्र होने को दशा में, बैंकों से रुपया उधार ले सकते हैं।

**बैंकों का काम**—पाठकों! सम्भव है, तुम्हारे शहर या गाँव में कोई बैंक, या उसका कोई शाखा हो। तुम जानते ही हो कि महाजन लोग बहुधा-कोई ज़बर आदि गिरवी रक्कत, कागज़ लिखवाकर किसानों या मजदूरों आदि को व्याज पर रुपया उधार दिया करते हैं। बैंक भी ऐसा ही करते हैं, परन्तु महाजन केवल उधार देते हैं, वे लेते शायद ही कभी हैं; और बैंक व्याज पर रुपया लेते भी रहते हैं। इस प्रकार बैंकों का काम रुपया उधार लेना, उधार देना, हुंड़ी पुर्जें आदि खरीदना,

रुपया-पैसा; विनिमय का माध्यम—पदार्थों का यह अदल-बदल हर जगह और हर समय सुभीते से नहीं हो सकता। सम्भव है, जो वस्तु हम देना चाहें उसकी दूसरे को जरूरत न हो, अथवा यदि उसे जरूरत भी हो तो उसके पास हमारी जरूरत की चीज न हो। उदाहरण के लिए कल्पना करो कि हमारे पास सेर भर गुड़ है, हम उसे देकर नमक लेना चाहते हैं। अब हमें ऐसे आदमी की तलाश करनी है, जिसे गुड़ की जरूरत हो और जिसके पास हमें देने के लिए नमक हो। ऐसा आदमी हर समय आसानी से नहीं मिल सकता। यदि किसी आदमी को गुड़ की जरूरत है परन्तु उसके पास नमक नहीं है, और रूई है, तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा। यदि हम उससे रूई ले लेंगे, तो हमें ऐसे आदमी की तलाश करना होगा जो हमसे रूई लेले और बदले में हमें नमक दे सके। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चीजों के अदल बदल में बड़ी कठिनाई होती है। इसे दूर करने के लिए मुद्रा या रुपए जैसे काम चलाने की बात सोची गई। जो वस्तु हमें देनी हो, उसे बेचकर हम रुपया ले लेते हैं, और फिर उस रुपए से, जिस चीज की हमें जरूरत होती है वह माल ले लेते हैं। यदि रुपया न हो, तो माल लेने और देनेवाले आदमियों को बड़ी झंझट रहे। रुपया उनके बीच में, पड़कर, उसे दूर कर देता है। यह एक प्रकार के बिचवई, मध्यस्थ या माध्यम का काम देता है।

माल की खरीद-बेच (क्रय-विक्रय) को 'विनिमय' कहते हैं। विनिमय का अर्थ बदला करना है, परन्तु अब यह शब्द उसी

अदल-बदल के काम के लिए उपयोग किया जाता है, जहाँ रुपए-पैसे से काम लिया जाय। अतः रुपए-पैसे को 'विनिमय का माध्यम' कहा जाता है।

भारतवर्ष में पहले सरकार जनसाधारण से सोना-चाँदी और ढलाई-खर्च लेकर उनके वास्ते सिक्के ढाल देती थी। परन्तु सन् १८६३ से यह बात नहीं रही। अब सरकार को जितने सिक्कों के ढालने की आवश्यकता मालूम होती है, उतने वह स्वयं ढालती है।

**नोट अर्थात् कागजी मुद्रा** — पाठको ! तुमने नोट देखा ही होगा। सम्भव है, तुमने नोट देकर कोई चीज माल ली हो। नोट एक प्रकार का कागज ही होता है, पर उस कागज में और साधारण कागजों में फरक होता है। नोट पर विशेष प्रकार की सरकारी छाप होती है, उस पर एक खास नम्बर होता है, तथा उसमें यह छपा रहता है कि सरकार इस बात की प्रतिज्ञा करती है कि वह इस कागज के बदले में उस पर लिखी हुई रकम की देनदार है। इसलिए उस कागज की इतनी कीमत होती है।



वस्तुएँ मन या पसेरी आदि में तोली जाती हैं। इसी प्रकार साधारणतः माप के लिए गज काम में लाया जाता है। एक गज, दो हाथ या छत्तीस इंच का होता है। भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है; इसलिए अलग-अलग प्रान्तों में तोल और माप में कुछ भिन्नता होनी स्वाभाविक है। तथापि ऊपर बताए हुए 'सेर' और 'गज' का प्रचार होने से समस्त देश के व्यापार में बड़ी सुविधा हो गई है।


**व्यापार-नीति**—विदेशों से व्यापार करने में किस प्रकार की नीति बर्ती जाय, इसका निश्चय सरकार करती है। यह नीति भिन्न-भिन्न समय में तथा भिन्न-भिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में बदलती रहती है। कभी-कभी किसी देश की सरकार कुछ विदेशी वस्तुओं पर ऐसा कर लगा देती है जिससे वे इतना महँगी हो जायँ कि उस देश में उनकी खरीद बिल्कुल न हो सके, अथवा बहुत ही कम हो सके, और, इस प्रकार वहाँ के स्वदेशी उद्योग धंधों की उन्नति में सहायता पहुँचे। इसे संरक्षण ('प्रोटेक्शन') नीति कहते हैं। इस नीति को व्यवहार में लाने-वाली सरकार कभी-कभी अपने देश के कला-कौशल और उद्योग धंधों के लिए कारखानेवालों को पुरस्कार या सहायता भी देती है। इसे अंगरेजी में 'बाउंट्री' कहते हैं। जिन देशों के उद्योग-धन्धे गिरी हुई हालत में हों, उन्हें संरक्षण नीति से बड़ा लाभ होता है।

जिन देशों में उद्योग-धन्धे उन्नत अवस्था में हों, जो विदेशी माल का मुकाबिला आसानी से कर सकते हों,

वहाँ सरकार कर लगाने में स्वदेशी या विदेशी वस्तुओं में कोई भेद-भाव नहीं रखती; जैसे अपना माल अन्य देशों को स्वतन्त्रतापूर्वक जाने दिया जाता है, वैसे ही दूसरे देशों का माल अपने देश में बे-रोकटोक आने दिया जाता है। इस प्रकार की नीति को 'मुक्त व्यापार' या 'फ्री ट्रेड' नीति कहते हैं। भारतवर्ष के उद्योग-धन्धे उन्नत अवस्था में नहीं हैं, तथापि यहाँ इङ्गलैंड की तरह प्रायः मुक्त व्यापार-नीति ही काम में लाई जाती रही है। इसमें अभी तक विशेषतया यह ध्यान रखा गया है कि इङ्गलैंड को हानि न पहुँचे। बहुत आन्दोलन होने पर पिछले वर्षों में कपड़े, लोहे, फौलाद कागज और चीनी को सरक्षण मिला है। अब भारतवर्ष स्वतन्त्र है और यहाँ सरकार अपनी व्यापार-नीति जैसी चाहे रख सकती है। अब तुम समझ गए होंगे कि व्यापार-नीति के दो भेद हैं—सरक्षण नीति और मुक्तव्यापार नीति। इनके विषय में विशेष बातें तुम पीछे जान सकोगे।

## पन्द्रहवाँ पाठ

### रुपया पैसा और बैंक



पाठको ! तुम्हें भोजन वस्त्र, कागज कलम, किताब, औजार आदि कुछ ऐसी वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है, जो दूसरों की बनाई हुई हों। ये वस्तुएँ तभी मिल सकती हैं, जब तुम उनके बदले में अपनी चीजें दो। समाज में रहनेवालों का इस अदल-बदल के बिना गुजारा नहीं होता।

प्रत्येक बैंक में रुपया जमा करने तथा उसमें से लेने के कुछ नियम होते हैं। जो रुपया चालू हिसाब में जमा किया जाता है (जिसे जमा करनेवाला जब चाहे ले सके), उस पर सूद बहुत कम मिलता है, और जो रुपया किसी खास मुद्दत (साल छ. महीने) के लिए जमा किया जाता है, उस पर सूद अधिक मिलता है, क्योंकि बैंकवाले उसे किसी स्थायी काम में लगाकर उससे अधिक लाभ उठा सकते हैं।

**भारतवर्ष के बैंक**—भारतवर्ष में कई प्रकार के बैंक हैं, रिजर्व बैंक, इम्पीरियल बैंक, एक्सचेंज बैंक, 'जोयन्ट स्टॉक' या मिश्रित पूँजी के बैंक, सेविंग बैंक तथा 'कोऑपरेटिव' या सहकारी बैंक। इस पाठ में तुम्हें सेविंग बैंको का हाल बताया जायगा। सहकारी बैंको के विषय में, अगले पाठ में लिखा जायगा। अन्य प्रकार के बैंकों की बातें तुम्हें पीछे ज्ञात हो जायँगी।

भारतवर्ष में बैंको की संख्या तथा कार्य धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, तथापि अभी बैंक बहुत कम हैं। यहाँ ऐसे बैंको की बहुत ही जरूरत है, जिनका काम खास तौर से खेती तथा शिल्प की उन्नति करना, हो। नागरिकों को इनकी स्थापना तथा प्रचार में सहयोग करना चाहिए।

**सेविंग बैंक**—पाठको! ढाक और तार के पाठ में तुम पढ़ चुके हो कि ढाकखानों में सेविंग बैंक का भी काम होता है, वहाँ आदमी अपनी बचत का रुपया आसानी से जमा कर सकते हैं। सम्भव है, तुम्हारी भी कुछ रुपया जमा कराने की इच्छा हो,

इसलिए इनके मुख्य-मुख्य नियम यहाँ दिए जाते हैं; अन्य बातें ढाकखाने से मालूम हो सकती हैं।

१—कोई आदमी, अपने नाम से या अपने किसी रिश्तेदार या नौकर आदि के नाम से, अलग-अलग खाता खोल सकता है।

२—नाबालिग लड़के भी अपने नाम से रुपया जमा करा सकते हैं; उन्हें रुपया वापिस लेते समय दूसरे आदमी की गवांही या शहादत करानी होती है।

३—एक बार में कम से कम 1) तक जमा किया जा सकता है।

४—कोई मनुष्य ५०००) रुपए तक जमा कर सकता है, वह चाहे तो एक ही बार में इतनी रकम जमा कर सकता है।

५—एक सप्ताह में, सोमवार से लेकर शनिवार तक, रुपया केवल एक बार वापिस मिल सकता है; हाँ, जमा तो तुम हर रोज करा सकते हो।

यह बीमा कराना चाहे, उसे चाहिए किसी अच्छी बीमा-कम्पनी के एजेंट से मिलकर सब बातें मालूम करले। उसे निश्चित किए हुए समय पर अपनी किस्त का रुपया देते रहना होगा। एक किस्त साल, छः महीने, तीन महीने या एक-एक महीने की हो सकता है। सब के लिए किस्त की रकमें बराबर नहीं होती; बीमे की रकम तथा जमा करनेवालों की उम्र और सुभीते के अनुसार, छोटी-बड़ी होती हैं। जिन लोगो की थोड़ी आमदनी है, वे भी कांशिश करके किस्त के लिए कुछ बचत कर सकते हैं। बीमे की मियाद पूरी होने पर बीमा करानेवाले को, बीमे की इकट्टी रकम मिल जाती है। इसके सिवाय उसे जैसा नियम हो, कुछ मुनाफे या सूद की रकम भी मिलती है।

बैंक में भी तो बचत का रुपया जमा हो सकता है, और उस पर भी सूद मिल सकता है, फिर बीमा कराने में विशेष लाभ क्या है? देखो, बैंक में रुपया जमा कराना तो तुम्हारी इच्छा पर रहता है। मानलो तुमने एक बार कुछ रुपया जमा करा दिया, फिर तुम्हें कोई कहनेवाला नहीं, कि इतने समय में इतना जमा करना ही चाहिए। परन्तु बीमे में यह बात नहीं है। उसमें तो किस्त का समय होने पर तुम्हें जमा कराना ही होगा, नहीं तो पहला जमा किया हुआ रुपया डूबने की शंका रहेगी। इस भय से, जैसे बनेगा, तुम उसके लिए बचत करोगे।

बीमे में एक विशेषता और है। बैंक का रुपया तो तुम चाहे जब वापिस ले सकते हो। इसलिए यह भी सम्भव है कि

तुम्हारे पास बड़ी रकम होने ही न पाए। परन्तु बीमे में यह नहीं होता; उसमें तो मियाद पूरी होने पर, तुम्हें पूरी रकम मिलेगी। एक बात और भी है। बैंक में तो जितना रुपया किसी का जमा होगा, उतना ही वह लेने का हकदार होगा। परन्तु बीमे में यह बात है कि अगर बीमा करानेवाला बीमे की मियाद से पहले ही मर जाय तो जितने का उसने बीमा कराया हो, वह पूरी रकम उसके बाल-बच्चों को मिलेगी; यह नहीं कि जिनका जमा हुआ हो, सिर्फ उतना ही मिले। मानलो किसी ने वास साल के लिए दो हजार रुपए का बीमा कराया तो हर साल उसे सौ रुपए से कुछ कम जमा कराना होगा; अब अगर दो साल में ही उसकी मृत्यु हो जाय तो जमा तो दो सौ रुपए से कम हुआ। पर उसके बालबच्चे पूरी दो हजार की रकम बीमा-कम्पनी से, ले सकेंगे।

## सोलहवाँ पाठ

### सहकारी समितियाँ

सहकारिता—पहले बताया जा चुका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रायः आदमी मिल-जुलकर गाँवों या नगरों में रहते हैं। मनुष्यों में आपसी सहयोग या सहकारिता का भाव जितना अधिक होता है, उतना ही वे अधिक उन्नति कर सकते

हैं। भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से लोगो में इसका व्यवहार है। कुछ गाँवों में सब किसान मिलकर एक या दो कोल्लू मोल या किराए पर ले लेते हैं, और वारी-वारी से ईख पेर लेते हैं। कहीं कहीं कई-कई किसान मिल कर खेती करते हैं, और फसल को, अपने श्रम या बैलो के उपयोग के हिसाब से, बाँट लेते हैं। कहीं-कहीं तालाब खोदने, सड़क, मंदिर, धर्मशाला आदि बनाने तथा इनकी मरम्मत का काम भी मिलकर किया जाता है। पचायती मंदिर आदि की प्रथा अभी तक प्रचलित है, उससे भी सहकारिता का परिचय मिलता है।

**सहकारी समितियाँ**—पारस्परिक सहयोग या सहकारिता का भाव रखकर जो समितियाँ बनाई जाती हैं, उन्हें सहकारी समितियाँ कहा जाता है। हमें विविध वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इसलिए वे वस्तुएँ पैदा की जाती हैं, या बनाई जाती हैं, यह पहले समझाया जा चुका है। जो लोग वस्तुएँ उत्पन्न करते हैं, वे उत्पादक कहे जाते हैं; और जो उनका खर्च या उपभोग करते हैं, वे उपभोक्ता। उत्पादक और उपभोक्ता ये दोनों समूह अपनी सहकारी समिति बना कर बहुत लाभ उठा सकते हैं। उत्पादक-सहकारी समिति का उद्देश्य यह रहता है कि माल पैदा करने में खर्च कम-से-कम हो, उसमें हर तरह की किरायात की जाय और पीछे उसे अच्छे दामों में बेचा जाय, जिससे मुनाफा अधिक-से-अधिक हो। उपभोक्ता सहकारी-समिति का उद्देश्य यह होता है कि वस्तुओं को कम-से-कम मूल्य में खरीदें; जहाँ से वे सस्ती मिल सकें, वहाँ से ही खरीदी

जायँ, जिससे समिति के सदस्यों को वे यथासम्भव कम मूल्य में, कृपायत से, दी जा सकें। समिति अपने सब सदस्यों के लिए वस्तुएँ खरीदती है, इसलिए वह स्वभावतः उन्हें बड़े परिमाण में खरीदती है। इकट्ठी लेने से चीजों के भाव में कुछ रियायत हो जाती है; दूसरे स्थान से मँगानी हो तो बड़े परिमाण में होने के कारण, पैकिंग खर्च तथा भाड़ा आदि भी औसतन कम पड़ता है। इस प्रकार उपभोक्ता-समिति को, अलग-अलग आदमियों की अपेक्षा, चीजें सस्ती पड़ती हैं, और वे अपने सदस्यों को उन्हें कम मूल्य में, कृपायत से, दे सकती हैं। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों प्रकार की सहकारी समितियाँ दुन्नालो को एटा देना चाहती हैं।

सावधानता के सिद्धान्तों का उपयोग अनेक प्रकार से हो सकता है। इसलिए ऊपर बताई हुई दो प्रकार की सहकारी समितियों के अन्तर्गत कई तरह की समितियाँ होती हैं— कृषि-सावकारी-समितियाँ, गृह निर्माण-सहकारी-समितियाँ, दूध-सहकारी समितियाँ, विजय-सहकारी-समितियाँ आदि। विद्या-सावधि, सफाई, मान-सुधार आदि जाहे जिस कार्य के



कि भारतवर्ष में अधिकतर जनता किसानों की है, और, ये बहुत गरीब हैं; इनकी आर्थिक दशा बहुत खराब है। इन्हे खेती आदि के लिए रुपए की बहुत जरूरत होती है, परन्तु इनकी साख कम होने के कारण इन्हे महाजन बहुत अधिक सूद पर रुपया उधार देते हैं। इसका उपाय क्या है ?

तुम जानते हो कि जो पूँजी एक मनुष्य को अपनी साख पर, कभी-कभी बहुत प्रयत्न करने पर भी, नहीं मिल सकती, वही कई मनुष्यों की साख पर कम व्याज में और आसानी से मिल सकती है। इसलिए नागरिकों को सहकारी साख समितियाँ स्थापित करने की बड़ी आवश्यकता है, जो उनकी साख बढ़ावें। इन समितियों का उद्देश्य यह होता है कि किसानों की कर्जदारी दूर हो, वे फिजूलखर्ची न करे, और उन्हें उपयोगी कार्यों के लिए रुपया उधार मिल सके, जिससे उनकी आमदनी बढ़े।

सरकारी कानून—भारतवर्ष में सहकारी साख समितियों का कानून बना हुआ है; इसकी कुछ मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—  
 (१) किसी गाँव या शहर के एक जाति या पेशे के, अठारह साल से अधिक उम्र के कम-से-कम दस आदमी मिलकर सहकारी साख समिति बना सकते हैं। (२) समिति के सदस्य (सम्बर) वे ही आदमी होने चाहिएँ, जो एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हों। (३) समिति का कार्य अपने सदस्यों की अमानत जमा करना, दूसरे आदमियों से एवं अन्य समितियों से उधार लेना, तथा अपने सदस्यों को आवश्यकता-नुसार उधार देना, है। (४) समिति का प्रत्येक सदस्य अपनी समिति का कुल कर्ज चुकाने का जिम्मेवार होता है। (५) समिति इन विद्वांतों को बर्तते हुए, अपनी स्थानीय परिस्थिति के अनुसार उपनियम

बना सकती है। (६) इन समितियों की देखभाल करने तथा इनके काम को बढ़ाने के लिए, हर एक प्रान्त में इनका एक प्रधान अधिकारी रहता है, उसे रजिस्ट्रार कहते हैं।

सरकार ने इन समितियों को कई सुविधाएँ दे रखी हैं। इन समितियों तथा इनके सदस्यों की ओर से, समिति के सम्बन्ध में जो दरता-वेज लिखे जायँ, उनका स्टाम्प खर्च, तथा जिनकी रजिस्ट्री कराई जायँ उनका रजिस्ट्री-खर्च माफ है। सहकारी साल-समितियों के मुनाफे पर इनकमटेक्स भी माफ है। एक समिति अपने जिले की दूमरी समिति को रुपया, बिना खर्च भेज सकती है। समिति के किसी सभासद का कोई हिस्सा कभी कुर्क नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रारी हो जाने पर समिति को जिले के सेंट्रल बैंक से निर्धारित सूद पर रुपए उधार मिलने लगते हैं।

**अन्य बातें**—समितियाँ रुपया उधार लेकर, उसे कुछ अधिक सूद पर अपने सदस्यों को दे देती हैं। तथापि इस सूद की दर उस दर से कम होती है, जिस पर किसानों को आम तौर से रुपया उधार मिल सकता है। इन समितियों से सर्वसाधारण को और भी लाभ होता है। लोगो को आपस में मिलकर काम करने की आदत पडती है। इससे उनमें प्रेम और एकता की वृद्धि होती है। इनके सभासदो को मितव्ययिता का अभ्यास हो जाता है, इससे उनकी आर्थिक दशा सुधरती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन समितियों के बढ़ने की बड़ी आवश्यकता है।

इन समितियों के लिए जो बैंक खोले जाते हैं, उन्हें सहकारी बैंक कहते हैं। इनसे सर्वसाधारण और विशेषतया किसानों का बहुत सम्बन्ध होता है। इनका प्रचार नगरों और गाँवों में बढ़ता

जा रहा है। ये वैङ्क उधार ले तो सबसे लेते हैं, परन्तु सहकारी समितियों के सिवाय और किसी को उधार देते नहीं। इनके दो भेद हैं, प्रान्तीय और सेंट्रल। प्रान्तीय वैङ्क सेंट्रल वैङ्को की सहायता तथा उनकी देख-रेख करते हैं। सेंट्रल वैङ्क एक जिले की, या उसके किसी भाग की, सहकारी समितियों की सहायता करते हैं। सहकारी वैङ्को का प्रबन्ध प्रायः स्थानीय आदमी ही करते हैं।



## सतरहवाँ पाठ

### स्वास्थ्य-रक्षा



पाठको। तुम्हें अपने अनुभव से यह बात मालूम होगी कि जब कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसका सब सुख नष्ट हो जाता है, उससे कोई काम ठीक नहीं हो सकता। इसके अलावा, वह जिस आदमी से अपनी बीमारी में सेवा-सुश्रुषा कराता है, उसके भी काम में हर्ज होता है। इसलिए हर एक आदमी को स्वस्थ या तन्दुरुस्त रहने का प्रयत्न करना चाहिए।

**स्वास्थ्य-रक्षा के उपाय**—तन्दुरुस्त रहने के लिए आदमी को शुद्ध और सादा भोजन करना चाहिए, साफ हवा के मकान में रहना चाहिए, स्वच्छ जल पीना चाहिए, आवश्यक व्यायाम और विश्राम करना चाहिए, मन में पवित्र विचार रखने चाहिए.

और अच्छी संगति में रहना चाहिए। इन बातों को समझने में कुछ कठिनाई नहीं होती। परन्तु बहुत से आदमी अपनी गरीबी और अज्ञान आदि के कारण इन पर अमल नहीं कर सकते। उनके मकान तंग या गंदी गलियों में होते हैं, वे सड़ी गली चीजें खा लेते हैं, और जिस कुएँ या तालाब पर आदमी नहाते हैं, उसका ही पानी पीलेते हैं। इससे उनके शरीर पीले और कमजोर पड़ जाते हैं, मलेरिया, प्लेग, हैजा आदि रोगों के घर बन जाते हैं। लोगों को गरीबी दूर करने के लिए देश में उद्योग-धंधे, कला-कौशल आदि आजविका के साधनों का प्रवन्ध होना चाहिए। इसी प्रकार अज्ञान हटाने के वास्ते शिक्षा-प्रचार की बहुत आवश्यकता है। इनका वर्णन पहले किया जा चुका है।

कुछ आदमी गरीब तो नहीं होते, पर अपनी शौकीनी के कारण ही बड़ा कष्ट पाते हैं। वे अपने खानपान, रहनसहन आदि में अमीरी दिखाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर वे अपने हाथ पांव हिलाकर काम करना नहीं चाहते, सब काम नौकरों से कराते हैं; कुछ व्यायाम या कसरत भी नहीं करते। मैदे या बेसन की तली हुई चीजें, या मिठाई अधिक खाते हैं। पान-बोली, इतर-फुलेल, चाय या नशीली चीजों का सेवन करते हैं। फिर ये तन्दुरुस्त कैसे रहे ? लोगों को संयम या सादगी से रहना चाहिए।

हमारे देश में, दाल-विवाह तथा परदे आदि की बहुतसी कुगी-तियों भी जनता के स्वास्थ्य में बाधक होता है। इन बातों की

ओर लोगो का ध्यान आकर्षित हो रहा है, और इनमें थोड़ा-बहुत सुधार भी होता जा रहा है। परन्तु अभी बहुत काम होना शेष है। यहाँ लोगो की औसत आयु लगभग तेईस वर्ष है, जबकि अन्य देशो में यह चालीस वर्ष, तथा इससे भी अधिक है। इसी प्रकार यहाँ फी हज़ार आदमियो में से कोई तीस आदमी हर साल मर जाते हैं, जबकि संसार में कितने ही देश ऐसे हैं, जहाँ हज़ार पीछे केवल दस-ग्यारह आदमी ही मरते हैं। स्वास्थ्य-रक्षा के कार्यों की ओर ध्यान देने से इन बातों में बहुत सुधार हो सकता है।

**स्वास्थ्य-रक्षा का प्रबन्ध**—शहरो में म्युनिसिपैलिटियों के उद्योग से स्वास्थ्य सम्बन्धी कई प्रकार के कार्य हो रहे हैं। बड़े कस्बो में, या शहरो में सफाई का डाक्टर (हेल्थ आफिसर) रहता है। गन्दे पानी के बहने के लिए नालियाँ या मोरियाँ बन रही हैं। कुछ शहरो में खुले बाज़ार और चौड़ी सड़कें भी बन रही हैं। परन्तु आवश्यकता बहुत अधिक काम की है। शहरो में मामूली हैसियत के आदमियो को साधारण किराए पर अच्छा साफ हवादार मकान मिलना असम्भव हो रहा है। कुछ म्युनिसिपैलिटियों इस ओर ध्यान दे रही हैं।

देहातों में खुली और ताज़ा हवा होने पर भी, स्वास्थ्य-रक्षा का प्रश्न बहुत कठिन है। प्रायः वहाँ गन्दे पानी के बहने के लिए पक्की नालियाँ या मोरियाँ होती ही नहीं, जिधर ढलाव मिन जाता है उधर ही पानी बहने लगता है। अनेक स्थानों में रास्ते बहुत ऊँचे-नीचे या तंग हैं। नए ढङ्ग की खुली चौड़ी सड़कें वहाँ

द्वैदने से भी न मिलेंगी। रोगों का प्रचार बहुत अधिक है। कार्की धन न होने के कारण जिला-बोर्ड बहुत ही कम काम कर पाए हैं। अब स्वतंत्र भारत की नई पंचायतों से बहुत आशा है।

यूनिवर्सलिटियों और जिला-बोर्डों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा के लिए नाना का कड़ी कड़ी मैजिक (जादू का) लान्टेन के व्याख्यानों से यह बतलाया जाता है कि भिन्न-भिन्न रोग किन कारणों से पैदा होते हैं, और उनके रोकने का क्या उपाय है। प्लेग और चोलरा आदि वा टी का बतलाया जाता है। अब यह जगहों में प्रतिष्ठित नियमित रूप से किया गया माना जाता है। इस

विभाग है, उसे 'सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग' कहते हैं। यह विभाग अपने-अपने प्रान्त के स्वास्थ्य सम्बन्धी कामों की निगरानी करता है। प्रान्त भर में इस विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसे सार्वजनिक स्वास्थ्य का 'डायरेक्टर' कहते हैं। उसके नीचे हर एक जिले में एक 'सिविल सर्जन' होता है। इसे तुम जानते ही होगे। यह जिले के अस्पतालों और शफाखानों को देखने के अलावा जिले के स्वास्थ्य सम्बन्धी कामों की निगरानी करता है, और उनके सम्बन्ध में जिला-मजिस्ट्रेट को आवश्यक बातों की रिपोर्ट करता रहता है।

**चिकित्सा कार्य; देहातों में अस्पताल**—स्वास्थ्य-रक्षा के प्रवन्ध के साथ रोगियों के इलाज की भी व्यवस्था होना जरूरी है। शहरों में सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त ईसाई मिशन, रामकृष्ण मिशन, आर्यसमाज, जैन समाज तथा सेवा समितियों आदि की संस्थाएँ हैं। कितने ही डाक्टर या वैद्य प्राइवेट तौर पर इलाज करते हैं। तो भी अनेक रोगियों के लिए यथेष्ट व्यवस्था नहीं होती।

देहातों में तो चिकित्सा-प्रवन्ध बहुत ही कम है। अनेक गांवों में दूर-दूर तक कोई अस्पताल या औषधालय नहीं है। कहीं-कहीं बीमारी के मौसम में डाक्टर कुछ दवाइयाँ लेकर देहातों में दौरा करते हैं। अब स्वतन्त्र भारत की प्रान्तीय सरकारें खासकर देहातों की ओर बहुत ध्यान दे रही हैं। वे वर्तमान अस्पतालों की हालत सुधारने तथा नए अस्पताल खोलने का काम कर रही हैं। यूनानी और आयुर्वेदिक औषधालय

चोले जा रहे हैं। सक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के उपाय काम में लाए जा रहे हैं। नागरिकों को चाहिए कि जनता की स्वास्थ्य-रक्षा के कामों में भरसक हाथ बटावें।



## अठारहवाँ पाठ

### दुर्व्यसनों का नियंत्रण



पाठकों। तुम स्वस्थ ही अच्छे नागरिक बनना चाहते होगे। समय लिए तुम्हें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, तथा स्वस्थ रहना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के द्विपक्ष में तुम इस पुस्तक में पाले पान चुके हो। परन्तु, इसके अनादा इस बात की भी कहीं आवश्यकता है कि तुम्हारा चान्चलन अच्छा हो, तुम्हें कोई एंगी प्राप्त न पड़े। इसके बान्ने, तुम्हें अच्छी संगति में



बुरा, तो बेहतर है कि हम इन्हे विल्कुल ही न देखें। सरकार ने नियम बना रखा है कि जो कम्पनी बुरे दृश्य दिखाए, उस पर मामला चल सकता है, और उसे दंड मिल सकता है। परन्तु साधारण बुराईयाँ कानून की पकड़ में नहीं आती। नागरिकों को सिनेमा या नाटक का चुनाव खूब सोच-विचार कर करना चाहिए; और जो बहुत अच्छे हो, उन्हें ही देखना चाहिए।

**बुरी पुस्तकें—पाठकों।** पुस्तकों से कैसी अच्छी-अच्छी बातें मालूम होती हैं, यह तुम जानते हो। पर यह मत समझना कि सब पुस्तकें अच्छी ही होती हैं, चाहे जो पुस्तक उठाई और पढ़ने लग गए। बड़े दुख की बात है कि कोई-कोई लेखक उपन्यास, नाटक, किस्से कहानी आदि की पुस्तकों में बहुत गन्दे विचार भर देता है। इससे पाठकों को बड़ी हानि होती है। यद्यपि सरकारी कानून से, बुरी पुस्तकें प्रकाशित करना अपराध है, परन्तु फिर भी समय-समय पर बहुत सी खराब पुस्तकें छपती ही रहती हैं। तुम्हें जो पुस्तकें पढ़नी हों, उनके विषय में तुम्हें अपने अध्यापकों से परामर्श कर लेना चाहिए। बड़े होने पर पुस्तक के अच्छी या बुरी होने की जाँच तुम स्वयं कर सकोगे।

**जुआ—**लालच बुरी बला है। आदमी भूट इसके फन्दे में फँस जाते हैं। वे सोचते हैं कि किसी प्रकार बिना मेहनत किए आसानी से भूटपट कुछ धन मिल जाय, इसलिए वे जुआ खेलने लगते हैं। यहाँ दिवाली आदि के अवसर पर कुछ लोग जुआ खेलना मानों धर्म समझते हैं। जुए में आदमी बहुत धन-

दौलत हार जाते हैं; कभी-कभी तो घर का सामान तक विकने की नौबत आ जाती है। तुम कभी ऐसा मत सोचना कि अगर जुआ दो-चार वैसे से खेला जाय तो कुछ हानि नहीं। जुआ खेलने का विचार ही बुरा है। यह लत एक बार लगी, तो फिर बढ़ती ही जाती है। जीतने पर को अधिक धन पाने की वृष्णा बढ़ जाती है, हारने पर को अपने खोए हुए धन को पाने की इच्छा सताती है। इसलिए उचित है कि इसमें हाथ ही न डाला जाय। सरकार ने जुआ रोकने के लिए कानून बना रखा है; जो कोई जुआ खेलता पाया जाता है, उसे सजा दी जाती है।

नशीली चीजों का सेवन—शराब, अफीम आदि चीजें किसी-किसी बीमारी में, दवाई के तौर पर भी काम आती हैं; परन्तु इनका ज्यादा खर्च लोग शौकिया करते हैं। उन्हें आदत पड़ जाती है। फिर उन्हें अधिक नशे की जरूरत मालूम होती है : बहुत नशा करने पर उनकी हानत विगड़ने लगती है। तुमने देखा होगा कि शरावियों का कैसा बुरा हाल होता है। कोई नातियो में पड़ता है। कोई गाली-गलौच करता है, कोई किसी को मारता-पीटता है। अफीम, गाँजा, भग, चरस आदि मादक पदार्थों को सेवन करनेवालों की भी ऐसी ही दशा होती है। उन्हें यह होश नहीं रहता कि वे क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। वे अपना धन तो इन चीजों में नष्ट करते ही हैं। इनसे उनका शरीर भी पीना, कमजोर और अनेक बीमारियों का घर बन जाता है। इनलिए चाहे तुम्हारे मित्र बूढ़े या रिश्तेदार, भूलकर

भी इन चीजों के सेवन का नाम न लेना । यह भी याद रखो कि तमाखु भी बड़ा विषैला पदार्थ है । इससे शरीर को बहुत हानि पहुँचती है । दुख की बात है कि नवयुवकों में सिगरेट और वीडो पीने का शौक बढ़ता जा रहा है । तुम्हें इससे हर प्रकार बचना चाहिए । चाय को कम्पनियों के एजेंट चाय के प्रचार के लिए तरह-तरह के विज्ञापन देते रहते हैं । इससे चाय का प्रचार विद्यार्थियों और किसानों तथा मजदूरों—सभी में बढ़ता जा रहा है । चाय स्वास्थ्य को बिगाड़नेवाला पदार्थ है । पाठकों को इसका सेवन कभी न करना चाहिए, और जिनकी आदत पड़ गई हो उन्हें इसे छ्वाड़ने का प्रयत्न करना चाहिए ।

**आवकारी विभाग**—शराब, अफीम, गॉजा, भंग, चरस, आदि मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम करने के लिए प्रत्येक प्रान्त में एक सरकारी विभाग रहता है उसे आवकारी या 'एक्साइज़' विभाग कहते हैं । प्रान्त भर में इस विभाग का सबसे ऊँचा अधिकारी एक्साइज़ कमिश्नर कहलाता है । इसके नीचे हर एक जिले में एक एक्साइज़ अफसर रहता है । इसके नीचे इस विभाग के इन्सपेक्टर, आदि कर्मचारी होते हैं । इस विभाग के कर्मचारी जगह-जगह घूमते रहते हैं, और इस बात की जाँच करते हैं कि कोई आदमी इन पदार्थों को बिना सरकारी इजाज़त तो बनाता या बेचता नहीं; तथा, एक आदमी नियम के अनुसार जितना पदार्थ मोल ले सकता है उससे अधिक तो नहीं लेता । छोटे लड़कों के हाथ ये चीजें नहीं बेची जातीं । जो कोई इन नियमों को भंग करता है, उसे, आवकारी विभाग के

कर्मचारी सजा दिनाते हैं ।

**विशेष दृष्टव्य—**इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि जगह-जगह ऐसे उपदेशों तथा मेजिक लान्टरेन के व्याख्यानो प्रादि का प्रबन्ध किया जाय, जिनसे लोग नशे की हानियों को समझें, और इसे छोड़ने लगे । देश में कहीं-कहीं ऐसी संस्थाएँ काम कर रही हैं, जिनका उद्देश्य सादक धनुषों के लिए सर्व-साधारण के मन में, पूजा पैदा करना है । इन्हें टेम्परेन्स सभाएँ कहते हैं । इनसे प्रादिकारी विभाग को सतानुभूति रखनी

अपनी और दूसरों की उन्नति करना—सरकार की ओर से नागरिकों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य-रक्षा आदि के जो काम किए जाते हैं, उनसे लाभ उठाना या न उठाना नागरिकों के ही हाथ में है। उन्हें चाहिए कि अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा नैतिक उन्नति के लिए खूब प्रयत्न करें। साथ ही इस वार्ता का ध्यान रखें कि उनके विविध कार्यों से किसी का अहित न हो; जब कभी अनुकूल अवसर हो, उन्हें दूसरों की सेवा करनी, तथा उनकी उन्नति में सहायता देनी चाहिए। अपनी तथा दूसरों की उन्नति के लिए कई बातें आवश्यक हैं। पहले, अवकाश या फुरसत के समय के सदुपयोग का विचार करते हैं।

**अवकाश का सदुपयोग**—पाठकों! तुम्हें कभी लिखने-पढ़ने के काम से छुट्टी मिलती होगी। उस समय तुम क्या करते हो? क्या व्यायाम या विराम करते हो? बहुत अच्छा; एक सोमा तक ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है; परन्तु कभी-कभी अवकाश अधिक भी तां मिलता होगा। यदि तुम उस समय का ठीक-ठीक उपयोग करो तो अपनी तथा दूसरों की बहुत उन्नति कर सकते हो। यदि तुम्हारे ग्राम या नगर में कोई वाचनालय या पुस्तकालय हो तो तुम्हें वहाँ जाकर विविध पत्र-पत्रिकाएँ देखनी चाहिए, या महापुरुषों के जीवनचरित्र अथवा अन्य पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इससे तुम्हारा मनोरंजन तो होगा ही, इसके साथ-साथ अनेक विषयों में तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा। अगर तुम्हारी रुचि हो तो अवकाश के समय तुम विविध

उपयोगी विषयों पर निबन्ध लिखने का अभ्यास कर सकते हो। इससे तुम्हें अपने विचार अच्छी तरह प्रकट करने की योग्यता प्राप्त हो जायगी: सम्भव है, तुम कभी अच्छे लेखक बन सको। अवकाश के समय अपने पड़ोस के बालकों को लिखने-पढ़ने में लगाकर, तुम उनमें शिक्षा-प्रचार करने में सहायक हो सकते हो।

जब कभी तुम्हें अपने गाँव या नगर से बाहर, दूसरी जगह जाने का सुभीता हो, तो तुम्हें वहाँ की कारीगरी या प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक दृश्य देखने चाहिए। तुम्हें चित्रकारी, वागवानी (वाग में फूलों आदि के पौधे लगाना), तैरने या बालचर (स्काउट) आदि के काम में अपना अनुराग बढ़ाना चाहिए, जिससे बड़े होने पर तुम्हें अपने अवकाश का समय काटना दूबर प्रतीत न हो; तुम उससे अपना एवं दूसरों का हित-साधन कर सको।

**स्वावलम्बन**—प्रत्येक नागरिक को अपना निर्वाह खुद करना चाहिए। यह बहुत अनुचित है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और अपने बाप-दादा को कमाई हुई सम्पत्ति में से खाएँ-खर्चें, या, अन्य भाई-बन्धुओं के आसरे पड़े रहे, अथवा दान या भिक्षा से अपना पेट भरें। इससे हमारी उन्नति में बाधा पड़ती है, हमारे साहस, पुरुषार्थ, और आत्म-सम्मान आदि सद्गुणों का विकास रुक जाता है। साथ ही, हम दूसरों का कमाया धन खर्च करके समाज को उस नाम से वंचित करते हैं, जो उस धन को किसी अन्य उपयोगी कार्य में खर्च करने से

होता । जिन लोगो को परमात्मा ने हाथ पाँव दिए हैं, वे दूसरों पर भार क्यों बनें ! दान-दानिणा या सहायता लेना केवल उनके लिए ठीक है, जो अपाहज अर्थात् लँगड़े लूले आदि होने को बजह से, भरसक उद्योग करने पर भी, अपना निर्वाह नहीं कर पाते, अथवा, जो अपना सब समय समाज या राज्य की उन्नति के विविध उपाय सोचने या लोक-सेवा करने में लगाते हैं । उससे स्पष्ट है कि आमतौर से प्रत्येक नागरिक को स्वावलम्बी होना चाहिए ।

**मितव्ययिता**—बहुत से आदमी आगे की चिन्ता नहीं करते; वे भविष्य के लिए कुछ धन बचाकर रखने की आवश्यकता नहीं समझते । वे कहा करते हैं कि जब मिलता है, तो क्यों न खाएँ, पीएँ और मौज उड़ाएँ । वे भूल जाते हैं कि आज हम स्वस्थ हैं, और धन पैदा कर रहे हैं, कौन-जाने कल हम बीमार पड़ जायँ, या कोई दुर्घटना हो जाय, जिससे रोज़ी कमाना मुश्किल हो जाय, और दूसरों के सामने हाथ पसारना पड़े । निदान, हमें चाहिए कि जहाँ तक बने, हर माह अपनी आमदनी में से कुछ-न-कुछ बचाकर रखने की आदत डालें, जिससे आवश्यकता होने पर, जमा किया हुआ धन हमारे काम आवे । यदि हमारे पास कुछ पैसा जमा होगा तो हम उससे दीन अनाथो आदि की सहायता कर सकते हैं, तथा अपने आश्रितों को दूसरों का मोहताज होने से बचा सकते हैं । रुपया जमा करने के लिए देश में जगह-जगह बैंक खोले जाते हैं, तथा जिन्दगी के बीमे की व्यवस्था की जाती है । इसके बारे में तुम

पहले पढ़ चुके हों।

**सहानुभूति और समभाव**—हिन्दू हों या मुसलमान, ईसाई हों या पारसी, इस देश के सभी निवासी यहाँ के नागरिक हैं। सबको आपस में एक दूसरे से सहानुभूति और समभाव का बर्ताव करना चाहिए। देश तथा राज्य हमारा सबका है, और हम सब को मिलकर उसके कल्याण के लिए कोशिश करनी चाहिए। जिस देश के आदमी, धार्मिक या सामाजिक भेद-भाव रखने के कारण एक दूसरे से लड़ते-झगड़ते हैं, वे अपनी उन्नति में रूढ़िवादी होते हैं। किसी देश में जाति विरादरी, मत, सम्प्रदाय आदि की भिन्नता होने हुए भी, यदि उसमें राज्य-सम्बन्धी अर्थात् नागरिक विषयों में एकता हो, तो उसकी उन्नति होना संभव है। भारतीय नागरिकों को भी इस विषय पर समस्त ध्यान देना चाहिए।



को समझते हुए, सोच-विचार कर करना चाहिए।

इसके अलावा दो बातों का और विचार किया जाना चाहिए—सरकारी कानूनों का पालना, और सरकारी टेक्स देना। यदि नागरिक ये कार्य न करें तो शासन-कार्य चल ही नहीं सकता। सरकार जो कानून बनाती है, या जो टेक्स (कर) लगाती है, वे देश की सुख शान्ति और उन्नति के लिए ही होते हैं। जो आदमी कानून का पालन नहीं करते या टेक्स नहीं देते, उन्हें दंड मिलता है। परन्तु दंड मिले या न मिले, नागरिकों को ये कार्य अपना कर्तव्य समझ कर, करने चाहिए। यदि कोई कानून या टेक्स बुरा प्रतीत हो तो बड़ी उम्रवाले योग्य तथा अनुभवी नागरिकों को उसका विचार करके आवश्यकतानुसार उसे बदलवाने या रद्द कराने का प्रयत्न करना चाहिए।

**शासनपद्धति का ज्ञान प्राप्त करना**—तुम यह जान चुके हो कि नागरिकों को, सरकार द्वारा किए जानेवाले विविध कार्यों से लाभ उठाना चाहिए, उन्हें सरकार की सहायता करनी चाहिए, तथा उसके अच्छे उपयोगी कार्यदे कानूनों का पालन करना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अपने देश के राजप्रबन्ध का ज्ञान हो। भारतवर्ष की शासनपद्धति का विशेष हाल हमारी 'सरल भारतीय शासन', तथा 'भारतीय शासन' पुस्तकों में दिया गया है।

# तीसवाँ पाठ

## नागरिकता की व्यावहारिक शिक्षा

— — — ÷ — — —

पिछले पाठ में तुम यह पढ़ चुके हो कि हमें यथा-सम्भव दूसरों की सेवा करनी चाहिए। परन्तु यदि हमें सेवा करने का ज्ञान और अभ्यास नहीं है तो अक्सर आने पर, हमसे इस विषय में बहुत गलतियाँ हो सकती हैं। कल्पना करो कि एक आदमी नदी में डूब रहा है। हम जानते हैं कि उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। परन्तु यदि हमें स्वयं तैरना न आता हो, और हमने दूसरे को डूबने से बचाने का कभी अभ्यास न किया हो, तो चाहे हमारी इच्छा कितनी ही प्रबल क्यों न हो, हम उस आदमी को बचाने का कार्य अच्छी तरह नहीं कर सकते।

**व्यावहारिक शिक्षा देनेवाली संस्थाएँ**—इससे यह स्पष्ट है कि देश में नागरिकता की व्यावहारिक शिक्षा देनेवाली संस्थाओं का होना बहुत आवश्यक है। यहाँ ऐसी मुख्य-मुख्य संस्थाएँ तीन प्रकार की हैं—(१) बालचर या स्काउट संस्थाएँ, (२) सेवा समितियाँ और (३) सहकारी समितियाँ। इनमें से सहकारी समितियों के विषय में पहले लिखा जा चुका है।

**बालचर संस्थाएँ**—बालचर संस्थाओं का उद्देश्य लोगों

को सदाचारी, स्वावलम्बी, साहसी, और सेवा-व्रती बनाना है। भारतवर्ष में ये दो प्रकार की हैं :—वेडनपावल ॐ बालचर संस्थाएँ. (२) सेवा-समिति बालचर संस्थाएँ। दोनों के उद्देश्य और नियम प्रायः एकसे ही हैं। सेवा-समिति स्काउटो की संस्था का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। बहुत से स्कूलों के अतिरिक्त अनेक शहरों के मोहल्लो और गाँवों में भी इसकी शाखाएँ हैं। इसके द्वारा विद्यार्थियों के अलावा अन्य युवक भी शिक्षा पाते हैं। तरह-तरह के खेल कसरत से उनमें जिन्दादिली, साहस और स्फूर्ति बढ़ाई जाती है। कभी आग लगने का नकली दृश्य उपस्थित करके बालचरो को उसे बुझाने तथा वहाँ के आदमियों, वच्चो और सामान की रक्षा करने की क्रियात्मक या अमली शिक्षा दी जाती है। कभी उन्हें इस बात का अभ्यास कराया जाता है कि जल में डूबते हुए आदमी को किस प्रकार बचाया जाय, अथवा ज़खमी आदमी को मरहम-पट्टी तथा अन्य सेवा-सुश्रूषा किस तरह की जाय। निदान, बालचरो को तरह-तरह से सेवा करने का अनुभव कराया जाता है।

बालचर सम्बन्धी नियम—बालचर सम्बन्धी नियम निम्नलिखित हैं:—(क) बालचर की बात-व्यवहार का विश्वास किया जाता है। (ख) वह महेश (परमात्मा), देश, नरेश, माता पिता, गुरु, स्वामी, साथियों तथा अपने अधीन व्यक्तियों के प्रति वफादार होता है। (ग) वह दूसरों की सहायता करता है। (घ) वह सब का मित्र, तथा अन्य

\* वेडनपावल उस सज्जन का नाम है, जिसने इङ्ग्लैण्ड में सबसे पहले बालचर आन्दोलन का आगशेष किया।

बालचरो का बन्धु होता है, चाहे वे किसी भी वर्ण, धर्म या जाति के हों। (च) वह सुशील और नम्र होता है। (छ) वह पशु पक्षियों पर दया करता है। (ज) वह आशाओं का पालन करता है। (झ) वह सब कठिनाइयों में हँसमुख रहता है। (ट) वह मितव्ययी होता है। (ठ) वह मन वचन तथा कर्म से पवित्र होता है।

**सेवा समितियाँ**—अखिल भारतवर्षीय सेवा समिति की स्थापना महामना पंडित मदनमोहन मालवीय जी आदि ने सन् १९१४ में की थी। इसका प्रधान कार्यालय प्रयाग में है। इसकी शाखाएँ खासकर पंजाब और उत्तरी भारत के विविध भागों में हैं। समिति राजनैतिक या धार्मिक मतभेदों से कोई सम्बन्ध नहीं रखती और इसमें हर एक जाति के पुरुष एवं स्त्रियाँ भाग ले सकती हैं। अठारह वर्ष या इससे अधिक आयु के सब व्यक्ति, इस के सदस्य हो सकते हैं। समिति के उद्देश्य और लक्ष्य निम्नलिखित हैं—

- क. समाज-सेवा के आदर्शों का जनजा में प्रचार करना।
- ख. समय-समय पर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन और उनके विषय में लोकमत संग्रह करना।
- ग. जन-पीडा को दूर करना और सामाजिक दुःख-निवारण के लिए साधनों को संगठित करना।
- घ. समाज-सेवकों को शिक्षा का प्रबन्ध करना और एक स्वयंसेवक दल (वालन्टियर कोर) की स्थापना करना।
- ङ. शिक्षा, सहयोग, स्वच्छता और स्वास्थ्य-विज्ञान की उन्नति और प्रचार का प्रयत्न करना।

- च हरिजनों के उत्थान तथा कौदियों और जरायमपेशा जातियों की शिक्षा एवं सुधार के लिए उचित साधनों का मंजूरा करना ।
- छ. विषवा-आभम, अबला-आभम, परित्यक्त-बाल-गृह, जोड़ों, अंधों और अपाहिजों सम्बन्धी आभमों का संगठन करना ।
- ज. बीमारों की सेवा-सुश्रूषा का विशेषतः देहातो में प्रवृत्त करना, और जज्ञा-वज्ञा उपकार गृह स्थापित करना ।
- झ. मेलों, दुर्भिक्ष, बाढ़ अथवा महामारी के अवसरों पर सहायता की योजना करना ।
- ञ. बालचर-संस्था की स्थापना और संगठन करना; तथा
- ट, समान उद्देश्य वाली समितियों की संस्थापना करना और संस्थापित समितियों को सम्बद्ध-शाखा बनाना ।

समिति महामारी, दुर्भिक्ष, बाढ़, भूकम्प, रेलवे दुर्घटनाओं, और दंगों के अवसर पर जनता को बड़ी सहायता पहुँचाती रही है । यह कुम्भ मेले, सूर्यग्रहण और अजमेर के उर्स मेले पर खूब काम करती है । समिति ने सन् १९१६ में पंजाब के फौजी कानून (मार्शल ला) से पीड़ितों को, सन् १९४२-४३ में बर्मा के शरणार्थियों को, और सन् १९४७-४८ में पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों की मदद करने के लिए सगठित कार्य किया ।

सेवा समितियों के कुछ सदस्य बालचर संस्थाओं की शिक्षा पाए हुए होते हैं । इनके कार्य स्थानीय आवश्यकताओं तथा सुविधाओं के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं, यथा स्टेशनों पर पानी पिलाना, मेले-तमाशा में भूले-भटके स्त्री-बच्चों को रास्ता बताना, अथवा उन्हें उनके सम्बन्धियों के पास पहुँचाना, रोगियों को

दवा देना, लावारिस मुर्दों को जलाना, आग बुझाना, इत्यादि। समितियाँ जनता में शिक्षा-प्रचार के लिए कहीं-कहीं अपनी शक्ति के अनुसार, वाचनालय, या रात्रि-पाठशालाएँ भी खोलती हैं जिनमें इनके कुछ सदस्य अवैतनिक सेवा किया करते हैं। कहीं-कहीं इन संस्थाओं को म्युनिसिपैलिटियों या जिला-बोर्डों आदि से कुछ सहायता मिलती है, अथवा बाजार वाले तथा अन्य व्यक्ति चन्दा आदि करके इनकी सहायता करते हैं। अधिकांश सेवा समितियों के संगठन और आर्थिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता है।

**अन्य संस्थाएँ**—इनके अतिरिक्त, देश के भिन्न-भिन्न भागों में कुछ संस्थाएँ खास उद्देश्य से काम कर रही हैं, यथा 'सांशुल सर्विस लीग' (समाज-सेवा संघ), बम्बई; जीव-दया सघ, बम्बई; भारत सेवक समिति (सर्वेंट्स-आफ-इंडिया सोसायटी), पूना; मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी (सहायता समिति), कलकत्ता, डेकन एज्युकेशन सोसाइटी' (दक्षिण शिक्षा समिति), पूना; हिन्दुस्तानी सेवा दल, हुवली (कनाटक); कौमी सेवा दल; अखिल भारत वर्षीय प्रामोद्योग-संघ और चर्खा संघ आदि। राष्ट्रव्यापी महान राष्ट्रीय संस्था काँग्रेस को तुम जानते ही होगे। इन विविध संस्थाओं के विषय में विशेष बातें तुम्हें पीछे मालूम हों जायँगी।

**राजप्रबन्ध सम्बन्धी शिक्षा**—राजप्रबन्ध सम्बन्धी कितनी ही बातें ऐसी हैं, जिनकी शिक्षा विद्यार्थी जीवन में दी जा सकती है। कुछ समय से इस ओर ध्यान दिया जाने लगा है। कहीं-कहीं कुछ संस्थाओं में प्रति सप्ताह सभा होती है।

इसमें मुख्य अध्यापक उपस्थित तो रहता है, परन्तु केवल दर्शक के रूप में। कार्य-संचालन करते हैं, विद्यार्थी ही। सभा में किसी नागरिक विषय पर वाद-विवाद होता है। कभी-कभी राज-प्रबन्ध सम्बन्धी साधारण घटनाओं की नकल या नाटक किया जाता है। उदाहरण के लिए यह दिखाया जाता है कि एक आदमी कुछ अपराध करता है, इस पर पुलिस क्या क्या कार्रवाई करती है, और अदालत में उसके विषय में किस तरह विचार होता है। अथवा, किसी पद के लिए एक आदमी की जरूरत है, उसका किस प्रकार विज्ञापन दिया जाता है, फिर उम्मेदवारों की दरखास्तों पर किस तरह विचार किया जाता है। कभी-कभी यह दिखाया जाता है कि एक निर्वाचक-सभ से किसी आदमी का चुनाव करने का क्या ढङ्ग होता है। इन बातों से युवकों को अपने विद्यार्थी जीवन में ही उन नागरिक विषयों का व्यावहारिक ज्ञान हो जाता है, जो स्कूल छोड़ने के बाद उनके सामने उपस्थित होंगे।

युवकों को चाहिए कि जब उन्हें नागरिकता की व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा हो, उससे यथेष्ट लाभ उठावें, और योग्य नागरिक बनने का प्रयत्न करते रहें।

# परिशिष्ट—१

## मेरा प्यारा गांव

### सफाई और शिचा की बात

---

भारतवर्ष गाँवों का देश है। यहाँ की नब्बे प्रतिशत जनता गाँवों में रहती है। सौभाग्य से हम समय जगह जगह गाँवों के सुधार की चर्चा है। यदि यह कार्य नेकनीयती और लगन से विशासपूर्वकता से किया जाय तो देश की प्रसन्ती उद्यति होगी। प्रत्येक भारतवासी का दायित्व है कि



भी नहीं पढ़ सकता, सरकारी सूचनाएँ दूसरों से पढ़वाकर सुनता हूँ, घर का हिसाब-किताब कराने के लिए मुझे दूसरों की शरण लेनी पड़ती है, और जब कहीं हस्ताक्षर या दस्तखत की ज़रूरत होती है तो मुझे अँगूठे की निशानी लगानी पड़ती है। मुझे अभंगों को अपना नाम भी लिखना नहीं आता !

पर अफसोस करने से ही काम न चलेगा। मुझे अपना नाम ही नहीं, पत्र लिखना भी आना चाहिए। मैं आज से निश्चय किए लेता हूँ कि जैसे-भी हो मैं पढ़ना-लिखना सीखूँगा। अगर परमात्मा मेरी जिन्दगी एक वर्ष भी और बनाए रखे तो मैं अपढ़ अवस्था में नहीं मरूँगा। और, अब तो जगह-जगह साक्षरता या शिक्षा का प्रचार हो रहा है। सरकार अध्यापकों तथा पाठशालाओं की व्यवस्था कर रही है। मैं प्रौढ़-शाला में भरती होऊँगा। हाँ, यह ठीक है कि मेरा लड़का भी अनपढ़ है, और उसे भी पढ़ाना है। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ना शुरू करेंगे। शायद कुछ आदमी बाप बेटे को एक ही कक्षा में पढ़ते देखकर हँसी करें। पर ऐसी हँसी से मैं एक अच्छे काम को क्यों छोड़ूँ ! जो लोग आज हँसी करेंगे, वे जब मेरे दृढ़ निश्चय को देखेंगे तो कुछ समय बाद हँसना छोड़ देंगे। नहीं, वे ही मेरे साहस की प्रशंसा करेंगे। धीरे-धीरे दूसरे आदमी भी मेरे उदाहरण से शिक्षा लेंगे। अब तक हमारा प्यारा गाँव निरक्षरों का गाँव कहा जाता है, यह हम लोगों के लिए बड़े अपमान की बात है। जैसे-भी हो हमें इस अपमान को हटाना होगा। मैं अपने अन्य बन्धुजनों से इस विषय का खूब चर्चा करूँगा,

और उनका भी- पढ़ना सीखने के लिए, उत्साह बढ़ाऊँगा ।

हमें अपने गाँव का अभिमान है । हम इसे निरक्षर गाँव नहीं रहने देंगे । हमारा गाँव दूसरों की निगाह में असभ्य और अशिक्षित माना जाय, इससे बढ़ कर हमारे लिए कलंक की बात और क्या होगी ? हमारे जन्म के समय यह गाँव जैसा अज्ञानमय था, यदि हमारे मरते समय भी वैसा ही मूर्ख बना रहा तो हमारे इस जीवन का लाभ ही क्या हुआ ! इस गाँव का सुधार कोई बाहर से आकर करेगा, यह धारणा ही शलत है । हम किसी के भरोसे क्यों बैठे रहें ! गाँव हमारा है, इसकी अवृत्ति का दोष हम पर है । इसका सुधार करना हमारा काम है और हम इसे करके रहेंगे । तभी तो हमारा, इस गाँव को अपना गाँव कहना सार्थक होगा । सच्चा प्रेम वही है जो सुधार और विकास में सहायक हो । जैसे मुझे अपना शरीर प्यारा है, वैसे ही अपना गाँव भी प्यारा है, उसका सुधार और उन्नति में जी-जान से करूँगा ।

नोट—गाँव के सब निवासियों को इसी प्रकार के विचार रखने चाहिए । नगर-निवासियों को अपने-अपने नगर के प्रति इसी तरह की भावना रखते हुए नगरोन्नति के लिए अपना कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए ।



## परिशिष्ट — २

### नागरिकता की कसौटी

---

प्यारे विद्यार्थियो ! तुम आज दिन स्कूल में बेंचों पर बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। जल्दी ही वह समय आनेवाला है, जब तुम्हें देश-सुधार सम्बन्धी विविध समस्याओं पर विचार करना होगा, और अनेक रचनात्मक कार्यों में भाग लेना होगा। राष्ट्र के भावी सूत्रधार तुम्हीं हो। अपने ऊपर आनेवाले इस महान उत्तरदायित्व का विचार करते हुए तुम्हें सुयोग्य नागरिक बनने का प्रयत्न करना चाहिए।

हम जन्म से तो मनुष्य हैं, परन्तु असल में मनुष्य कहाने के लिए हमें मनुष्य के कार्य करने चाहिए और अच्छे गुणों को प्राप्त करना चाहिए। उसी प्रकार यद्यपि हम जन्म से भारतीय नागरिक हैं, हमें अपने कार्यों और व्यवहार से भी यह दिखाना चाहिए कि हम नागरिक कहे जाने के योग्य और अधिकारी हैं।

विद्यार्थियो को याद रखना चाहिए कि कुछ नागरिक कार्य तो ऐसे हैं, कि उनके करने की योग्यता धीरे-धीरे और कुछ काल पीछे प्राप्त होगी। परन्तु कितनी-ही बातें तो हम अभी, अपने विद्यार्थी-जीवन में भी कर सकते हैं। हम कोई काम ऐसा

न करें; जिससे हमारे साथियों या अध्यापकों आदि को असु-  
विधा या हानि हो। हम दूसरो से सहानुभूति और सहयोग का  
भाव रखें, अपने स्वार्थ, बेपरवाही या आगामतत्वों से किसी के  
लिए कष्टदायक न बनें। हम अपनी बात के पक्केहों, और व्यव-  
हार के खरे हो। हम अपने क्लास और स्कूल के अंग हैं। हमें  
उनका उचित अभिमान करना चाहिए और उनकी प्रतिष्ठा  
बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ तक हमारा  
सम्बन्ध है, हमें ऐसा लोकमत बनाने में सहायक होना चाहिए  
कि हम क्लास के लडके बहुत अच्छे हैं, या यह स्कूल बहुत बढ़िया  
है। हमें इनके जिस रूप में पाया उससे हम इन्हें अच्छी दशा  
में उद्योग के लिए कामर कसें।

भारतवर्ष अपने भावों उत्थान के लिए युवकों तथा विद्या-  
पियों की ओर निहार रहा है। यदि वे इस समय अपना कर्तव्य  
अच्छी तरह पालन करेंगे तो यह देश सब विघ्न-बाधाओं को दूर  
करके आनेवाले सप्ताह में यथेष्ट ध्यान प्राप्त करेगा। इसलिए  
हमें राजमार्ग के व्यवहार में नागरिकता के भावों का परिचय  
देना चाहिए।

क रूप में सूचिन भाव के अनुसार काम करें, वे १०० अंक के अधिकारी माने जाते हैं, यह नागरिक योग्यता की अधिकतम सीमा है।

### प्रश्नावली

१—(क) दूनरो को बचन देने में और उत्तम पालन करने में आप इनेशा सावधान या चौकस रहते हैं ? या

(ख) यूँही दिया हुआ बचन भूल जाते हैं ? या

(ग) बचन देना और उसे पूरा न करना आपकी आदत ही हो गई है ?

२—(क) आपके मातहत काम करनेवाले नौकर, कर्मचारी आदि के साथ आपका बर्ताव सहानुभूत तथा मलमनसाहत का होता है ? या

(ख) आपको यह राय है कि इनका काम ही तो करते रहते हैं ? या

(ग) इन लोगों की मुर्तीबत्ती वगैरह के बारे में आप उदासीन रहते हैं ?

३—(क) आपके पास आनेवाले बिलों को आप तुरन्त चुका देते हैं ? या

(ख) कभी-कभी आपके बिल महीनों तक पड़े ही रह जाते हैं ? या

(ग) आपका तरीका यह बन गया है कि बिल आयें और पड़े रहें !

४—(क) छोटे बच्चों आपके पास खुरा रहते हैं या

(ख) बच्चों का इन्क़ा न हो तो भी आप उन्हें काली देर तक बहला सकते हैं ? या

(ग) बच्चों के बीच आपका बर्ताव क्या है ?

५—(क) क्या आपका यह मत है कि हरेक आदमी को नैतिक सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए ? या

- (ख) आप भी राह चलते कागजों के टुकड़े सड़कों पर फेंक दिया करते हैं ! या
- (ग) आपकी यह राय है कि सार्वजनिक सफाई फजूल सी चीज है !
- ६—(क) अपने निजी रहनसहन और धर्म-भावनाओं के बारे में पड़ोसियों का दिल न दुखाने की आप सदा कोशिश करते हैं ! या
- (ख) आपके विचार में पड़ोसियों की भावनाओं को जानने की भ्रष्ट में पढ़ना व्यर्थ है ! या
- (ग) आपकी इच्छा रहती है कि दूसरे की राय के बारे में लापरवाही दिखाएँ !
- ७—(क) कल्पना करो कि आपको दस रुपये का एक नोट मिल जाय । क्या आप यह पता लगाने की खूब कोशिश करेंगे कि नोट किसका है ! या
- (ख) अगर वह आदर्श पता लगाने आए और कहे कि नोट मेरी है तो आप उसे लौटा देंगे ! या
- (ग) 'चलकर आई हुई लक्ष्मी' को लौटाना आपको पसन्द नहीं है !

किया जाय तो आप डाली या भेंट आदि लेना स्वीकार भी कर लेते हैं ? या

( ग ) आप जनता से हर समय कुछ रिश्वत डाली, भेंट आदि की आशा लगाए रहते हैं ?

१०—( क ) आप चीजों के दाम निर्धारित रखते हैं, और मामूली मुनाफे से संतोष करते हैं, तथा स्वयं हानि उठा कर भी कभी-कभी गरीबों को चीजें निर्धारित मूल्य से भी कम पर देते हैं ? या

( ख ) आपको ग्राहकों की गरीबी अमीरी की चिन्ता नहीं, सब से दाम बराबर लेते हैं, हाँ नए ग्राहकों या बालकों से भी अनुचित मुनाफा नहीं लेते ? या

( ग ) आपको जल्दी से जल्दी धनवान बनने की फिक्र रहती है, और इसलिए खूब हट कर मुनाफेखोरी करते हैं; फिर चाहे लोगो को कैसा ही आर्थिक कष्ट हो ।

पाठको को प्रति सप्ताह इस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर अपनी नागरिकता की भावना की जाँच करते रहना चाहिए । इससे वे अपनी प्रगति का अनुमान कर सकते हैं । जो पाठक चाहें वे अपनी परिस्थिति तथा अपने गुरुजनो के परामर्श के अनुसार, प्रश्नावली को बदल लें; परन्तु परीक्षा में कड़ाई से काम लेना चाहिए, अंक देने में रियायत न करनी चाहिए, यदि आरंभ में अच्छे अंक प्राप्त न हों, परीक्षा में फेल हो जावें तो कोई धवराने की बात नहीं है; आगे और अधिक उत्साही और कर्तव्यपरायण होने का प्रयत्न करते रहना चाहिए ।





## भारतीय ग्रन्थमाला

भारतीय शासन ( दसवाँ संस्करण )	...	३)
भारतीय विद्यार्थी विनोद ( तीसरा सं० )	...	॥=)
हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ ( आठवाँ सं० )	...	१॥)
हिन्दी में अर्थशास्त्र और राजनीति साहित्य ( दूसरा सं० )	...	२)
भारतीय सहकारिता आन्दोलन ( तीसरा सं० )	...	३॥)
निर्वाचन पद्धति ( पाँचवाँ सं० )	...	१)
नागरिक कहानियाँ	...	॥=)
श्रद्धाञ्जलि	...	॥=)
राजनीति शब्दावली ( तीसरा सं० )	..	२॥)
नागरिक शिक्षा ( छठा सं० )	...	१॥)
ब्रिटिश साम्राज्य शासन ( चौथा सं० )	...	१)
अर्थशास्त्र शब्दावली ( तीसरा सं० )	...	१॥॥)
कौटल्य के आर्थिक विचार ( तीसरा सं० )	...	२)
अपराध चिकित्सा	...	१॥)
भारतीय अर्थशास्त्र ( चौथा सं० )	...	४)
साम्राज्य और उनका पतन ( दूसरा सं० )	..	२॥)
मातृवन्दना ( चौथा सं० )	...	॥)
देशी राज्य शासन ( दूसरा सं० )	...	३॥)
विश्व-सङ्घ की ओर	...	२॥)
भावी नागरिकों से (दूसरा सं० )	...	१॥)
इंग्लैंड का शासन और औद्योगिक क्रान्ति	...	१)
मनुष्य जाति की प्रगति	...	३॥)
गाँव की बात ( दूसरा सं० )	..	॥)
नागरिक शास्त्र ( दूसरा सं० )	...	२॥)
देशी राज्यों की जन-जागृति	...	५)
व्यवसाय का आदर्श	..	१)

भगवानदास केला; भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग

